ISSN-0971-8397

विशेषांक

# योजना

अक्टूबर 2020 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

# अंतरराष्ट्रीय संबंध


प्रमुख आलेख
वैश्विक महामारी के समय में भारत की विदेश नीति
हर्षवर्धन शृंगला

विशेष आलेख
कोविड-19 के भू-राजनैतिक तथा भू-आर्थिक आयाम
श्याम सरण

फोकस
भारत में व्यापार को लेकर कैसी हो नीति
डी रवि

भारत-अमेरिका : एच-1बी वीज़ा का मुद्दा
रूपा चंदा

भारत-रूस संबंध
डॉ अमिताभ सिंह

विदेशों में भारतीय
प्रो एस मनिवसकन

समसामयिक विषय
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी
अमिताभ खरे

# मिशन कर्मयोगी - सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम

## मिशन कर्मयोगी - सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के छह स्तंभ

**नागरिकों की सेवा करने की क्षमता विकसित करना**

- नीतिगत ढांचा
- संस्थागत ढांचा
- योग्यता की रूपरेखा
- डिजिटल लर्निंग ढांचा - आईगॉट कर्मयोगी
- इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
- निगरानी और मूल्यांकन की रूपरेखा

## मिशन कर्मयोगी- नई क्षमता निर्माण प्रतिमान

**नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग ( एनपीसीएससीबी )**

- सभी विभागों और सेवाओं के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का निर्धारण
- क्षमता निर्माण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी
- कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की पहल
- प्रौद्योगिकी संचालित 'सीखने के शिक्षाशास्त्र' को बढ़ावा देना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को संस्थागत ढांचे के साथ राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) को शुरू करने की मंजूरी दी।

एनपीसीएससीबी को सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास के लिए आधारशिला रखने हेतु बनाया गया है ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें और विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण- (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार होंगे:

- 'नियम आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन से 'भूमिका आधारित' प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग प्रदान करना। सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ना।
- 'ऑफ साइट सीखने की पद्धति' को बेहतर बनाते हुए 'ऑन साइट सीखने की पद्धति' पर बल देना।
- शिक्षण सामग्री, संस्थानों तथा कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना।
- सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे (एफआरएसी) संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना और प्रत्येक सरकारी निकाय में चिह्नित एफआरएसी के लिए प्रासंगिक अधिगम विषय-वस्तु का सृजन करना और प्रदान करना।
- सभी सिविल सेवकों को आत्म-प्रेरित एवं अधिदेशित सीखने की प्रक्रिया पद्धति में अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा एवं एक समान परिवेश तंत्र के सृजन और साझाकरण के लिए अपने-अपने संसाधनों को सीधे तौर पर निवेश करने हेतु सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संगठनों को समर्थ बनाना।
- सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय-वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और साझेदारी करना।
- क्षमता विकास, विषय-वस्तु निर्माण, उपयोगकर्ता फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग एवं नीतिगत सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान संबंधी विभिन्न-पक्षों के संबंध में आईगॉट-कर्मयोगी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना।

प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा एवं एक समान परिवेश तंत्र के सृजन और साझाकरण के लिए अपने-अपने संसाधनों को सीधे तौर पर निवेश करने हेतु सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संगठनों को समर्थ बनाना। सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय-वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और साझेदारी करना।

'मिशन कर्मयोगी' का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। ■

विशेषांक

# योजना

वर्ष : 64
अंक : 10

अक्टूबर 2020
आश्विन-कार्तिक, शक संवत् 1942

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 76

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

प्रधान संपादक : धीरज सिंह
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामालिंगम
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक है। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-73 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें-
दूरभाष: 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–
गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 56,
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

# इस अंक में

**प्रमुख आलेख**

वैश्विक महामारी के समय में भारत की विदेश नीति
हर्षवर्धन शृंगला ..... 6

**विशेष आलेख**

कोविड-19 के भू-राजनैतिक तथा भू-आर्थिक आयाम
श्याम सरण ..... 10

**फोकस**

भारत में व्यापार को लेकर कैसी हो नीति
डी रवि ..... 14

अंतरराष्ट्रीय व्यापार
अजय श्रीवास्तव ..... 20

विश्व व्यापार संगठन : आगे की राह
अभिजीत दास ..... 26

भारत-अमेरिका : एच-1बी वीज़ा का मुद्दा
रूपा चन्दा ..... 30

भारत की भूमिका का पुनरावलोकन
हर्ष वी पंत ..... 36

भारत-चीन
आर एस वासन ..... 38

भारत-रूस संबंध
डॉ अमिताभ सिंह ..... 42

पश्चिम एशिया के साथ संबंध
निलोवा रॉय चौधरी ..... 46

विदेशों में भारतीय
प्रो एस मनिवसकन ..... 51

उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण
डॉ विद्या यर्वडेकर, शोभा मिश्रा घोष ..... 56

भारतीय डाक और अंतरराष्ट्रीय संबंध
चार्ल्स लोबो ..... 63

**समसामयिक विषय**

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी
अमिताभ खरे ..... 66

योजना - सही विकल्प ..... 71

सत्य बनाम सत्याग्रह
जे बी कृपलानी ..... कवर-3

**नियमित स्तंभ**

विकास पथ
मिशन कर्मयोगी - सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम ..... कवर 2

क्या आप जानते हैं?
संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष ..... 61

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 50

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

@DPD_India

# संपादकीय

# नई विश्व व्यवस्था

महामारी ने विश्व और उसकी व्यवस्था को बदल दिया है। विश्व ने, जो पहले जलवायु परिवर्तन, गरीबी, प्रवासन, आतंकवाद, परमाणु अस्त्रों जैसे मुद्दों से जूझ रहा था, अब सब कुछ ठंडे बस्ते में रख दिया है। स्वास्थ्य आपातकाल और उसकी जटिलताएं अब अहम् स्थान ले चुकी हैं। दुनिया भर में फैली इस अभूतपूर्व स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आने वाले वर्षों में भारत की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है।

हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत 'वसुधैव कुटुंबकम्' - सारी दुनिया एक परिवार है का अनुसरण करते हुए भारत महामारी के बाद के युग में दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करने के प्रति कटिबद्ध है। इसके साथ ही इसे आत्मनिर्भरता प्राप्त करके अपने हितों की रक्षा करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी उपस्थिति पुन: जतलानी होगी।

योजना के इस विशेष अंक में प्रतिष्ठित लेखकों के नज़रिये से हमारे विदेशी संबंधों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें वर्तमान और पूर्व विदेश सचिवों ने भारत की विदेश नीति, उसकी चुनौतियों और महामारी युग में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में अपनी राय साझा की है। जैसा कि विदेश सचिव ने अपने लेख में कहा है, "भारत एक मानव-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने में रचनात्मक भागीदार रहा है। हमने अपने विकास संबंधी अनुभव को साझा करने में भागीदार देशों के साथ मिलकर काम किया है। हमने रचनात्मक और प्रगतिशील एजेंडों वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

व्यापार और वाणिज्य को जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला है भारत के व्यापार के विकास, इसकी समझौता वार्ताओं की जटिलताओं, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे संगठनों, गैट (प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता) जैसे समझौतों और एच-1बी वीज़ा जैसे प्रासंगिक मुद्दों पर परिकल्पित भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

अपनी 'पड़ोस पहले' नीति (नेबरहुड-फर्स्ट पॉलिसी) के तहत भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं और उनमें से कई के साथ भारत बहुत समय से विकास कूटनीति में शामिल रहा है। साथ ही, इसने उपमहाद्वीप में राष्ट्रों के बीच बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध हैं जो इसके वैश्विक हितों को बढ़ावा देता है। इसने कई अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है जो इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।

महामारी के दौरान, भारत ने 150 से अधिक देशों में चिकित्सा साजो सामान भेजा, विभिन्न देशों में 'रैपिड रिस्पांस टीम' (आरआरटी) की तैनाती की और 100 से अधिक 'वर्चुअल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स' यानी आभासी राजनयिक बैठकें आयोजित कीं। भली भांति समन्वित 'वंदे भारत मिशन' को दुनिया भर में भी सराहा जा रहा है।

भारतीय प्रवासी शायद दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सक्रिय और सबसे पुराने प्रवासी समुदायों में से एक हैं। वे भारत और जिस देश में वे रहते हैं दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। वे आपसी संबंधों को बढ़ाने और अंतर-सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने में एक सेतु के रूप में भी काम करते हैं। उच्च शिक्षा का आदान-प्रदान एक और क्षेत्र है जहां भारतीय नए क्षितिज तलाश रहे हैं और खुद के लिए जगह बना रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित करके भी इसे महत्व दिया है।

गांधी जी ने 1924 में लिखा था कि "मेरी अभिलाषा है कि मैं भारत के प्रयासों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मामलों को नैतिक आधार प्रदान कर सकूं।" उनका मानना था कि देशों द्वारा निर्मित सीमाओं से परे पड़ोसियों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने की कोई परिसीमा नहीं है। "ईश्वर ने इन सीमाओं को कभी नहीं बनाया।" उन्होंने 1925 में 'यंग इंडिया' में लिखा, "राष्ट्रवादी हुए बिना किसी का अंतरराष्ट्रीयवादी होना असंभव है।"

■

# वैश्विक महामारी के समय में भारत की विदेश नीति

हर्षवर्धन श्रृंगला

**वर्तमान अंतरराष्ट्रीय माहौल चुनौती पूर्ण है। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सबसे अधिक दहशत के माहौल में जी रहे हैं। स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में शुरू हुई इस स्थिति का विस्तार आर्थिक विघटन, भू-राजनीतिक आघात और अभूतपूर्व परिमाण की सामाजिक चुनौती के रूप में हुआ है। हम इन अपार कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं- और क्या हम उनमें से कुछ को अवसरों में बदलने में सक्षम हैं, यह एक राष्ट्र के रूप में हमारे भविष्य के प्रक्षेपपथ को प्रभावित करेगा।**

हम 2022 में अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएंगे। इन सात दशकों की हमारी यात्रा उल्लेखनीय रही है। एक राष्ट्र के रूप में हमने बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की चुनौतियां का सामना किया है जो अब भी विकट बनी हुई हैं और आगे भी बनी रहेंगी। हालांकि, हमारे पास उपलब्धियों की एक सूची है जो यथेष्ट भी है और प्रभावशाली भी।

भारत एक अग्रगामी राष्ट्र है। यह बहुत तेजी से कई अक्षों के साथ विकास और प्रगति कर रहा है। भारतीय विदेश नीति के सामने मूल चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि भारत, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ उस रूप में जुड़ सके जो समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप भी हो और उत्तरदायी भी हो।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे अधिक दहशत भरे माहौल में जी रहे हैं। स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में शुरू हुई इस स्थिति का विस्तार आर्थिक विघटन, भू-राजनीतिक आघात और अभूतपूर्व परिमाण की सामाजिक चुनौती के रूप में हुआ है। हम इन अपार कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं - और क्या हम उनमें से कुछ को अवसरों में बदलने में सक्षम हैं, यह एक राष्ट्र के रूप में हमारे भविष्य के प्रक्षेपपथ को प्रभावित करेगा।

हमारा देश वैश्विक हितों का ध्यान रखने वाला देश है। बड़ी संख्या में हमारे सबसे अधिक सक्षम लोग विदेशों में बसे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, और इसलिए हमारी आर्थिक बेहतरी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी है। हम सेवा क्षेत्रों में एक शक्ति केंद्र हैं। हम दुनिया को एक आपस में जुड़े बाजार के साथ, सीमारहित अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। इसलिए भारत वैश्वीकरण

लेखक भारत के विदेश सचिव हैं।
ईमेल: psfs@mea.gov.in

के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, हम मानते हैं कि वैश्विक महामारी के दौरान इसकी कमियां और इसके मौजूदा स्वरूप की सीमाएं सामने आई है। यह विशुद्ध आर्थिक एजेंडा से संचालित है। प्रधानमंत्री ने जी-20 को अपने संबोधन में कहा था कि वैश्वीकरण को मानव जाति के सामूहिक हितों को आगे बढ़ाना चाहिए और उसकी व्यवस्था निष्पक्षता, समानता तथा मानवता पर आधारित होनी चाहिए। यह मानव-केंद्रित प्रक्रिया होनी चाहिए।

भारत ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने में रचनात्मक भूमिका में रहा है जो मानव-केंद्रित है। हमने अपने विकासात्मक अनुभव को साझा करने में भागीदार देशों के साथ मिलकर काम किया है। हमने प्रशांत से अटलांटिक तक फैले भौगोलिक क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाई है। हमने वर्तमान महामारी के दौरान अपने कई मित्र और भागीदार देशों की सहायता की है। हम वास्तव में, सुरक्षा प्रदाता रहे हैं।

भारत एक मानव-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने में रचनात्मक भागीदार रहा है। हमने अपने विकास संबंधी अनुभव

**हमारा देश वैश्विक हितों का ध्यान रखने वाला देश है। बड़ी संख्या में हमारे सबसे अधिक सक्षम लोग विदेशों में बसे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, और इसलिए हमारी आर्थिक बेहतरी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी है। हम सेवा क्षेत्रों में एक शक्ति केंद्र हैं। हम दुनिया को एक आपस में जुड़े बाजार के साथ, सीमारहित अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं।**

को साझा करने में भागीदार देशों के साथ मिलकर काम किया है। हमने रचनात्मक और प्रगतिशील एजेंडों वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम नैतिक शून्य में नहीं रहते। भारत की आकांक्षाएं केवल भौतिक प्रकृति की नहीं हैं। हम न केवल वसुधैव कुटुम्बकम् यानि पूरी दुनिया एक परिवार है में विश्वास करते हैं- बल्कि 'निष्काम कर्म' यानि बिना किसी कामना के कर्म करने के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं।

वैश्विक अवधारणा को आकार देने और अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के हमारे प्रयास महामारी के दौरान भी जारी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जी-20 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्चुअल शिखर सम्मेलन, ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंडों में भाग लिया और दक्षिण एशियाई नेताओं की वर्चुअल वैठक वुलाई।

वर्तमान संकट के दौरान भारत डिजिटल कूटनीति में सवसे आगे रहा है। पहले से सूचीबद्ध शिखर सम्मेलनों के अलावा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। हमने ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और आरआईसी की मंत्री स्तरीय वैठकों में भाग लिया। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने इस अवधि के दौरान 150 से अधिक डिजिटल और वर्चुअल वैठकें की हैं। हम अपने विदेश

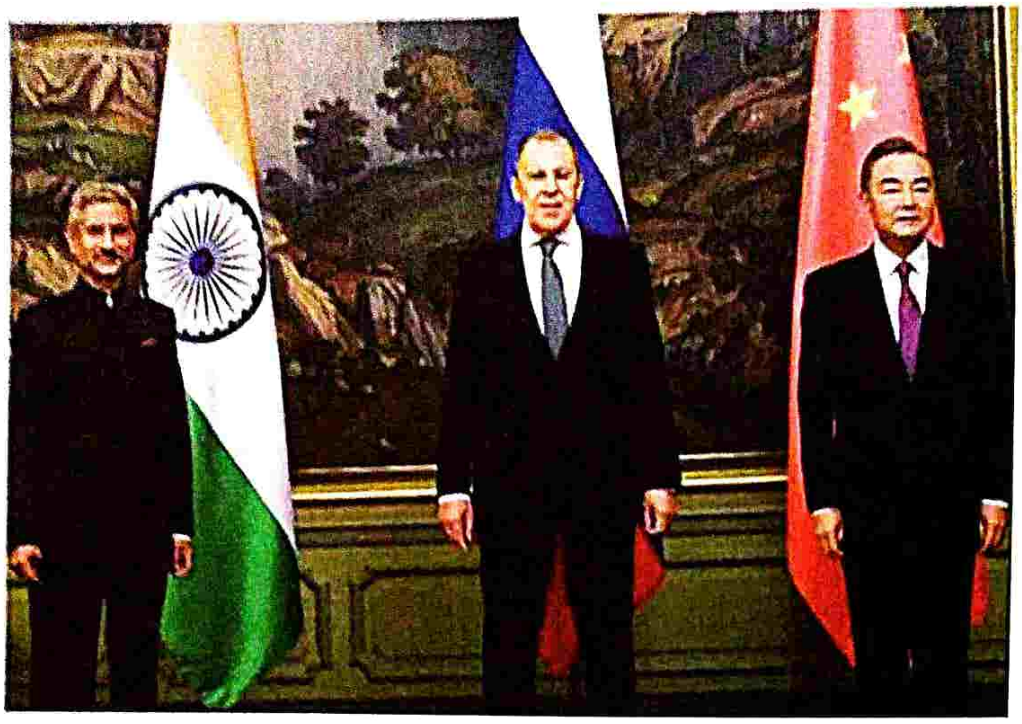

नीति कार्यों को जारी रखने के प्रयासों में स्फूर्ति से जुटे रहे हैं।

हमारी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पड़ोसी को वरीयता देने की हमारी अवधारणा में निहित है। यह पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने और मजबूत करने की हमारी नवीनीकृत प्राथमिकता को रेखांकित करता है। बारंबार होने वाले उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान, संपर्क, आर्थिक एकीकरण तथा लोगों के बीच संपर्क में महत्वपूर्ण सुधार और भारत के विकास भागीदारी कार्यक्रम में पड़ोसी देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना जैसे प्रयास पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को महत्व देने की मंशा को दर्शाते हैं। हमने निरंतर उच्च स्तरीय बातचीत और आर्थिक तथा संपर्क पहल के जरिए महामारी के दौरान भी दक्षिण एशिया में और अन्य बातों के साथ-साथ बहुक्षेत्रीय बिम्स्टैक संरचना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

लुक ईस्ट नीति को आगे बढ़ा कर उसे एक्ट ईस्ट नीति कर दिया गया है, जिसके तहत आसियान देशों के साथ संबंधों को सड़क, समुद्री और हवाई संपर्क में सुधार के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है ताकि अपने पूर्वोत्तर राज्यों को इन देशों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा सके। हमने कई माध्यमों से आसियान के साथ बातचीत बढ़ाई है और आसियान के सदस्यों के साथ तेजी से बहु-क्षेत्रीय संबंध मजबूत कर रहे हैं। हम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान देशों के रक्षामंत्रियों की बैठक जैसे अन्य प्रारूपों में सक्रियता से काम कर रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों में, थिंक वेस्ट- खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों में पहुंच, हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। अफ्रीका के साथ हमारे संबंध राजनीतिक और आर्थिक, दोनों ही मोर्चों पर मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्तर पर अफ्रीका देशों में 34 यात्राएं की गई हैं। पिछले एक दशक में भारत ने आसान शर्तों का दो-तिहाई से अधिक ऋण अफ्रीका देशों को दिया हैं।

**भारत का दृढ़ विश्वास है कि स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग बहुपक्षवाद के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। हमारा मानना है कि सभी देशों को एकसमान चुनौतियों का सामना करने और एकसमान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाथ मिलाना होगा। हालांकि, बहुपक्षवाद को समकालीन दुनिया की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। भारत का मानना है कि केवल बहुपक्षीय सुधार के साथ सुधारित संयुक्त राष्ट्र (रिफार्म्ड यूनाइटेड नेशंस) ही, मानवता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं।**

प्रमुख द्विपक्षीय भागीदार देशों के साथ हमारी प्रतिवद्धता और गतिविधियां तेजी से आगे वढ़ रही हैं।

हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में विस्तार हुआ है और वे व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंच गए हैं। दोनों देशों के वीच संवंधों की जड़ें गहरी हैं, जो नियमित उच्च-स्तरीय संवाद, वहुपक्षीय तथा वैश्विक मंचों पर सहयोग और विविध तथा सारभूत द्विपक्षीय एजेंडा द्वारा चिह्नित हैं। रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद से निपटना दोनों देशों के वीच भागीदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों की ओर से वढ़ते हुए व्यापार तथा निवेश, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, स्वास्थ्य संवंधी सेवाओं और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग भी हमारे एजेंडे के महत्वपूर्ण घटक हैं। अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदारी हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है।

यूरोपीय संघ हमारा महत्वपूर्ण मित्र है जिसके साथ हमारे कई स्तरों पर और जीवंत संबंध हैं। जुलाई 2020 में आयोजित 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने बहुआयामी साझेदारी को साकार करने की दिशा में दोनों पक्षों के दृढ़ संकल्प और दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। शिखर सम्मेलन के बाद जारी भारत-यूरोपीय संघ महत्वपूर्ण भागीदारी: 2025 के लिए दिशानिदेशक में इस प्रतिबद्धता को शामिल किया गया है।

रूस के साथ हमारे संबंध न केवल रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों में गहरे हुए हैं, बल्कि ऊर्जा, निवेश में सहयोग जैसे गैर-पारंपरिक और नए क्षेत्रों को शामिल कर उनमें विस्तार भी किया गया है। यह वर्ष भारत-रूस रणनीतिक भागीदारी का 20वां और विशेष तथा महत्वपूर्ण भागीदारी का 10वां वर्ष है।

हम अपने आस-पड़ोस में कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे हैं। हम इन समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। हमारी क्षमताएं तथा संसाधन बढ़ रहे हैं और चुनौती मिलने पर हम आवश्यक रणनीति तथा कार्यनीति अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

हम प्रतिबद्ध बहुपक्षवादी हैं। भारत का दृढ़ विश्वास है कि स्थायी शांति और समृद्धि

का मार्ग बहुपक्षवाद के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। हमारा मानना है कि सभी देशों को एकसमान चुनौतियों का सामना करने और एकसमान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाथ मिलाना होगा। हालांकि, बहुपक्षवाद को समकालीन दुनिया की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। भारत का मानना है कि केवल बहुपक्षीय सुधार के साथ सुधारित संयुक्त राष्ट्र (रिफार्म्ड यूनाइटेड नेशंस) ही, मानवता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं।

हमारे पास आने वाले वर्षों में एक चुनौतीपूर्ण और बहुपक्षीय एजेंडा है। हम 1 जनवरी 2021 को दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई तौर पर शामिल होंगे। हम जी-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष पद को भी प्राप्त करने वाले हैं। ये वैश्विक स्तर पर हमारी बढ़ती प्रतिष्ठा की पहचान हैं और हमारे लिए अपनी अवधारणाओं, आकांक्षाओं तथा प्राथमिकताओं को व्यक्त करने का अवसर भी हैं।

आतंकवाद का मुकाबला करना हमारी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को झेला है और वह लगातार इसका सामना कर रहा है। हम आतंकवादियों को नियंत्रित, करने, उनकी मदद करने और उन्हें धन तथा आश्रय देने वालों के खिलाफ हमेशा पूरी ऊर्जा के साथ कार्रवाई करते रहे हैं। आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को अलग-थलग करने के हमारे प्रयासों से हमारे प्रति वैश्विक समर्थन बढ़ा है। हमें अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में अभी बहुत कुछ करना है और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आतंकवाद के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण एकसमान और असंदिग्ध हो। हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र सूचीकरण जैसे वैश्विक तंत्र के राजनीतिकरण से बचा जाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को अंतिम रूप दे।

भारतीय विदेश नीति को अंतरिक्ष, साइबरवर्ल्ड और जैविक जैसे नए क्षेत्रों में गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से भी जूझना होगा।

सभी संकटों के बाद विकास का समय आता है। यह संकट भी अवसर पैदा करेगा और हम उससे लाभांवित होना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के शब्दों में, भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का केंद्र बनाना हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। आत्मनिर्भरता स्व-केन्द्रित व्यवस्था का प्रयास नहीं है। यह देश को आत्मकेंद्रित करने या आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को सुनिश्चित करना है। देश में क्षमता निर्माण के जरिए हम वैश्विक बाजारों में व्यवधान को कम करने में योगदान देना चाहते हैं। दुनिया भर में भारतीय मिशन और पोस्ट का नेटवर्क,

**वैश्विक महामारी दुनिया के साथ हमारी संलग्नता के तरीकों सहित, सभी क्षेत्रों पर एक स्थायी छाप छोड़ रही है। तेजी से बदलते परिवेश में, भारतीय कूटनीति ने उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल और अनुकूलन क्षमता को दर्शाया है। इसके अलावा उसने वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार और रचनात्मक सदस्य के रूप में अपनी साख को मजबूत भी किया है।**

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, विभिन्न देशों में हमारे व्यवसायों के लिए निर्यात और निवेश के अवसरों की पहचान कर रहा है। अपने विनिर्माण स्थलों के विस्तार के लिए प्रयासरत वैश्विक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को, भारत को चुनने के लिए प्रोत्साहित करना हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख प्राथमिकता है।

भारत ने वर्तमान संकट के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि वह वैश्विक समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य है। हम दूरदर्शी होने में विश्वास करते हैं जो हमें महामारी के बाद की दुनिया में अच्छी स्थिति में खड़ा करेगा। वैश्विक महामारी के दौरान भारत में उत्पादित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पेरासिटामोल जैसी दवाओं की मांग में अचानक बहुत वृद्धि हुई। हम देश के लिए इन दवाओं का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के बाद दुनिया भर में अपने मित्रों और उपभोक्ताओं को बड़ी मात्रा में इनकी आपूर्ति करने में कामयाब रहे। भारत ने लॉकडाउन के कारण जुलाई संबंधी चुनौतियों के बावजूद 150 से अधिक देशों को ये दवाएं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की। सागर और संजीवनी जैसे अभियानों के तहत कई देशों में चिकित्सा त्वरित कार्रवाई दलों की तैनाती, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य क्षमताओं के संयोजन की पहल और आवश्यक चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति जैसे प्रयासों से हमने स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदाता और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता की तरह अपनी साख को मजबूत किया।

हमने विकास साझेदारी के माध्यम से बड़ी मात्रा में संसाधनों को लगाया हैं। यह, सबका साथ, सबका विकास में हमारे विश्वास का एक व्यावहारिक प्रदर्शन है। विकासात्मक सहयोग का भारतीय मॉडल व्यापक है और इसमें सहायता अनुदान, आसान शर्तों पर ऋण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सहित कई उपाय शामिल हैं। इनमें सांस्कृतिक तथा विरासत संपदा की बहाली और संरक्षण के लिए वाणिज्य से लेकर संस्कृति तक, ऊर्जा से लेकर इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य से लेकर आवास, सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर बुनियादी ढांचे, खेलों से लेकर विज्ञान तक और आपदा राहत तथा मानवीय सहायता शामिल हैं।

अपने नागरिकों और प्रवासियों को समय पर प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। वंदे भारत मिशन के तहत दस लाख से अधिक भारतीय भूमि, समुद्र और हवाई मार्ग से स्वदेश लौट आए हैं। यह हाल के दिनों में चलाया गया ऐसा सबसे बड़ा अभियान है जो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने और उसके लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता को दर्शाता है।

वैश्विक महामारी दुनिया के साथ हमारी संलग्नता के तरीकों सहित, सभी क्षेत्रों पर एक स्थायी छाप छोड़ रही है। तेजी से बदलते परिवेश में, भारतीय कूटनीति ने उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल और अनुकूलन क्षमता को दर्शाया है। इसके अलावा उसने वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार और रचनात्मक सदस्य के रूप में अपनी साख को मजबूत भी किया है। ■

# कोविड-19 के भू-राजनैतिक तथा भू-आर्थिक आयाम

श्याम सरण

**कोविड-19 महामारी ने देश को आर्थिक बदहाली के दौर में ला दिया है और इससे उबरने में वक्त लगेगा। लेकिन यह भारत के लिए भू-राजनैतिक दृष्टि से अनुकूल समय भी हो सकता है। 'आत्मनिर्भर भारत' का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुक़ाबला कर सकने वाली और सक्षम अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का भारत में निवेश करने में विश्वास बढ़ाएगी, वही अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर पाएगी।**

कोविड-19 महामारी के आने से पहले से ही वैश्विक सत्ता संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे थे। इन परिवर्तनों में आर्थिक ताकत का रुझान अटलांटिक क्षेत्र से हट कर प्रशांत क्षेत्र की ओर हो जाना, बहु-ध्रुवीय ढांचे की शिथिलता और विश्व भर में राष्ट्रवादी और संकीर्ण क्षेत्रीय विचारों के उभार से वैश्वीकरण की प्रवृत्ति मंद पड़ जाना शामिल है। बहुपक्षीय संस्थाएं और प्रक्रियाएं भी इस दौर में कमजोर हुईं जबकि विश्व के सभी देशों-समाजों को प्रभावित करने वाली और वैश्विक और संयुक्त प्रयास की ज़रूरत वाली जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां बढ़ रही थीं। कोविड महामारी ने पहले से चली आ रही इन्हीं प्रवृतियों और विरोधाभासों को मजबूत किया है। यह महामारी हर तरह से एक स्वास्थ्य से जुड़ा वैश्विक मुद्दा है लेकिन इसके मुकाबले के लिए किसी सुसंबद्ध, समन्वित वैश्विक प्रयास का अभाव ही है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी वैश्विक प्रबंधन संस्था के नेतृत्व में चलाया जा रहा हो। लेकिन इस समय तो सभी देश राष्ट्रीय स्तर पर ही महामारी का मुकाबला कर रहे हैं।

इस महामारी की वजह से कुछ नई प्रवृतियों को बल मिला है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वास्तव में, डिजिटल स्पेस में इस समय जबरदस्त वैश्वीकरण का दौर है- घर से दफ्तर के काम (वर्क फ्रॉम होम) की संस्कृति का जबरदस्त विस्तार हुआ है, टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन को तेजी से अपनाया जा रहा है और एक जगह बैठक करने के स्थान पर, टेली-कॉन्फ्रेंसिंग और ऑन लाइन मीटिंगों का दौर बढ़ रहा है। हालांकि ये प्रवृतियां अभी महामारी-जन्य रुकावटों की वजह से बढ़ी हैं, लेकिन महामारी के बाद भी, इन्हें नए सामाजिक व्यवहारों के रूप में अपना लिए जाने की संभावना है। कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (इलेक्ट्रोनिक उपकरणों द्वारा बिना मानवीय निर्देश के स्वयं अपने द्वारा किए जाने वाले काम कर लेना और इस प्रक्रिया में दूसरे सम्बद्ध उपकरणों से संपर्क कर लेना) और बड़े पैमाने पर व्यक्तियों-प्रवृतियों को समेटते 'बिगडेटा' के क्षेत्रों में अप्रत्याशित प्रगति हुई है। इनसे जुड़ी साइबर स्पेस की चुनौतियां, खास तौर से जानकारियों की निजता की चुनौती और बढ़ेंगी। उच्च टेक्नोलॉजी पर एकाधिकार, सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों का निहित स्वार्थों के लिए दुरुपयोग और तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अब तक अबूझ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव - ये सारी चुनौतियां आने वाले समय में व्यक्तियों, समाजों, देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झेलनी होंगी।

## भू-राजनीति की प्रमुख प्रवृतियां

चीन का क्षेत्रीय और वैश्विक दायरा लगातार बढ़ रहा है। महाशक्ति के रूप में, चीन और अमेरिका के बीच का अंतर

लेखक पूर्व विदेश सचिव तथा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फैलो हैं। ईमेल : saranshyam46@gmail.com

लगातार कम हो रहा है और महामारी के बाद भी इस रुझान के जारी रहने की संभावना है। चीन इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5-जी टेलीकॉम नेटवर्क जैसी उच्च टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। हालांकि कोविड-19 वायरस दुनिया के बाकी हिस्सों से पहले चीन में फैला लेकिन उसने सभी देशों से पहले उस पर नियंत्रण भी कर लिया। कोविड से मुक्ति पाकर लगातार सुधरने वाली यह पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस उपलब्धि से चीन का आत्मविश्वास बढ़ा है जो अपना दबदबा कायम करने वाले उसके आक्रामक व्यवहार में नज़र आ रहा है। चीनी नेतृत्व को विश्वास है कि महामारी ने उसे अन्य देशों, खास तौर से अमेरिका के साथ व्यवहार में, अपने हितों को आगे रखने का मौका दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन के ताजा आक्रामक रुख और हांगकांग में जनता पर भारी पाबंदियां लगाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के पीछे यही आत्मविश्वास है। हांगकांग में लागू किए गए नए कानून से 'एक देश-दो प्रणालियों' वाली व्यवस्था को करीब-करीब समाप्त कर दिया गया है जिसके अंतर्गत एशिया के इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र को काफी स्वायत्तता मिली हुई थी।

ताइवान के मामले में चीन की धमकाने वाली बयानबाजी और उकसाने वाली सैन्य कार्रवाइयां ज्यादा खतरनाक हैं। चीन अब भी ताइवान को अपना एक पतित राज्य ही मानता है, जिसे उसे वापस लेना है। भारत-चीन सीमा पर बार-बार अतिक्रमण के प्रयास हो रहे हैं जिनसे चार दशकों से ज्यादा समय तक अपेक्षाकृत शांत रहे क्षेत्र में पिछले दिनों दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। यह चीन के दूसरे देशों के साथ व्यवहार में नए आक्रामक तेवरों को दर्शाता है। चीन अब स्वयं को अमेरिका का समकक्ष मानने लगा है और उसे यकीन है कि वह निकट भविष्य में अमेरिका से आगे निकल कर विश्व की सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा। चीन का अनुमान है कि अमेरिका की ताकत अब गिरावट की ओर है। कोविड-19 से निपटने में अमेरिका की कमजोरी से उसका यह अंदाजा और मजबूत हुआ है। शीजिनपिंग के नेतृत्व में चीन इस समय अपनी सर्वसत्तावादी शासन-प्रणाली

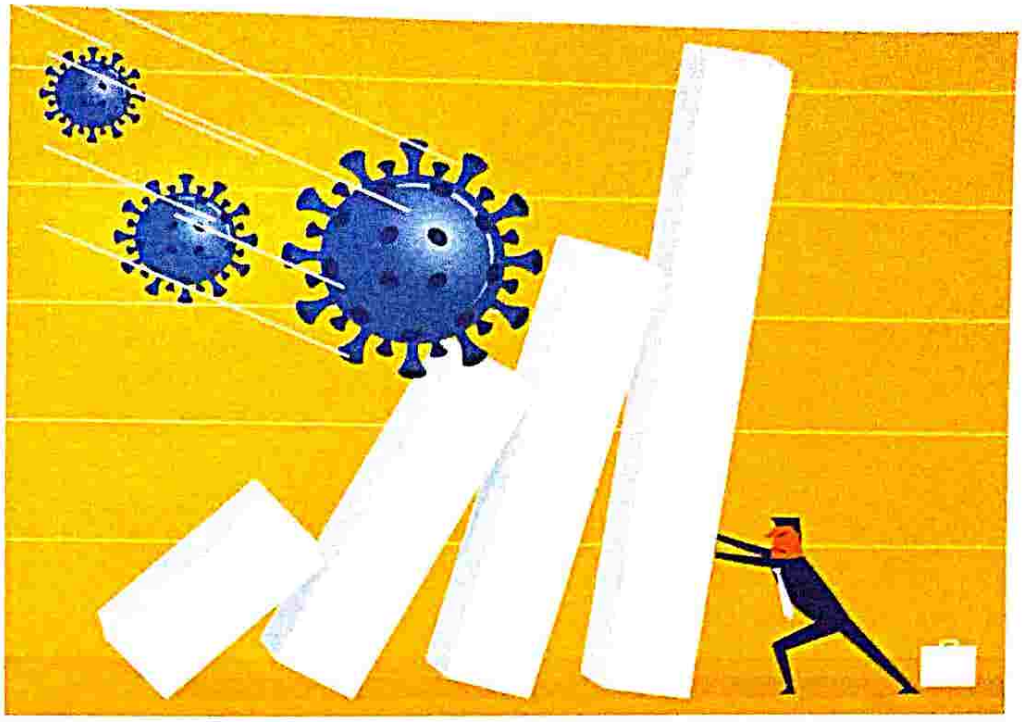

और आर्थिक नीतियों की श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त है। चीन का नेतृत्व पहली बार यह विश्वास करने लगा है कि वह विकास की उस राह पर है जहां अन्य विकासशील देश उसका अनुसरण कर सकते हैं। चीन की महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरटी) ऐसी परियोजना है जिसके जरिए वह अपनी वित्तीय और टेक्नोलॉजी की ताकत के जरिए अपने मॉडल का विस्तार कर सकेगा। ऐसे प्रयासों के जरिए चीन अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों अपने मानक और तकनीकी विवरणों-निर्देशों को अन्य देशों में लागू करवा सकता है। दूर-संचार ऐसा ही एक क्षेत्र है।

**चीन अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताएं निरंतर बढ़ा रहा है और अनुसंधान और विकास पर इस समय अमेरिका से ज्यादा खर्च कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कुछ क्षेत्रों में यह अमेरिका से आगे हो सकता है। हालांकि, ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका अब भी आगे है लेकिन अगर वर्तमान रुझान जारी रहे तो ज्यादा समय तक अमेरिका आगे नहीं रह पाएगा।**

### चीन की अपेक्षाएं कितनी यथार्थपरक हैं?

#### भू-आर्थिक रुझान

चीन का सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) अमेरिका से आगे निकलने वाला है और इस तरह, चीन बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पाद के मामले में यह अमेरिका से बहुत पीछे है। इसका प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका का मात्र एक चौथाई है।

चीन जीडीपी में अमेरिका को पछाड़ सकता है और निश्चय ही यह विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति है। (चीन के वर्तमान विदेश व्यापार की मात्रा भारत के वर्तमान जीडीपी से ज्यादा है।) लेकिन आज भी विश्व के वित्तीय और मौद्रिक बाज़ारों पर अमेरिका और अमेरिकी डॉलर का दबदबा है। जब तक चीन अपनी मुद्रा-रेनमिनबी (आरएमबी) को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने का फैसला नहीं करेगा, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में डॉलर को हटा नहीं पाएगा।

सैन्य क्षेत्र में, चीन अमेरिका से बहुत पीछे है और एशिया तथा यूरोप में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की वैश्विक पहुंच का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन ने पूर्वी अफ्रीका में जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया है और विश्व के कई हिस्सों में बन्दरगाह हासिल कर लिए हैं जो आने वाले समय में सैन्य सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इनमें पाकिस्तान का ग्वादर और श्रीलंका का हंबनटोटा बन्दरगाह शामिल हैं। बीआरटी के तहत विश्व के अनेक हिस्सों में बुनियादी

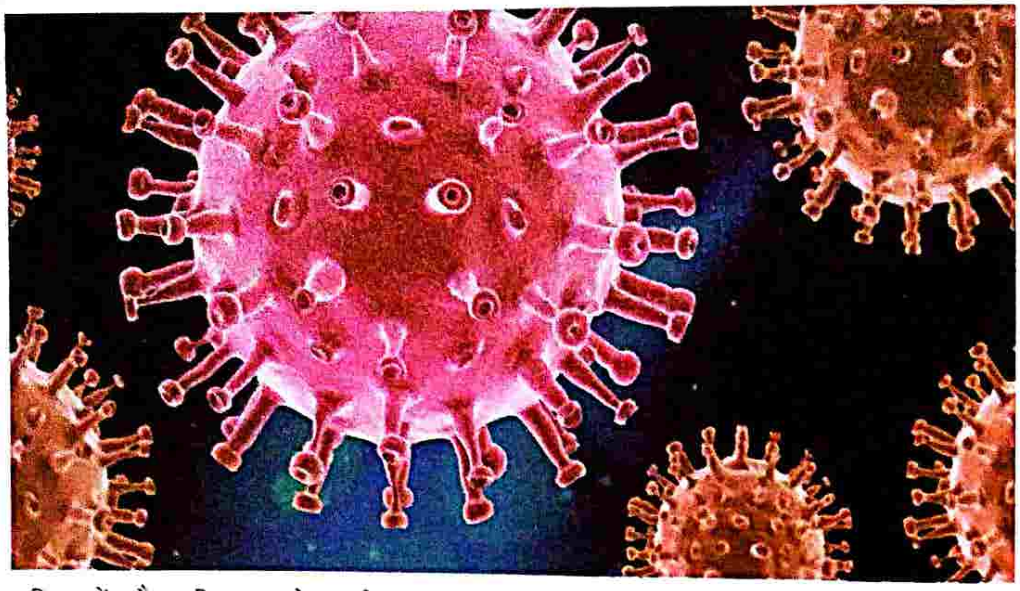

सुविधाओं और परिवहन प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जो भविष्य में सैन्य नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इन सब का अमेरिका के विश्व भर में फैले नौसैनिक ठिकानों, जिनमें चीन के करीब स्थापित ठिकाने भी हैं, से कोई जोड़ ही नहीं है। चीन का सैन्य व्यय, खास तौर से पिछले दशक में, तेजी से बड़ा है। इस समय यह व्यय 300 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है लेकिन अमेरिका के 750 अरब डॉलर के व्यय के सामने यह कुछ भी नहीं है।

चीन अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताएं निरंतर बढ़ा रहा है और अनुसंधान और विकास पर इस समय अमेरिका से ज्यादा खर्च कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कुछ क्षेत्रों में यह अमेरिका से आगे हो सकता है। हालांकि, ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका अब भी आगे है लेकिन अगर वर्तमान रुझान जारी रहे तो ज्यादा समय तक अमेरिका आगे नहीं रह पाएगा।

कुल मिला कर आकलन यही है कि चीन की ताकत अमेरिका के काफी नजदीक आ गई है लेकिन अनेक सामरिक महत्व के क्षेत्रों में चीन अब भी अमेरिका से पीछे है। हो सकता है कि चीन ने अमेरिका के ऊपर अपनी विजय घोषित करने में ज्यादा ही जल्दी कर दी, या फिर चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अमेरिका देर से जागा। लगता है कि विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति- अमेरिका, और दूसरे स्थान की और निरंतर विकासशील शक्ति- चीन के बीच खींच-तान और तनावों का यह दौर लंबा चलेगा। इस मुकाबले का स्वरूप संरचनात्मक है और आगामी राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिकी प्रशासन में संभावित परिवर्तन से भी यह खींच-तान की स्थिति बदलने वाली नहीं है। इसका असर मध्यम और छोटी शक्तियों सहित अन्य देशों के सामरिक विकल्पों पर भी पड़ेगा। यह स्थिति तभी बदलेगी जब इन दोनों में से एक देश दूसरे को पूरी तरह पछाड़ दे और ऐसी एकमात्र महाशक्ति बन जाए जैसी 1990 के बाद के दौर में अमेरिका था। दूसरी तस्वीर यह भी बन सकती है कि दोनों देशों के बीच किसी की भी श्रेष्ठता साबित नहीं होने की ये स्थिति बनी रहे और दोनों देश अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रों में बने रहते हुए, आपसी संतुलन बनाए रखें। इसका मतलब होगा कि चीन का एशिया में दबदबा रहे। ऐसी स्थिति भारत को स्वीकार्य नहीं होगी। अपनी रणनीति तय करने में, भारत को इन वैकल्पिक स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

**भारत में अगर एक सद्भावनापूर्ण और कुशल आर्थिक तथा नियामक व्यवस्था बन जाए तो यहां पूंजी, टेक्नोलॉजी और आधुनिक ज्ञान का अच्छा प्रवाह आ सकता है। भारतीय बाज़ार का बड़ा आकार, देश का राजनैतिक स्थायित्व तथा लोकतान्त्रिक परम्पराएं हमारी खूबियां हैं। आर्थिक सुधार लाना भले ही राजनैतिक दृष्टि से कठिन हो, लेकिन महामारी ने हमें इन सुधारों को लाने का अवसर दिया है।**

कोविड-19 महामारी ने देश को आर्थिक बदहाली के दौर में ला दिया है और इससे उबरने में वक्त लगेगा। लेकिन यह भारत के लिए भू-राजनैतिक दृष्टि से अनुकूल समय भी हो सकता है। चीन द्वारा ताकत के स्वार्थी और एकतरफा इस्तेमाल की वजह से, अनेक देश अब भारत को चीन की ताकत को संतुलित करने वाली भावी शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। भारत में अगर एक सद्भावनापूर्ण और कुशल आर्थिक तथा नियामक व्यवस्था बन जाए तो यहां पूंजी, टेक्नोलॉजी और आधुनिक ज्ञान का अच्छा प्रवाह आ सकता है। भारतीय बाज़ार का बड़ा आकार, देश का राजनैतिक स्थायित्व तथा लोकतान्त्रिक परम्पराएं हमारी खूबियां हैं। आर्थिक सुधार लाना भले ही राजनैतिक दृष्टि से कठिन हो, लेकिन महामारी ने हमें इन सुधारों को लाने का अवसर दिया है। हमारे देश में संसदीय बहुमत वाली सरकार है और देश में मजबूत और निर्णय लेने में सक्षम नेतृत्व है। इस समय हमें सुसंबद्ध और सु-विचारित नीति और इसे कारगर तरीके से लागू करने का संकल्प चाहिए। 'आत्मनिर्भर भारत' का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकने वाली और सक्षम अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का देश में निवेश करने में विश्वास बढ़ाएगी, वही अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर पाएगी।

महामारी हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की बुनियाद को हिला रही है। लेकिन इससे प्रशासन की जड़ता और उन निहित स्वार्थों की ताकत को भी कमजोर कर रही है जो आज तक सही राह पर चलने और संरचनात्मक सुधारों को रोकते रहे हैं। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। अपने आकार, जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय कुशलता तथा समृद्ध सभ्यता की परंपरा के साथ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो न केवल चीन की बराबरी कर सकता है, बल्कि उससे आगे भी जा सकता है। इसके लिए हमें मजबूत राष्ट्रीय इच्छा-शक्ति की ज़रूरत है। ■

# भारत में व्यापार को लेकर कैसी हो नीति

डी रवि

**भारत में व्यापार के लिए नीतियां तैयार करते वक्त व्यापक और दीर्घकालिक सोच को ध्यान में रखना जरूरी है। व्यापार घाटा के मुकाबले व्यापार में बढ़ोतरी ज्यादा अहम है। व्यापार में किसी लाभ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। आखिरकार, किसी उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत से ही बाजार में उसके टिकने की संभावना तय होती है। व्यापार के सिलसिले में वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों को देखते हुए भारत को भी व्यापक नजरिये के साथ रणनीति बनानी होगी।**

रोम, सुमेर और मिस्र की सभ्यताओं के प्राचीन तटीय शहरों में पाए गए मुद्रा (सिक्का वगैरह) संबंधी प्रमाण से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी भारत के लोग बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र (तकरीबन 300 ईसा) में भी भारत और पश्चिमी व दक्षिण एशियाई देशों के बीच मसालों का व्यापार होने की बात कही गई है। देश में 300 साल के औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बाहरी व्यापार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और मुख्य तौर पर कपास और मसलों के निर्यात की अनुमति दी। साथ ही, अंग्रेजी हुकूमत भारत में बड़े पैमाने पर तैयार उत्पाद लाकर बेचने लगी।

### गैट के तहत बहुपक्षीय व्यापार

संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में 1948 में व्यापार से संबंधित पहला बहुपक्षीय समझौता- गैट (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड) हुआ। इसका मकसद व्यापार के लिए बाधाओं को दूर कर आर्थिक रिकवरी को बढ़ावा देना था। हालांकि, गैट के 28 संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल था, लेकिन बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं को लेकर वह गंभीर नहीं था। उस वक्त हाल में स्वतंत्र हुए और 'तीसरी दुनिया के देश' कहे जाने वाले मुल्कों की प्राथमिकता विकास से जुड़े मुद्दों यानि लोगों की बुनियादी जरूरतों (रोटी, कपड़ा और मकान) को पूरा करने से जुड़ी थीं। साथ ही, इन देशों का ध्यान कड़े संघर्ष के बाद हासिल की गई आजादी को बचाने के लिए संस्थान तैयार करने पर था। बीसवीं सदी के आखिरी 50 साल में आयोजित गैट की 8 दौर की वार्ताओं में भारत और अन्य विकासशील देशों की मुख्य चिंता, विकसित देशों में कृषि में बड़े पैमाने पर दी जाने वाली सब्सिडी के मद्देनजर कृषि संबंधी अपने हितों को बचाने को लेकर थी। विकासशील देशों को डर था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकसित देशों के कृषि उत्पाद पहुंचने पर बाजार की हालत खराब हो जाएगी। उन्हें लगता था कि ऐसे में विकासशील देशों के किसानों को काफी नुकसान पहुंचेगा जिन्हें आजीविका, मानसून की अनिश्चितता, कम उपज, जमीन के छोटे टुकड़े में खेती आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, विकासशील देशों में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का साधन कृषि होने के कारण इसे बाहरी चुनौती से बचाना जरूरी समझा गया। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में गलत व्यापार नीतियों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और गठबंधन बनाने में राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) एक असरदार माध्यम साबित हुआ।

लेखक विदेश मंत्रालय में अपर सचिव हैं। ईमेल: dammu.ravi@nic.in

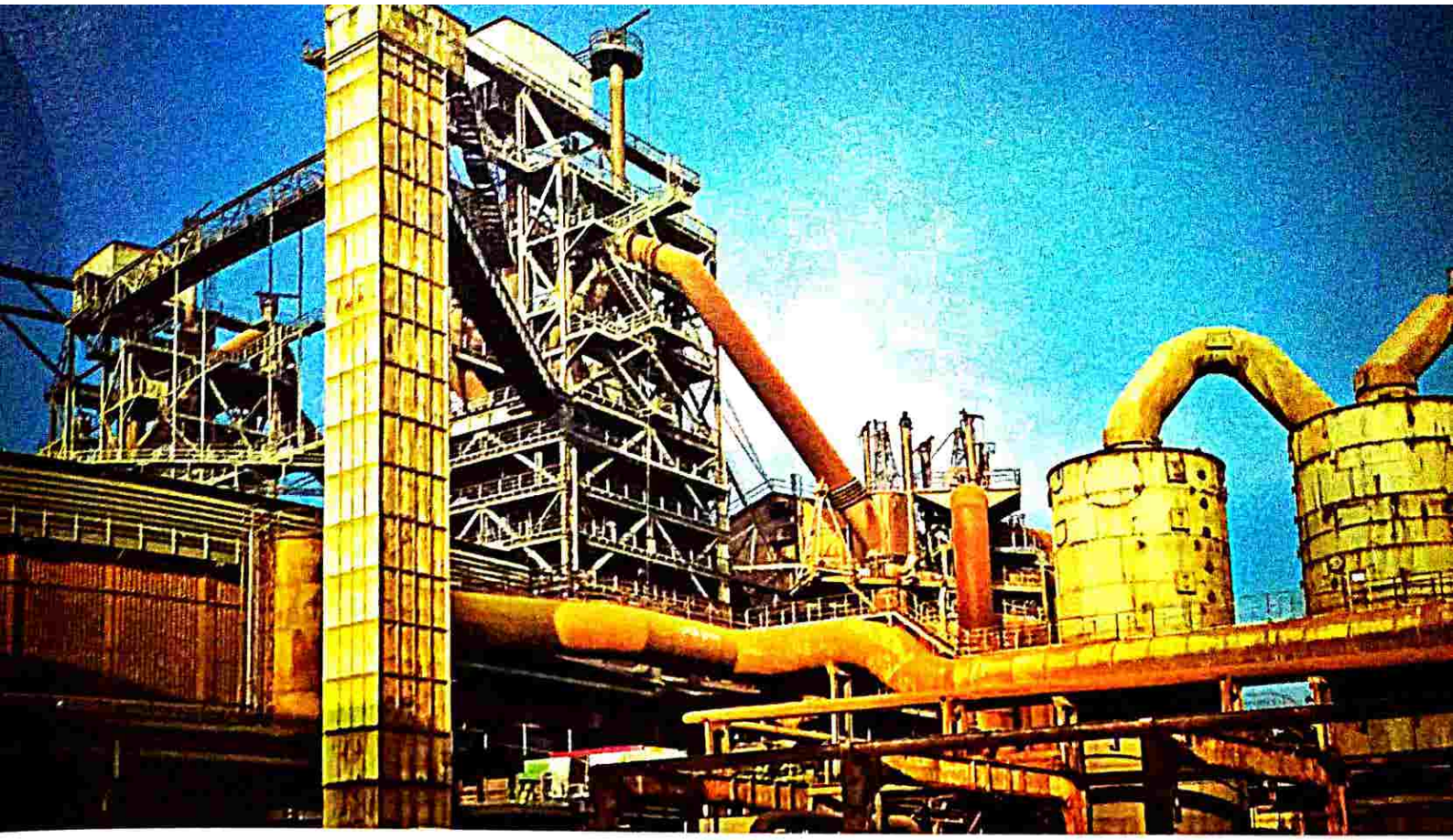

### विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना 1995 में हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में 76 देशों के साथ भारत भी शामिल है। इस संस्थान के गठन में 1986 से 1994 के बीच हुई उरुग्वे दौर की गैट वार्ताओं की अहम भूमिका रही। भारत का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन में निष्पक्षता, न्याय और समानता पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की बात कही गई है, जो विकासशील और कम विकसित देशों के हित में है। डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटारा इकाई बेहद अहम है, जो व्यापार नियमों को लागू होने लायक और प्रभावी बनाती है। भारत ने कृषि समझौते के तहत व्यापार से जुड़े बेहद असंतुलित प्रावधानों में संशोधन की मांग की थी। उसके मुताबिक, उरुग्वे दौर की वार्ताओं में विकासशील देशों को इन प्रावधानों के दीर्घकालिक असर के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए संशोधन जरूरी है। कृषि समझौते में घरेलू समर्थन नीतियों के लिए 1986-88 को आधार वर्ष मानते हुए सकल मापन समर्थन (एएमएस) का आकलन किया गया था। इसी तरह, इनपुट सब्सिडी (अंबर बॉक्स) के आकलन में विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य के 5 प्रतिशत से कम की कटौती और विकासशील देशों के उत्पादन मूल्य में 10 प्रतिशत से कम की कटौती के वादे को बाहर रखा गया है। भारत और अन्य विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश 'हरा' और 'नीला' बॉक्स की आड़ में घरेलू स्तर पर काफी मदद मुहैया कराकर अनुचित फायदा उठाते हैं, जबकि उन्होंने चालाकी से कटौती के वादे को समझौते से बाहर कर दिया है। इस समझौते में संतुलन स्थापित करने की कोशिशें अब तक असफल रही हैं।

### व्यापार और विकास

विश्व व्यापार संगठन ने 21वीं सदी की शुरुआत में व्यापार और विकास के बीच संबंधों पर गौर करना शुरू किया। इस वजह से 2001 में 'दोहा दौर' की बातचीत शुरू हुई जिसमें 'विकास' को वैश्विक व्यापार के केंद्र में रखा गया। भारत ने विकासशील और कम विकसित देशों में करोड़ों लोगों को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने की जरूरत बताई और कहा कि व्यापार वास्तव में विकास के लिए प्रभावी उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। सदस्य देशों में मतभेद की वजह से दोहा दौर की बातचीत में कृषि के लिए सब्सिडी समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। हालांकि, भारत ने बाली में 2013 में आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की। इस सम्मेलन में व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत डब्ल्यूटीओ के समझौते के बदले कृषि के लिए घरेलू स्तर पर मदद के मामले में 'स्थायी शांति' वाले प्रावधान के जरिए अपने लिए सहूलियतें हासिल करने में सफल रहा। 'स्थायी शांति' नियम के तहत भारत को घरेलू स्तर पर कृषि संबंधी मदद के लिए कार्यक्रम चलाने की अनुमति होगी। साथ ही, इन कार्यक्रमों को तब तक विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारा इकाई में चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक सभी सदस्य देश इस पर सहमत नहीं हो जाते। अप्रैल 2017 में डब्ल्यूटीओ से जुड़े व्यापार सुविधा समझौते पर भारत की सहमति भी उसके लिए फायदेमंद

**संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में 1948 में व्यापार से संबंधित पहला बहुपक्षीय समझौता- गैट (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड) हुआ। इसका मकसद व्यापार के लिए बाधाओं को दूर कर आर्थिक रिकवरी को बढ़ावा देना था। हालांकि, गैट के 28 संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल था, लेकिन बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं को लेकर वह गंभीर नहीं था।**

साबित हुई। इससे निर्यात के लिए व्यापार लागत कम करने और लॉजिस्टिक्स (उत्पादों को एक से दूसरी जगह ले जाना) क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिली।

### विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार

डब्ल्यूटीओ में एकतरफा फैसलों, खास तौर पर अमेरिका और चीन के इस तरह के रुख के कारण इसमें सुधार को लेकर बहस तेज हो गई है। विकसित देशों की मांग है कि भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों को अब 'विकासशील देशों' का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, और उनसे विशेष और अलग तरह की सुविधाएं (एसएंडडीटी) वापस ली जानी चाहिए। एसएंडडीटी के सिद्धांत गैट में दर्ज हैं और इन्हें विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली में शामिल किया गया है। ये सुविधाएं विकासशील देश और कम विकसित देश की अवधारणा पर आधारित हैं, जो विकास संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जिन्हें बाहरी प्रतिस्पर्धा से मुकाबले के लिए खास मदद की जरूरत है। भारत ने विकसित देशों की इस मांग का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि विकासशील देशों के विकास का स्तर, विकसित देशों के मुकाबले काफी नीचे है और दोनों देशों को एक ही दायरे में रखना उचित नहीं है। विकासशील देशों के लिए एक और चुनौती बहुपक्षीय समूहों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के एजेंडे में नए मुद्दों को आगे बढ़ाना है। इन मुद्दों में ई-कॉमर्स, निवेश को सुगम बनाने, एमएसएमई आदि के लिए नियम बनाना भी शामिल है। भारत और बाकी विकासशील देशों के लिए दोहा दौर की वार्ता बेनतीजा रही। नए मुद्दों की वजह से 'विकास' का एजेंडा कमजोर पड़ने का खतरा होता है। भारत को एसएंडडीटी के सिद्धांतों और डब्ल्यूटीओ के विकास केंद्रित एजेंडा से समझौता किए बिना व्यापार संगठन में सुधार को लेकर संतुलित रवैया अख्तियार करने की जरूरत है।

### टैरिफ (सीमा शुल्क) और गैर-टैरिफ बाधाएं

व्यापार संबंधी नीतियां बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि टैरिफ और गैर-टैरिफ वाले नियमों का व्यापार पर क्या असर होता है। ऊंचा टैरिफ रखने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने और देश का राजस्व बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने हर तरह के उत्पाद के लिए सीमा शुल्क दरों की सीमा तय की थी। विकसित देशों को 99 प्रतिशत मामले में अपना शुल्क को 5 प्रतिशत से कम रखना था और विकासशील देशों को 98 प्रतिशत मामलों में ऐसा करना था। हालांकि, उन्हें अधिकतम दरों के मामले में अलग-अलग स्लैब तय करने की छूट दी गई। सदस्य देश अपनी प्राथमिकताओं की सूची तैयार कर गैट के अनुच्छेद 1 के आधार पर किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानि सर्वाधिक तरजीह वाला देश का दर्जा देते हैं। विकासशील और कम विकसित देशों के लिए यह सहूलियत जरूरी मानी जा रही थी, ताकि कुछ उत्पादों के आयात में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से विश्व व्यापार में पैदा हुई उथलपुथल से निपटा जा सके। भारत ने विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क को काफी हद तक घटाया है। 1990 के दशक में जहां यह दर औसतन 100 प्रतिशत थी, वहीं औद्योगिक उत्पादों के मामले में यह दर औसतन 15 प्रतिशत और कृषि उत्पादों के लिए 25 प्रतिशत है। कुछ चीजों को खुला सामान्य लाइसेंस प्रणाली के तहत रखा गया और 2005 में आखिर इन्हें मुक्त कर दिया गया।

व्यापार को लेकर होने वाली बातचीत और चर्चा में टैरिफ का खेल भ्रम पैदा करने वाला होता है। विकसित देश टैरिफ में कटौती का दावा करते हैं, लेकिन वे मानकों, नियमन, लाइसेंस, बंदरगाह से जुड़ी पाबंदियों जांच आदि की आड़ में गैर-टैरिफ बाधाएं खड़ी कर देते हैं। इसका मकसद दूसरे देशों के उत्पादों को अपने देश में आने से रोकना और घरेलू उद्योग की रक्षा करना होता है। स्वच्छता और व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए हुए विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में मानकों को लेकर नियम तय हुए, लेकिन ये नियम लागू नहीं हुए हैं। चूंकि डब्ल्यूटीओ में मानक स्वैच्छिक हैं, लिहाजा कई देश गैट

के अनुच्छेद 20 में चीज़ें स्पष्ट नहीं होने का फायदा उठाते हैं, जिसके तहत सरकार को मानव, पशु, पौधों के जीवन या सेहत की रक्षा के लिए आयात को नियंत्रित करने की अनुमति है। हालांकि, इसमें संरक्षणवाद की आड़ में ऐसा नहीं करने की नसीहत भी दी गई है। विकासशील देशों के लिए इन ऊंचे मानकों पर खरा उतरना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इससे लागत काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा, बार-बार मुद्दे बदल जाने की वजह से चुनौतियां बढ़ जाती हैं। व्यापार को लेकर होने वाली वार्ताओं में वैश्विक व्यापार की इन बाधाओं से निपटने के लिए पहल जरूरी है।

### विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी

आजादी के समय यानि 1947 में दुनिया भर में होने वाले निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत थी और 1983 में यह घटकर 0.5 प्रतिशत हो गई। साल 2000 में इसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली और यह आंकड़ा 0.7 प्रतिशत पर पहुंच गया। फिलहाल, दुनिया भर के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7 प्रतिशत है। जानकारों की मानें तो निर्यात में हिस्सेदारी कम होने की वजह भारत की आर्थिक नीतियों का दशकों तक बाकी देशों से पूरी तरह से अलग-थलग रहना है। हालांकि, साल 1991 में भारत में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद से निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई। इसके उलट, जापान, कोरिया, चीन और यहां तक कि आसियान देशों की विश्व व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी है। दरअसल, इन देशों में शुरू से ही उदारवादी आर्थिक नीतियां थीं और निर्यात पर भी काफी जोर था। साल 2000 में भारत का कुल व्यापार 103 अरब डॉलर था (43 अरब डॉलर का निर्यात और 60 अरब डॉलर का आयात) और 2010 में यह बढ़कर 528 अरब डॉलर (201 अरब डॉलर का निर्यात और 327 डॉलर का आयात) हो गया। इसके बाद, 2019-20 में यह आंकड़ा 787 अरब डॉलर (313 अरब डॉलर का निर्यात और 437 अरब डॉलर का आयात) रहा। भारत के प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों में अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। चीन के साथ लगातार बढ़ता घाटा भारत के लिए चिंताजनक बात है। चीन गलत व्यापारिक तौर-तरीकों के जरिए जानबूझकर भारत में बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों को इकट्ठा कर रहा है। भारत दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। साल 2019-20 के दौरान इस क्षेत्र में उसका कुल व्यापार 25.7 अरब डॉलर रहा और इसमें निर्यात की हिस्सेदारी 22.8 अरब डॉलर रही। विश्व बैंक के एक समूह द्वारा 2018 में किए गए अध्ययन के मुताबिक, अगर दक्षिण एशिया में व्यापार से जुड़ी नियामकीय बाधाओं को कम किया जाए, तो इस क्षेत्र में व्यापार में तीन गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। भारत की निर्यात उत्पाद से जुड़ी प्रोफाइल पिछले कुछ साल में कमोबेश स्थिर रही है। निर्यात से जुड़े उत्पादों में पेट्रोलियम उत्पाद, जेम्स और ज्वैलरी, मशीनरी, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा आदि शामिल हैं। मूल्य संवर्द्धित उत्पादों और अन्य आइटम को निर्यात सूची का हिस्सा बनाने से भारत को वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वैश्विक व्यापार में

सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यापार की अहमियत बढ़ गई है। तकनीक और वैश्विक स्तर पर कुशल मानव संसाधनों की आवाजही सुगम होने से सेवा क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिला है। देश के जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से भी ज्यादा है। ज्यादातर विकसित देशों की आर्थिक संरचना में भी सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी का आंकड़ा भारत के आसपास ही है। पिछले दो दशकों में भारत से सेवाओं के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साल 2019 में भारत से सेवाओं का निर्यात 214 अरब डॉलर और आयात 128 अरब डॉलर रहा। दुनिया भर में आईटी पेशेवरों की कुल मांग के 40 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति भारत करता है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर सेवा से जुड़े व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज 2.6 प्रतिशत है और इसका दायरा मुख्य तौर पर आईटी और इससे संबंधित सेवाओं तक सिमटा हुआ है। सेवा क्षेत्र के कारोबार में विविधता लाने के लिए सरकार ने 12 प्रमुख सेवाओं की पहचान कर इसके लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। रोज़गार सृजन में इसकी उपयोगिता को देखते हुए भी यह पहल की गई है। फिलहाल, उत्पाद और सेवाओं समेत भारत का कुल व्यापार 1,129 अरब डॉलर है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 42 प्रतिशत है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बाहरी संपर्कों को मजबूत और प्रभावी बनाना होगा।

इस सिलसिले में वैश्विक मूल्य शृंखला और मुक्त व्यापार समझौता अहम टूल हैं।

## वैश्विक मूल्य शृंखला

वैश्विक मूल्य शृंखला या आपूर्ति शृंखला उत्पादों की प्रक्रिया के उन अलग-अलग हिस्सों को दिखाती है, जहां तकनीक, कौशल, पूंजी और निवेश नीतियों के कारण ऊंचे स्तर का परिशोधन और विशेषज्ञता जरूरी हो गई है। इससे यह पता चलता है कि कंपनियां दुनिया भर के स्त्रोतों और संसाधनों से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल और अन्य जरूरी उत्पाद खरीदती हैं। यह प्रक्रिया विनिर्माण के पारंपरिक तौर-तरीकों से अलग है, जहां कच्चा माल और तैयार उत्पाद एक ही देश में बनाया जाता है। वैश्विक मूल्य शृंखला की मदद से उत्पादों की लागत कम हो जाती है और वैश्विक बाजारों में तैयार उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलती है। इस तरह व्यापार को फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। किसी देश की खुली व्यापार और निवेश नीतियां स्वाभाविक तौर पर वैश्विक मूल्य शृंखला को आकर्षित करती हैं। देश के कुछ क्षेत्रों खासतौर पर फार्मा, ऑटो और टेक्सटाइल को वैश्विक मूल्य शृंखला से जोड़ा जा चुका है, जबकि चीन, जापान, कोरिया, सिंगापुर आदि में यह प्रचलन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है और इन देशों के उत्पाद वैश्विक बाजार में बेहद सफल साबित हो रहे हैं।

### मुक्त व्यापार समझौते

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), वैश्विक मूल्य शृंखला के बेहतर संचालन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं। आपूर्ति शृंखला नेटवर्क के तौर पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए सहयोगी देश एफटीए के तहत बेहतर निवेश माहौल का फायदा उठाते हैं। सफल मुक्त व्यापार समझौता दोनों सहयोगी देशों के लिए फायदेमंद होता है। यह न सिर्फ बाजार उपलब्ध कराने, बल्कि निवेश, तकनीक और सेवाओं के जरिये जुड़ाव स्थापित करने के लिहाज से भी काफी बेहतर है। गैट का अनुच्छेद 24 सदस्य देशों को द्विपक्षीय/क्षेत्रीय प्राथमिकता व्यापार समझौता करने की अनुमति देता है, ताकि व्यापार नियमों में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि, यह प्रावधान गैट के अनुच्छेद 1 के हिसाब से अनुचित है जिसमें सभी देशों के साथ एक जैसा व्यापारिक संबंध रखने की बात भी कही गई है।

पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार समझौतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दौरान 450 एफटीए/पीटीए पर हस्ताक्षर हुए और 180 एफटीए/पीटीए के लिए प्रक्रिया जारी है। इन समझौतों में विश्व व्यापार संगठन के दो तिहाई सदस्य देश शामिल हैं। भारत ने 16 एफटीए/पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, 20 और ऐसे समझौतों के लिए प्रक्रिया जारी है। भारत ने जापान, कोरिया, सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किया है, जबकि साफ्टा, आसियान, आपटा आदि समूहों के साथ क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

**आजादी के समय यानि 1947 में दुनिया भर में होने वाले निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत थी और 1983 में यह घटकर 0.5 प्रतिशत हो गई। साल 2000 में इसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली और यह आंकड़ा 0.7 प्रतिशत पर पहुंच गया। फिलहाल, दुनिया भर के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7 प्रतिशत है। जानकारों की मानें तो निर्यात में हिस्सेदारी कम होने की वजह भारत की आर्थिक नीतियों का दशकों तक बाकी देशों से पूरी तरह से अलग-थलग रहना है। हालांकि, साल 1991 में भारत में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद से निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई।**

भारत पारंपरिक तौर पर मुक्त व्यापार समझौतों के जरिये अर्थव्यवस्था को खोलने को लेकर ज्यादा उदार नहीं रहा है। इसकी वजह घरेलू उद्योग को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। हालांकि, पिछले 10 साल के व्यापार संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि एफटीए वाले सहयोगी देशों के साथ भारत के व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जबकि व्यापार घाटा स्थिर रहा या इसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। किसी देश या क्षेत्र के साथ व्यापारिक समझौते नहीं करना, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल, एफटीए से जुड़े देश जब जीरो शुल्क पर अपने सहयोगी देशों के साथ व्यापार करेंगे, तो इससे बाजार में भारत की हिस्सेदारी कम होगी। इसलिए, एफटीए समझौते में सहयोगी देश के साथ (एक-दूसरे देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर) लंबे समय तक उत्पादों व सेवाओं को टैरिफ मुक्त रखना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, भारत में कपड़ा, केमिकल, ऑटोमोबाइल, दवा आदि क्षेत्रों की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है, लिहाजा इन क्षेत्रों में टैरिफ को तुरंत हटाना फायदेमंद हो सकता है। साथ ही, सेवाओं से जुड़े कारोबार में भारत की दिलचस्पी काफी तेजी से बढ़ी है। अतः, सेवा क्षेत्र में पेशेवरों के लिए गुंजाइश बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी तरह, एफटीए के रास्ते निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

### निष्कर्ष

भारत में व्यापार के लिए नीतियां तैयार करते वक्त व्यापक और दीर्घकालिक सोच को ध्यान में रखना जरूरी है। व्यापार घाटा के मुकाबले व्यापार में बढ़ोतरी ज्यादा अहम है। व्यापार में किसी लाभ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। आखिरकार, किसी उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत से ही बाजार में उसके टिकने की संभावना तय होती है। व्यापार, निवेश, सेवा और तकनीक के बीच की कड़ियों को समझने में वैश्विक मूल्य शृंखला की भूमिका अहम है। निवेश के जरिये तकनीक आती है। सस्ती और प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है। विनिर्माण का तौर-तरीका भी अब बदल गया है और अब यह काफी हद तक सेवा क्षेत्र पर भी निर्भर हो गया है। ऐसे में बेहतर सेवाएं मुहैया कराने का असर व्यापार के वॉल्यूम पर दिखेगा। आने वाले समय में व्यापार की तकनीक बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगी। मशीन लर्निंग, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, इंटरनेट आधारित उत्पादन, ईकॉमर्स आदि वैश्विक व्यापार पर काफी हद तक असर डालेंगे। व्यापार के सिलसिले में वैश्विक स्तर पर हो रहे इन बदलावों को देखते हुए भारत को भी व्यापक नजरिये के साथ रणनीति बनानी होगी। ■

# अंतरराष्ट्रीय व्यापार

अजय श्रीवास्तव

**मुख्य तौर पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनावों और इनके परिणामस्वरूप संरक्षणवादी कदमों में वृद्धि की वजह से पिछले कुछ साल व्यापार के लिये अच्छे नहीं रहे हैं। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर में उत्पादन और उपभोग घटा है। इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार को अवरुद्ध कर दिया है।**

पिछले 200 वर्षों में व्यापार में 6000 गुना इजाफा हुआ है। यह पिछले 70 साल में 1950 में 64 अरब अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) से बढ़ कर मौजूदा समय में 250 खरब यूएसडी का हो चुका है। व्यापार में हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में औसतन 1.5 गुना वृद्धि हुई है। आइये देखते हैं कि मौजूदा वैश्विक व्यापार का परिमाण और स्वरूप क्या है।

2019 में विश्व भर में 189 खरब यूएसडी की वस्तुओं और 60 खरब यूएसडी की वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात हुआ। विश्व के 910 खरब यूएसडी के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 27.3 प्रतिशत हिस्सा निर्यात का होता है। एक देश का निर्यात किसी दूसरे के लिये आयात होता है। इस तरह देखें तो विश्व की जीडीपी का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा निर्यात और आयात, यानी व्यापार का है। इन आंकड़ों से वैश्विक मामलों में व्यापार के महत्व को समझा जा सकता है। आयात के मूल्य में भाड़ा और बीमा शुल्कों को भी शामिल किया जाता है। इसलिये इसका मूल्य निर्यात की तुलना में कुछ ज्यादा होता है।

लेखक भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी हैं। ईमेल: sajay@nic.in

यहां हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किन उत्पादों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है तथा सबसे बड़े खरीददार और विक्रेता कौन से देश हैं।

विश्व भर में जिन 10 उत्पादों का सबसे ज्यादा व्यापार होता है वे हैं- बिजली की मशीनें और उपकरण (27 खरब यूएसडी), कंप्यूटर समेत मशीनरी (22 खरब यूएसडी), तेल समेत खनिज ईंधन (21 खरब यूएसडी), वाहन (15 खरब यूएसडी), फार्मास्यूटिकल (637 अरब यूएसडी), बेशकीमती पत्थर और धातु (630 अरब यूएसडी), प्लास्टिक और उससे बने सामान (626 अरब यूएसडी), ऑप्टिकल, तकनीकी और चिकित्सा उपकरण (614 अरब यूएसडी), कार्बनिक रसायन (419 अरब यूएसडी) तथा लोहा और इस्पात (637 अरब यूएसडी)।

वस्तुओं के पांच सबसे बड़े निर्यातक देश हैं- चीन (25 खरब यूएसडी), अमेरिका (17 खरब यूएसडी), जर्मनी (16 खरब यूएसडी), जापान (738 अरब यूएसडी) और दक्षिण कोरिया (605 अरब यूएसडी)। भारत वस्तुओं के 313 अरब यूएसडी के निर्यात के साथ विश्व में 19वें नंबर पर है।

वस्तुओं के पांच सबसे बड़े आयातक देश हैं- अमेरिका (25 खरब यूएसडी), चीन (20 खरब यूएसडी), जर्मनी (12 खरब यूएसडी), जापान (720 अरब यूएसडी) और इंग्लैंड (692 अरब यूएसडी)। इस सूची में भारत 473 अरब यूएसडी के आयात के साथ दसवें स्थान पर है।

तालिका- 1 में तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक उत्पादन और निर्यात में हिस्सेदारी के बारे में जानकारी दी गयी है। इस तालिका में हम देख सकते हैं कि चीन कई वस्तु समूहों के वैश्विक उत्पादन और निर्यात में अमेरिका और भारत, दोनों से आगे है।

## वैश्विक व्यापार में वृद्धि के कारण

दूसरे महायुद्ध के बाद वैश्विक व्यापार में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। संचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकास तथा दुनिया भर में स्वीकार्य व्यापार नियमों का निर्धारण इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने दुनिया भर में स्वीकार्य व्यापार नियमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनसे उत्पादन प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग तथा अंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्कों और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) की स्थापना में मदद मिली है। इन सब के परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) का उदय हुआ है। मौजूदा समय में वैश्विक व्यापार का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा एमएनसी के बीच ही होता है।

तालिका-1

| क्र. सं. | क्षेत्र | वैश्विक उत्पादन और निर्यात में हिस्सा (प्रतिशत में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अमेरिका | | चीन | | भारत | |
| | | उत्पादन | निर्यात | उत्पादन | निर्यात | उत्पादन | निर्यात |
| 1. | कपड़ा | 7.1 | 6.8 | 43.9 | 32.2 | 6.9 | 5.6 |
| 2 | सिले-सिलाये वस्त्र | 2.7 | 1.4 | 37.9 | 31.7 | 2.2 | 3.8 |
| 3. | चमड़ा और संबंधित उत्पाद | 2.0 | 2.2 | 40.2 | 31.2 | 2.6 | 2.3 |
| 4. | कागज और संबंधित उत्पाद | 21.3 | 9.7 | 20.3 | 10.9 | 1.2 | 1.0 |
| 5. | रसायन और संबंधित उत्पाद | 18.5 | 8.6 | 22.8 | 4.7 | 2.9 | 2.1 |
| 6. | फार्मास्यूटिकल | 20.5 | 8.2 | 13.2 | 1.5 | 3.3 | 2.4 |
| 7. | रबर और प्लास्टिक उत्पाद | 17.3 | 9.5 | 14.8 | 12.1 | 2.3 | 1.3 |
| 8. | इस्पात और अन्य धातु | 8.7 | 5.2 | 39.8 | 12.9 | 5.6 | 2.2 |
| 9. | कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स | 21.7 | 7.9 | 26.0 | 21.9 | 0.6 | 0.4 |
| 10. | मशीनरी और उपकरण | 15.1 | 9.4 | 21.1 | 19.0 | 1.7 | 0.9 |
| 11. | फर्नीचर | 21.5 | 4.2 | 11.5 | 37.5 | 0.6 | 0.6 |

*स्रोत: यूएनआईडीओ की औद्योगिक सांख्यिकी-2018 अंतरराष्ट्रीय वार्षिकी और व्यापार मैप*

डब्ल्यूटीओ में फैसले करने की रफ्तार बहुत धीमी रही है। लिहाजा बड़ी संख्या में देश व्यापार उदारीकरण के लिये द्विपक्षीय या छोटे समूहों के अंदर मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने के लिये प्रेरित हुए हैं। एफटीए कई देशों की व्यापार रणनीति का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं। एफटीए दो या इससे ज्यादा देशों के बीच ऐसी व्यवस्था है जिसमें वे साझीदार मुल्कों से आयात के एक बड़े हिस्से से प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क अवरोधों को हटाने पर सहमत होते हैं।

वर्तमान में दुनिया भर में 300 से ज्यादा एफटीए लागू हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा एफटीए पर बातचीत चल रही है। भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के राष्ट्रों, जापान, दक्षिण कोरिया तथा आसियान के देशों समेत अनेक मुल्कों के साथ 10 एफटीए और छह छोटे वितान वाले समझौते किये हैं। इसके साथ ही वह 22 नये एफटीए या मौजूदा समझौतों के विस्तार के बारे में बातचीत कर रहा है।

एफटीए से सिर्फ अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों वाले उत्पादों की ही बाजार में पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।

## कोविड 19 का प्रभाव

डब्ल्यूटीओ ने अप्रैल, 2020 में चेतावनी दी थी कि कोविड 19 की वैश्विक महामारी की वजह से इस साल वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में 13 से 32 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। वर्ष 2020 में लगभग सभी देशों के व्यापार में गिरावट आयेगी। उत्तर अमेरिका और एशिया से निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। वैश्विक महामारी को देखते हुए परिवहन और यात्रा पर प्रतिबंधों के कारण सेवाओं का व्यापार सबसे ज्यादा सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है।

## भारत का व्यापार परिदृश्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत के वस्तु व्यापार के आंकड़ों पर एक नजर डालें। वर्ष 1947-48 में देश से निर्यात 403 करोड़ रुपये का था जो 389 करोड़ रुपये के आयात से ज्यादा है। वर्ष 1991-92 में निर्यात 17.8 अरब यूएसडी और आयात 19.4 अरब यूएसडी का रहा। वर्ष 2001-02 में निर्यात 43.8 अरब यूएसडी और आयात 51.4 अरब यूएसडी तक पहुंच गया। वर्ष 2010-11 में निर्यात 249.8 अरब यूएसडी और आयात 369.7 अरब यूएसडी का रहा। इसी तरह 2019-20 में 473.9 अरब यूएसडी के आयात की तुलना में देश से 313.2 अरब यूएसडी का निर्यात हुआ। इन वर्षों में निर्यात की वृद्धि दर जीडीपी की तुलना में तेज रही है (तालिका- 2 देखें)।

## भारत की व्यापार संवर्द्धन व्यवस्था

सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाये हैं। इनमें प्रचालन तंत्र में सुधार, व्यवसाय सुगमता, सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, कौशल विकास तथा निर्यात संवर्द्धन के लिये किये गये उपाय शामिल हैं। जरा एक नजर इन महत्वपूर्ण पहलकदमियों पर डालते हैं।

## बुनियादी संरचना

बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आयात शुल्क केन्द्रों, कंटेनर डिपो और कंटेनर ढुलाई प्रतिष्ठानों के कामकाज की क्षमता में सुधार के लिये अनेक परियोजनाएं चलायी जा रही हैं। सागरमाला योजना का मकसद स्वदेशी व्यापार और निर्यात-आयात के प्रचालन तंत्र के खर्च को घटाना है। इसी तरह भारतमाला परियोजना के तहत देश भर में राजमार्गों के जरिये माल ढुलाई और यात्री परिवहन को ज्यादा सुगम बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

तालिका-2

| वेरिएबल | 2018-19 | 2019-20 | वृद्धि (प्रतिशत) | विश्व व्यापार 2018 में हिस्सा (प्रतिशत) | वैश्विक रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| **निर्यात** | | | | | |
| वस्तु | 330.1 | 313.2 | -5.1 | 1.7 | 19 |
| सेवा | 208.0 | 213.2 | 2.5 | 3.5 | 8 |
| योग | 538.1 | 526.4 | -2.2 | 2.1 | |
| **आयात** | | | | | |
| वस्तु | 514.1 | 473.9 | -7.8 | 2.6 | 10 |
| सेवा | 126.1 | 128.3 | 1.8 | 3.2 | 10 |
| योग | 640.2 | 602.2 | -5.9 | 2.7 | |
| कुल (आयात+निर्यात) | 1178.3 | 1128.6 | -4.2 | | |

2018 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का निर्यात (वस्तु+सेवा): 19.5 प्रतिशत
2018 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वस्तु+सेवा का भारत का कुल व्यापार (निर्यात+आयात): 44.8 प्रतिशत

संस्थाएं

महत्वपूर्ण देशों में भारत के वाणिज्य मिशन व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्र आधारित निर्यात संवर्द्धन परिषदें, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ और अनेक व्यापार संघ रोजमर्रा के और विकास से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिये निर्यातकों के साथ मिल कर काम करते हैं। निर्यात और गारंटी निगम बीमा सुविधा प्रदान करता है तथा निर्यात-आयात बैंक खास देशों में दीर्घावधि परियोजनाओं के लिये लंबे समय का ऋण मुहैया कराता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी कार्यक्रम देश की चाय, मसाले और आयुर्वेदिक उत्पादों जैसी वस्तुओं तथा योग, वेलनेस और स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न सेवाओं को सक्रियता से बढ़ावा देता है। भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों को सक्रिय हिस्सेदार बनाने के मकसद से व्यापार विकास और संवर्द्धन परिषद का गठन किया गया है। व्यापार बोर्ड (बीओटी) भारत के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिये उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों के साथ मिल कर काम करता है।

## व्यवसाय सुगमता और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलकदमियां

सरकार देश से निर्यात की प्रक्रिया के सरल बनाने की जरूरत के प्रति जागरूक है। निर्यात और आयात को मंजूरी देने के समय और खर्च को घटाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। अब तक अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या निर्यात के लिये सात और आयात के वास्ते 10 थी। लेकिन अब निर्यात और आयात दोनों के लिये सिर्फ तीन अनिवार्य दस्तावेजों की जरूरत होती है। बड़े बंदरगाह, आयात शुल्क केन्द्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) से जुड़े हुए हैं। आयात शुल्क विभाग ने व्यापार सुगमता के लिये एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) की शुरुआत की है। इसके जरिये भागीदार सरकारी एजेंसियों की मंजूरी की प्रक्रिया को एक जगह लाकर इनका समावेशन किया गया है।

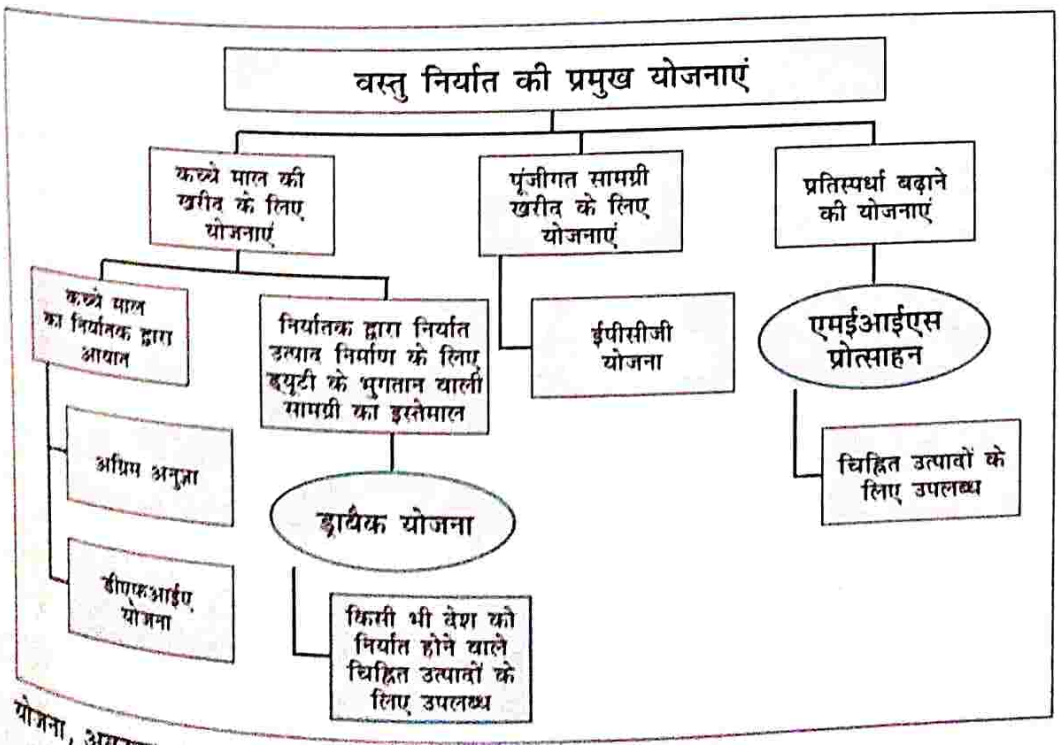

डीजीएफटी सुरक्षित ईडीआई संदेश प्रणाली के माध्यम से आयात शुल्क विभाग, बैंकों और ईपीसी के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान करता है। इससे निर्यातकों को डीजीएफटी के साथ प्रत्यक्ष तौर पर संपर्क करने की जरूरत कम पड़ती है।

उद्यमियों में निर्यात के लिये कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2013 में शुरू किये गये निर्यात बंधु कार्यक्रम के तहत डीजीएफटी ने अब तक छोटे और मझोले उपक्रमों, औद्योगिक समूहों और लघु निर्यात कंपनियों के 90 हजार से ज्यादा कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। इस तरह वह स्टार्टअप इंडिया और कौशल भारत कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

इसके अलावा निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने तथा संचालन खर्च और समय घटाने के लिये कई नये उपाय किये जा रहे हैं।

## निर्यात प्रोत्साहन के लिये योजनाएं

डब्ल्यूटीओ ने अलग-अलग आयात शुल्क वाले देशों में समानता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। उसके नियम निर्यात के लिये उत्पादन के मकसद से विदेश से खरीद पर आयात शुल्क में छूट या उसकी वापसी की इजाजत देते हैं। माल और सेवा कर (जीएसटी) तथा आयात शुल्क की वापसी और निष्प्रभावन की योजनाएं इस जरूरत को पूरा करती हैं।

कारोबार पर ज्यादा खर्च भारतीय निर्यातकों के लिये एक बड़ी समस्या रहा है। ऋण, प्रचालन तंत्र और अन्य लेनदेन पर भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की तुलना में 12 से 15 प्रतिशत तक ज्यादा खर्च करना पड़ता है। भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) जैसी प्रोत्साहन योजनाएं उनके खर्चों को घटाती हैं। भारत की कुछ बड़ी निर्यात योजनाएं इस प्रकार हैं –

### 1. शुल्क वापसी/निष्प्रभावन योजनाएं

**क. कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी खरीद की योजनाएं-अग्रिम मंजूरी और आयात शुल्क वापसी योजनाएं**

- अग्रिम मंजूरी योजना : यह योजना कम-से-कम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्द्धन के साथ निर्यात उत्पाद बनाने के लिये विदेश से कच्चे माल की आयात शुल्क मुक्त खरीद की इजाजत देती है।
- शुल्क मुक्त आयात मंजूरी योजना : यह अग्रिम मंजूरी योजना की तरह ही है। लेकिन इसमें निर्यात के बाद आयात के लिये मंजूरी दी जाती है।
- आयात शुल्क वापसी योजना : इस योजना के तहत निर्यात के लिये उत्पाद बनाने के मकसद से विदेश से की गयी कच्चे माल की खरीद पर आयात और अन्य शुल्कों को सरकार वापस करती है।

**ख. पूंजीगत सामग्री की प्रतिस्पर्धी खरीद के लिये योजना**

निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामग्री (ईपीसीजी) योजना : यह योजना पूंजीगत सामग्री की विदेश से आयात शुल्क मुक्त खरीद की इजाजत देती है। इसकी एवज में निर्यातक को वचन देना होता है कि वह छह साल में उन्हीं या वैसी ही मशीनों से बने उत्पादों का निर्यात करेगा जिनकी कीमत बचाये गये आयात शुल्क की तुलना में छह गुना हो। यह उसके मौजूदा औसत निर्यात के स्तर के अलावा होना चाहिये।

### 2. प्रोत्साहन योजनाएं

क. भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस)

ख. भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)

सरकार एमईआईएस को जल्दी ही खत्म करने जा रही है। इसकी जगह निर्यात उत्पाद पर आयात शुल्क या कर वापसी योजना (आरओडीटीईपी) लायी जायेगी। इस बारे में घोषणा 2020 के बजट में की गयी है।

### 3. अन्य प्रमुख योजनाएं

क. निर्यात के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) जैसे खास क्षेत्र और शत-प्रतिशत निर्यात आधारित इकाइयां

ख. व्यापार मेलों में भाग लेने में सहायता के लिये बाजार पहुंच पहलकदमी के जरिये अतिरिक्त लाभ, निर्यात के लिये व्यापार की आधारभूत संरचना योजना (टीआईईएस) और समूह योजनाएं।

## आयात

भारत मुक्त व्यापार की नीति पर चलता है। देश में ज्यादातर वस्तुओं का आयात पूर्व अनुमति के बिना सिर्फ आयात शुल्क अदा

कर किया जा सकता है। आयात शुल्क उस अधिकतम सीमा के अंदर हैं जिस पर डब्ल्यूटीओ में सहमति हुई थी। साधारण औसत प्रभावी आयात शुल्क दर 13.9 प्रतिशत है। मानक दर 17.1 प्रतिशत है। पिछले साल 467 अरब यूएसडी का आयात और 110445 करोड़ रुपये का आधारभूत आयात शुल्क संग्रह हुआ था। इन आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्व की दृष्टि से अतिरिक्त आयात शुल्क दर सिर्फ 3.2 प्रतिशत होती है।

## भारतीय निर्यात का प्रतिष्ठान और उत्पाद संबंधी ढांचा

### 1. कमजोर प्रतिष्ठान स्तरीय ढांचा

भारत में सक्रिय निर्यातकों की संख्या एक लाख से अधिक है। लेकिन भारतीय निर्यात का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 2000 से कम निर्यातकों के जरिये होता है। दस हजार से कम निर्यातक भारतीय निर्यात में 85 प्रतिशत से ज्यादा योगदान करते हैं। इस तरह भारतीय निर्यात परिदृश्य पर कुछेक बड़े प्रतिष्ठानों और हजारों छोटे निर्यातकों का दबदबा है। मझोले आकार के प्रतिष्ठान सबसे ज्यादा उद्यमशील माने जाते हैं और विकसित देशों में निर्यात क्षेत्र पर उनका प्रभुत्व है। लेकिन भारत के निर्यात क्षेत्र में मझोले आकार के उद्यमों की मौजूदगी नगण्य है।

पेट्रोलियम परिशोधन, इस्पात, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों को छोड़ दें तो हमारे पास ज्यादा संख्या में स्मार्ट बड़े प्रतिष्ठान नहीं हैं। खाद्य, पेय, खनन, कागज उत्पाद, रसायन, कपड़ा और बिजली मशीनरी के क्षेत्रों में चोटी की 50 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का कुल कारोबार में निर्यात का हिस्सा 10 प्रतिशत से भी कम है।

दुनिया भर में ज्यादातर उत्पादन और निर्यात बड़े प्रतिष्ठान ही करते हैं। आम धारणा के विपरीत बड़े प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से छोटे और मझोले उपक्रमों (एसएमई) के विकास को बढ़ावा मिलता है। बड़े प्रतिष्ठान कलपुर्जों और मशीनरी की आपूर्ति के लिये एसएमई पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ बड़े प्रतिष्ठानों से कर्मियों, कौशल, प्रौद्योगिकी और कामकाज के सर्वश्रेष्ठ तौरतरीकों के प्रवाह से एसएमई को लाभ होता है। यह बात आंकड़ों से साबित होती है। देश में उत्पादन की 75 प्रतिशत गतिविधियां एसएमई में होती हैं। लेकिन उत्पादन में उनका हिस्सा सिर्फ 10 प्रतिशत है। इसलिये विश्वोन्मुख बड़े प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से एसएमई के विकास को भी बल मिलेगा।

### 2. निर्यात उत्पादों की सीमित प्रोफाइल

श्रेणी ए के उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, फैक्टरी मशीनरी और उच्च स्तरीय इंजीनियरी उत्पाद शामिल हैं। इस तरह के उत्पादों में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी सिर्फ 0.4 प्रतिशत है। श्रेणी ए के उत्पादों में हमारे पास ज्यादा विशेषज्ञता नहीं है। हमें कुछ बड़े भारतीय प्रतिष्ठानों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जरूरत है जो वृहत पैमाने पर उत्पाद और निर्यात गतिविधियां संचालित कर सकें।

भारत की श्रेणी बी के उत्पादों में वैश्विक हिस्सेदारी अच्छी खासी (4.1 प्रतिशत) है। वैश्विक निर्यात में हमारी हिस्सेदारी छोटे हीरों में 19.8 प्रतिशत, जेवरात में 12.9 प्रतिशत, चावल में 39.3 प्रतिशत, भैंस के मांस में 19.1 प्रतिशत और झींगा में 17.7 प्रतिशत है। अन्य उत्पाद कपड़ा (4.5 प्रतिशत), दवा, वाहनों के कलपुर्जे, समुद्री उत्पाद इत्यादि हैं। श्रेणी बी में विविधता का अभाव विकास की हमारी क्षमता को सीमित करता है। दवा और वाहनों के कलपुर्जे जैसे श्रेणी बी के कुछ उत्पादों में ज्यादा विशेषज्ञता की जरूरत होती है। मगर इस श्रेणी के ज्यादातर अन्य उत्पाद प्रौद्योगिकी की कम भूमिका वाले और श्रम आधारित हैं। वे प्रतिस्पर्धा और कम खर्च वाले देशों की ओर से कीमतों में कटौती से काफी प्रभावित होते हैं।

## भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिये सात रणनीतियां

1. इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बनिक रसायन, मशीनरी और दूरसंचार जैसे इस तरह उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का विस्तार किया जाये जिन्हें दुनिया सबसे ज्यादा खरीदती है। वैश्विक मूल्य शृंखला में उल्लेखनीय भागीदारी के लिये आयात शुल्क का सुविचारित ढांचा और बंदरगाहों पर तेज और बाधा मुक्त सेवा की व्यवस्था लगभग एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिये आयात शुल्क के ढांचे में सुधार, ज्यादा कार्यकुशल बंदरगाहों का निर्माण और ऑनलाइन प्रणालियों की दरकार है।
2. किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता से बचा जाना चाहिये। थोक दवा और सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्व, बिजली के उपकरण, रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान तथा रक्षा संबंधी उत्पादों के मामले में हमें आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है।
3. 'मेड इन इंडिया' के मानकों को परिभाषित कर इसे गुणवत्ता का मापदंड बनाया जाना चाहिये। इसके लिये डिजाइन स्टूडियो और नवाचार प्रयोगशालाओं के गठन तथा मानक और गुणवत्ता के ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।
4. बड़े उत्पाद प्रदर्शनी केन्द्र और बाजार खोले जायें। इससे छोटे प्रतिष्ठानों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विदेश गये बिना ऑर्डर हासिल करने में सहूलियत होगी।
5. व्यापार संबंधी वैसी जानकारियां मुहैया करायी जानी चाहिये जिन पर कार्यवाही संभव हो। कोई देश किसी उत्पाद को किस कीमत पर खरीद रहा है जैसी साधारण जानकारियां भी बहुत मददगार होती हैं।
6. सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। भारत का सेवा निर्यात सॉफ्टवेयर सेवाओं पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। भारत के सेवा निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सॉफ्टवेयर का ही है। सरकार ने सेवा निर्यात के विकेन्द्रीकरण के मकसद से सघन विकास के लिये 12 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य, चिकित्सा यात्रा, परिवहन और लॉजिस्टिक, लेखा और वित्त, ऑडियो विजुअल, कानूनी, संचार, निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरी, पर्यावरण, वित्त तथा शिक्षा सेवाएं शामिल हैं।
7. उत्पादन के खर्चों में कटौती के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। कच्चे माल पर ऊंचा आयात शुल्क, खर्चीला ऋण, असंतोषजनक बिजली आपूर्ति, समयसाध्य भूमि अधिग्रहण, करों की वापसी में देरी तथा कम उत्पादक श्रम शक्ति लागत को बढ़ाती है। इन सभी क्षेत्रों में आमूलचूल सुधार से ज्यादा प्रतिस्पर्धी उत्पादन और निर्यात क्षेत्रों की नींव पड़ेगी।

ऊपर वर्णित रणनीतियों पर ठोस कार्यवाही से उत्पाद और बाजार के स्तर पर हम ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे जिससे निर्यात और व्यापार में इजाफा होगा। ■

# विश्व व्यापार संगठन : आगे की राह

अभिजीत दास

महानिदेशक, विश्व व्यापार सगठन की भूमिका और इसके महत्व को इसके सदस्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संचालन के लिए बहुपक्षीय नियमों की एक व्यापक और सामान्य रूपरेखा प्रदान करने में डब्ल्यूटीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन में विभिन्न समझौतों के तहत नियमों के दायरे में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार शामिल है। इसके अलावा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के न्यूनतम मानक को निर्दिष्ट करता है, जिसका डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पालन किया जाना है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में आजकल अगला महानिदेशक (डीजी) चुनने की कवायद चल रही है। कुल 164 देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। ब्राजील के रॉबर्ट अजेवेडो ने 1 सितंबर, 2020 को इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह पद खाली पड़ा है। हालांकि, अभी उनका कार्यकाल पूरा होने में एक साल बाकी था। अजेवेडो का यह दूसरा कार्यकाल था। उनके उत्तराधिकारी के लिए विश्व व्यापार संगठन की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को बहाल करने और कई समझौतों पर सदस्य देशों के बीच सहमति करने जैसी चुनौतियां होंगी। इस लेख में हम उन उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पद की दौड़ में हैं। साथ ही, संक्षेप में डब्ल्यूटीओ के महत्व, महानिदेशक की भूमिका और भावी महानिदेशक के लिए मौजूद चुनौतियों के बारे में भी बात करेंगे।

लेखक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली में सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज़ के प्रमुख व प्रोफेसर हैं। ईमेल: headwto@iift.edu

नए महानिदेशक ऐसे वक्त में यह जिम्मेदारी संभालेंगे, जब विश्व व्यापार संगठन को कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इस वजह से संस्था की विश्वसनीयता भी कम हुई है। पहला, विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारा इकाई को निष्प्रभावी कर दिया गया है। दरअसल, अमेरिका ने इस अपीलीय संस्था के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यहां यह बताना जरूरी है कि संगठन के विवाद निपटारा तंत्र के तहत दो स्तरों पर काम होता है। अपीलीय संस्था डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी विवाद को निपटाने के लिए बनी समितियों के फैसलों से जुड़ी कानूनी व्याख्याओं के मामले में सुनवाई करती है। अपीलीय संस्था की सक्रियता के अभाव में डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के लिए ऐसा कोई कानूनी तंत्र नहीं है, जिसके जरिये वे अपने अधिकारों के लिए अपील कर सकें।

डब्ल्यूटीओ के सामने दूसरी चुनौती वार्ताओं से ठोस नतीजे हासिल करने को लेकर है। संगठन ने 2001 में दोहा में बहुपक्षीय व्यापार से जुड़ी बातचीत शुरू की थी। बातचीत की शुरुआत में विकासशील देशों की जरूरतों और हितों को केंद्र में रखा गया था। हालांकि, दो दशकों के बाद इस बातचीत का कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। मोटे तौर पर इस बातचीत की तीन उपलब्धियां हैं:

व्यापार सुविधा समझौते को अंतिम रूप देकर इसे लागू करना (इसका मकसद आयात-निर्यात प्रक्रियाओं में लाल फीताशाही को कम करना है), कृषि में निर्यात सब्सिडी को खत्म करना और कृषि के तहत 'शांति' खंड को शामिल करना। इस खंड को शामिल करने से विकासशील देशों की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग योजनाओं के लिए कानूनी चुनौतियों की मुश्किल खत्म हो गई है। बाकी ज्यादातर मुद्दों पर गतिरोध कायम है। साल 2015 में नैरोबी में डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में तो हालात और खराब हो गए। दरअसल, विकसित देशों ने दोहा दौर से जुड़े मुद्दों का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस वजह से बहुपक्षीय स्तर की यह वार्ता बाधित हो गई। हाल में डब्ल्यूटीओ के सामने एक और बड़ी चुनौती उभरकर सामने आई है। दरअसल, इससे जुड़े देश नियमों के

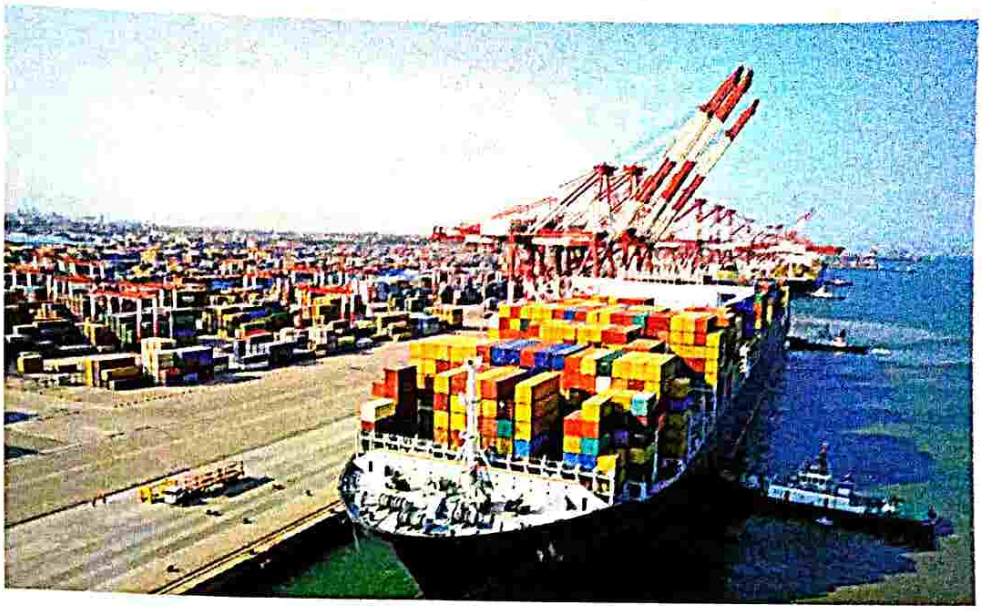

पालन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि डब्ल्यूटीओ का कानूनी दबाव और पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का नैतिक आग्रह कमजोर पड़ गया है। जाहिर तौर पर यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमजोर हुई है।

व्यापार के मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद इसका सटीक उदाहरण है। दोनों देश ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। इसकी नकल में डब्ल्यूटीओ के दूसरे अहम सदस्य भी नियमों को ताक पर रखकर आयात रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। डब्ल्यूटीओ नियमों के उल्लंघन के मामलों पर लगाम लगाए बिना इस संस्था का अस्तित्व कायम रहना मुश्किल

**पिछले तीन साल में 80 देशों ने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और निवेश सुविधा समेत अलग-अलग क्षेत्रों में अपने हिसाब से नियम पेश करने की कोशिश की है और यह भी विवाद की एक अहम वजह है। इन नियमों को डब्ल्यूटीओ से मंजूरी के बिना लागू किया जा रहा है। दरअसल, विकसित देश संयुक्त वक्तव्य पहल के तौर पर उन क्षेत्रों के लिए अपने पक्ष में नियम बनाना चाहते हैं, जहां वे आर्थिक और व्यावसायिक तौर पर मजबूत हैं।**

है। डब्ल्यूटीओ के क्षितिज पर मंडराता एक और खतरा विकसित देशों (खास तौर पर अमेरिका) का आक्रामक रवैया है जिसका मकसद भारत और कई अन्य विकासशील देशों को भविष्य में कुछ विशेष सुविधाओं (एसएंडीटी) से वंचित करना है। गैट में 1960 के दशक में विशेष एवं भिन्न उपाय (एसएंडडीटी) का प्रावधान लागू किया गया था। इसके लिए विकासशील देशों को काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस प्रावधान के तहत व्यापार संबंधी समझौतों में विकासशील और विकसित देशों के लिए एक तरह के मानक नहीं होने की बात है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि विकसित और विकासशील देशों के स्तर और मानकों में बड़ा अंतर है। डब्ल्यूटीओ समझौते के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, एसएंडडीटी के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के मुकाबले को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। अगर इस प्रावधान में ढील दी जाती है, तो इससे विकासशील देशों के लिए विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करना और मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, पिछले तीन साल में 80 देशों ने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और निवेश सुविधा समेत अलग-अलग क्षेत्रों में अपने हिसाब से नियम पेश करने की कोशिश की है और यह भी विवाद की एक अहम वजह है। इन नियमों को डब्ल्यूटीओ से मंजूरी के बिना लागू किया जा रहा है। दरअसल, विकसित देश संयुक्त वक्तव्य पहल के तौर पर उन क्षेत्रों के लिए अपने पक्ष में नियम बनाना चाहते हैं, जहां वे आर्थिक और व्यावसायिक तौर पर मजबूत हैं। हालांकि, इन क्षेत्रों में

कानूनी तौर पर बाध्यकारी नियमों से ज्यादातर विकासशील देशों को लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए इन देशों ने इस तरह की पहल से दूरी बना रखी है। बहरहाल, विकासशील देशों की मुख्य चिंता यह है कि संयुक्त वक्तव्य पहल से जुड़े देश तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही डब्ल्यूटीओ में कुछ क्षेत्रों में नए नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

रॉबर्ट अजेवेडो की जगह पाने यानि डब्ल्यूटीओ के नए महानिदेशक के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये सभी अलग-अलग पृष्ठभूमि के हैं और इनका कमोबेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ाव भी रहा है। मिस्र के अब्दुल्लामीद ममदोह (Mamdouh) भी मैदान में हैं जो डब्ल्यूटीओ सचिवालय में अहम पद पर थे। एक और उम्मीदवार, केन्या की अमीना मोहम्मद डब्ल्यूटीओ में अपने देश की राजदूत और फैसले लेने वाले वाली संस्था- जनरल काउंसिल की चेयरपर्सन रही हैं। इसी तरह, मेक्सिको के जीसस एस कुरी गैट (डब्ल्यूटीओ से पहले मौजूद संस्था) में अपने देश के राजदूत थे। इसके बाद वह गैट/डब्ल्यूटीओ में डिप्टी डायरेक्टर बन गए थे। मॉल्डोवा के टी उलियानोवएस्की भी महानिदेशक पद की दौड़ में हैं। वह डब्ल्यूटीओ में अपने देश के राजदूत रह चुके हैं।

नाइजीरिया की एन ओकोन्जो आईविएला ने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के तौर पर 25 साल काम किया है और वह भी इस मुकाबले में हैं। वह दो बार नाइजीरिया की वित्त मंत्री रहने के साथ-साथ विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। एक और उम्मीदवार, सऊदी अरब के मैजाद अल-तुवाजरी अर्थव्यवस्था और नियोजन मंत्री रह चुके हैं। दक्षिण कोरिया की यो म्यंग-ही भी महानिदेशक पद की दौड़ में हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा लंबा अनुभव है। वह कोरियाई सरकार में अधिकारी और मंत्री रह चुकी हैं। ब्रिटेन के लियाम फॉक्स ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वह ब्रिटिश सरकार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री रह चुके हैं।

अब सवाल यह है कि डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक का चुनाव किस तरह चुना जाता है? यह विडंबना ही कही जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों में पारदर्शिता को अहमियत देने वाले एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के महानिदेशक के चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। डब्ल्यूटीओ के जनरल काउंसिल के चेयरपर्सन की अगुवाई में चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। डब्ल्यूटीओ में न्यूजीलैंड के राजदूत जनरल काउंसिल के मौजूदा चेयरपर्सन हैं। चुनाव प्रक्रिया की देखरेख में उनकी मदद के लिए दो और राजदूत तैनात किए जाएंगे। ये दोनों राजदूत डब्ल्यूटीओ की दूसरी अहम इकाइयों के चेयरपर्सन हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक का चुनाव गोपनीय तरीके से किया जाता है। इसमें डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों को अलग-अलग चरणों में अपनी पसंद जाहिर करने का अवसर दिया जाएगा। सदस्य देशों की पसंद के आधार पर पहले दौर में 8 में से 3 उम्मीदवारों को अपनी दावेदारी वापस लेने को कहा जाएगा। यह गोपनीय प्रक्रिया दोहराई जाएगी और दूसरे दौर के बाद तीन उम्मीदवार इस मुकाबले से हट जाएंगे। तीसरे और अंतिम दौर में दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। चुने गए उम्मीदवार का महानिदेशक के तौर पर 4 साल का कार्यकाल होगा।

**आज के दौर में व्यावसायिक और आर्थिक मामले में एक-दूसरे देशों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। विभिन्न देशों के लिए नियमों और दिशा-निर्देश का ढांचा तय किए बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इस तरह के अहम ढांचे के बिना देशों को अपनी हर व्यापारिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय समझौते करने होंगे।**

जैसा कि पहले भी देखने को मिल चुका है, इस बार भी महानिदेशक के चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। नए महानिदेशक को इस चुनौती से भी निपटना होगा और तुरंत माहौल को नियंत्रित करना होगा। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक का पद विभिन्न देशों के बीच सौहार्द के लिए क्यों जरूरी है, महानिदेशक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? अब हम इन बातों पर गौर करेंगे।

आज के दौर में व्यावसायिक और आर्थिक मामले में एक-दूसरे देशों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। विभिन्न देशों के लिए नियमों और दिशा-निर्देश का ढांचा तय किए बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इस तरह के अहम ढांचे के बिना देशों को अपनी हर व्यापारिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय समझौते करने होंगे। जाहिर तौर पर यह बेहतर विकल्प नहीं है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत तय की गई सीमाएं सरकारों (खास तौर पर विकासशील देशों) को राष्ट्रीय विकास के लिए नीतियां बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आधार मुहैया कराती हैं। विभिन्न देशों के बीच बड़े दायरे में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के

नियमों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे नीतियों में लचीलापन के लिए गुंजाइश कम हुई है। अतः, डब्ल्यूटीओ में देशों द्वारा बनाए गए नियमों का देश के विकास की रफ्तार पर ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।

मोटे तौर पर डब्ल्यूटीओ के पांच काम हैं। पहला, इसके पास बहुपक्षीय व्यापार समझौतो को लागू करने, उस पर नजर रखने और उसके संचालन की जिम्मेदारी है। दूसरा, यह संस्था अपने नियमों के दायरे में सदस्य देशों को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए बातचीत का फोरम मुहैया कराती है। तीसरा, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को निपटाने के लिए तंत्र उपलब्ध कराती है। चौथा, डब्ल्यूटीओ व्यापार नीति की समीक्षा प्रणाली का संचालन करता है, जिसके तहत समय-समय पर इसके सदस्य देशों की व्यापार नीति की समीक्षा की जाती है। पांचवां, डब्ल्यूटीओ वैश्विक आर्थिक नीतियां को बेहतर बनाने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की मदद लेता है।

ऊपर जिन जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया है, उससे जुड़े सभी फैसले डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। इस अंतर-सरकारी संगठन के फैसले लेने की प्रक्रिया में डब्ल्यूटीओ सचिवालय की भूमिका अपेक्षित नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महानिदेशक की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है?

महानिदेशक ही डब्ल्यूटीओ सचिवालय के प्रमुख होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में महानिदेशक और सचिवालय के कर्मचारी किसी भी सरकार या डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर किसी प्राधिकार की सलाह या निर्देश का पालन नहीं करेंगे। महानिदेशक और सचिवालय के लिए सभी मामलों में निष्पक्ष बने रहना जरूरी है। महानिदेशक का प्रभाव और उनकी भूमिका इस पद की अहमियत और सम्मान से जुड़ी है। अगर महानिदेशक के पास डब्ल्यूटीओ के जटिल तकनीकी मुद्दों की जानकारी है, तो यह अतिरिक्त फायदे की तरह है। इसके अलावा, अब तक चली आ रही परंपरा के मुताबिक, महानिदेशक ही व्यापार समझौता कमेटी का प्रमुख होते हैं और उन पर बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं और समझौतों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के बीच विवाद को दूर करने के लिए महानिदेशक को अक्सर दखल देना पड़ता है। साथ ही, कई मामलों में गतिरोध पैदा होने की स्थिति में संबंधित पक्षों के बीच समझौता भी कराना पड़ता है।

इस भूमिका में महानिदेशक को सरकारों के मुखिया से भी बात करनी पड़ सकती है। अतः, इन तमाम जिम्मेदारियों को संभालने के लिए महानिदेशक के पास जबरदस्त कूटनीतिक कौशल होना जरूरी है। साथ ही, डब्ल्यूटीओ की बेहतरी के लिए फैसले लेने की प्रक्रिया में अहम राजनीतिक ताकतों की भूमिका और उनके इस्तेमाल के बारे में विस्तृत समझ भी जरूरी है।

अगर किसी संस्थान को लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहना है, तो उसे बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। यह बात डब्ल्यूटीओ पर भी लागू होती है। विकसित और विकासशील, दोनों श्रेणी के देशों ने डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अभी कोई ढांचागत तंत्र मौजूद नहीं है। अतः, जानकारों को आशंका है कि डब्ल्यूटीओ में सुधार महज विकसित देशों के लिए अपना एजेंडा आगे बढ़ाने यानि नए बाजारों पर कब्जा करने और नए क्षेत्रों में अपने हित के हिसाब से समझौते करने का माध्यम बनकर रह जाएगा। ऐसे में विकासशील देशों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के अपने लक्ष्यों के हिसाब से नीतियां बनाने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

नए महानिदेशक की प्राथमिकताओं में इन चुनौतियों से निपटना भी शामिल होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की अगली मंत्रिस्तरीय बैठक का एजेंडा तय करने में नए महानिदेशक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह बैठक 2021 में कजाकिस्तान में हो सकती है। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में ऊपर बताए गए कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे हर मुद्दे पर असहमति रखने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ बातचीत के जरिये आम-सहमति बनाकर समाधान पेश करने में महानिदेशक की अहम भूमिका हो सकती है। निश्चित तौर पर यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि महानिदेशक के पास जादू की छड़ी है, जिसके जरिये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से जुड़ी सभी समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा। हालांकि, वह समस्याओं को हल करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर सकते हैं और डब्ल्यूटीओ की अहम गतिविधियों को बहाल करने के लिए मतभेद रखने वाले पक्षों के बीच मध्यस्थता की गुंजाइश बनाई जा सकती है। अगले महानिदेशक किस तरह से इन चुनौतियों से निपटते हैं, उसी के आधार के डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता, साख और विश्वसनीयता को बहाल किए जाने के बारे में अनुमान लगाया जा सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय सत्ता की राजनीति की चुनौतियों से निपटते हुए ऐसी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे जो विकासशील देशों की आकांक्षाओं के अनुकूल हो। ■

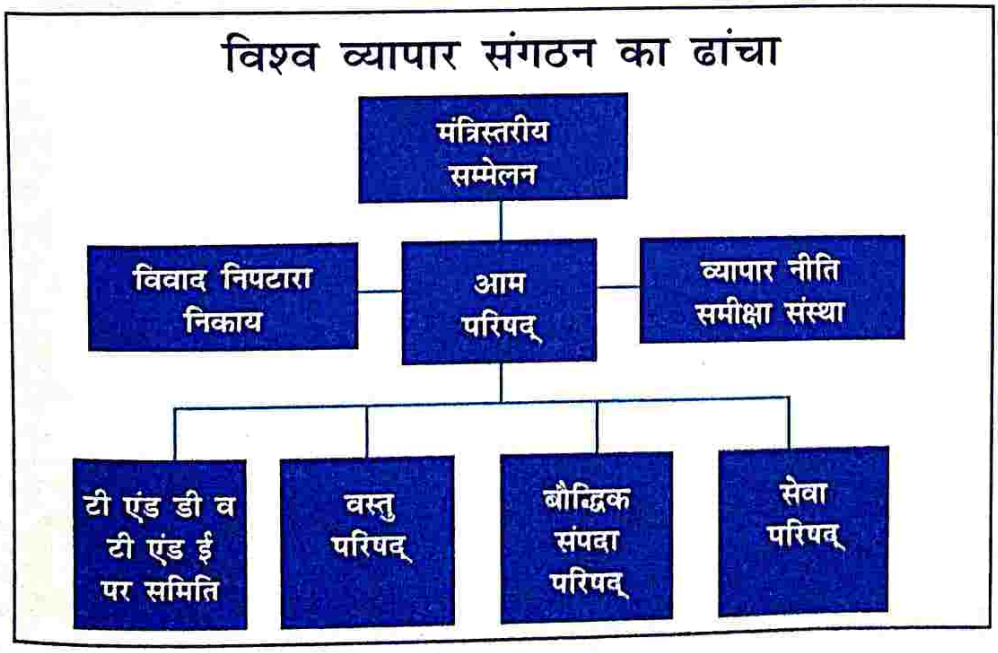

# भारत-अमेरिका : एच-1बी वीज़ा का मुद्दा

रूपा चन्दा

**एच-1बी वीज़ा का लेकर अमेरिका और भारत के विवाद की जड़ें सन् 2000 के बाद सेवाओं के व्यापार में दोनों देशों के महत्वपूर्ण संबंधों, खास तौर पर सॉफ्टवेयर सेवाओं के व्यापार में उनके महत्वपूर्ण संबंधों में खोजी जा सकती हैं। उस समय अमेरिका द्वारा जारी किये जाने वाले एच-1बी वीज़ा हासिल करने वालों में भारत के पेशेवर सूचना टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का वर्चस्व होता था। अप्रवासन और श्रम बाजार द्वारा जारी किये जाने वाले वीज़ा की अधिकतम संख्या निर्धारित करने, शुल्क, वीज़ा की आवश्यकता की जांच, योग्यताओं को मान्यता और इसी तरह की भेद-भाव वाली नीतियों के कारण भारत को मोड-4 किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे इसके सेवा प्रदाताओं के सीमा के आर-पार आने-जाने पर बुरा असर पड़ता है।**

आर्थिक उदारीकरण और 1991 से हो रहे संरचनात्मक सुधारों से भारत को विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचने तथा विश्व बाजार के साथ समन्वित होने में मदद मिली है। सेवाओं ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया के सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में 3.5 प्रतिशत था जबकि सामान का निर्यात 1.7 प्रतिशत था जिससे सेवाओं के निर्यात की सापेक्ष प्रतिस्पर्धी क्षमता का पता चलता है।[1] यह बात खास तौर पर उल्लेखनीय है कि भारत ने सूचना टेक्नोलॉजी (आई.टी.), बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त कर ली है, जो इस समय भारत से होने वाले सेवाओं के कुल निर्यात के 50 प्रतिशत से अधिक है।

भारत से सेवाओं के निर्यात की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह आपूर्ति के मामले में व्यापार और सेवाओं संबंधी आम समझौते (गैट्स) के मोड 1 (एक देश से दूसरे देश को सप्लाई) और मोड 4 (व्यक्तियों के आने-जाने) पर निर्भर है जिससे भारत में कम लागत पर कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता की के कारण कौशल और ज्ञान पर आधारित सेवाओं के व्यापार में उसकी ताकत का पता चलता है। विश्व व्यापार संगठन के सेवाओं के व्यापार के मोड यानी प्रकार आधारित ताजा वर्गीकरण के अनुसार भारत के सेवाओं के कुल निर्यात में करीब 61 प्रतिशत हिस्सा मोड 1 प्रकार की सेवाओं का, 21 प्रतिशत मोड 4 सेवाओं का और केवल 7 प्रतिशत मोड 2 और 3 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का है। डीजीसीआईएस के 2016-17 के आईसीटी सेवाओं संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार हालांकि मोड 4 से मोड 1 में बदलाव क्रमशः दिखाई दे रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग और सीमाओं के आर-पार डेटा के आवागमन को देखते हुए मोड 4 का महत्व बना हुआ है जिसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का हिस्सा 27 प्रतिशत है और उसके बाद इंजीनियरी, इससे संबंधित तकनीकी सेवाओं और तथा अनुसंधान और विकास का योगदान 17 प्रतिशत है।

विभिन्न प्रकार की कई सेवाओं में से मोड 4 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के महत्व को देखते हुए, खास तौर पर अत्यंत निर्यातोन्मुख आईसीटी सेवाओं (जिनका हिस्सा करीब तीन चौथाई है) और भारत के सेवा-निर्यात में उनकी आधे से अधिक की हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए मोड 4 की सेवाओं में बढ़ता संरक्षणवाद चिंता का विषय है। अप्रवास और श्रम बाजार संबंधी नियमों में के तहत वीज़ा देने की अधिकतम सीमा

लेखिका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक पीठ की प्रोफेसर हैं। ईमेल: rupa@iimb.ac.in

टेबल 1 : चीन द्वारा चुने हुए देशों को जारी एच1बी वीज़ा (संख्या और हिस्सा प्रतिशत में)

| | जारी किये गये एच1बी वीज़ा | | | | | विश्व में हिस्सा | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
| भारत | 61,530 | 53579 | 58,664 | 119,952 | 131,549 | 46.2 | 43.2 | 50.0 | 69.4 | 69.9 |
| चीन-मूख्यभूमि | 7,489 | 7113 | 11,242 | 18,306 | 28,483 | 5.6 | 5.7 | 9.6 | 10.6 | 15.1 |
| मैक्सिको | 2,404 | 2,505 | 2,494 | 2,894 | 2,754 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
| विश्व | 133,290 | 124,099 | 117,409 | 172,748 | 188,123 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

*स्रोत : USCIS*

तय करने, शुल्क, वीज़ा की आवश्यकता की जांच, योग्यताओं की मान्यता और इसी तरह की भेदभाव वाली नीतियों से भारत मोड 4 की सेवाओं में अधिकाधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे सेवा प्रदाताओं के देश से बाहर जाने पर असर पड़ रहा है।

अमेरिकी बाजार में भारत के सेवाओं से संबंधित निर्यात को बढ़ते संरक्षणवाद का सामना करना पड़ रहा है जिससे उसके विशेषज्ञता वाले व्यवसायों (एच-1बी वीज़ा धारकों) और कंपनियों में आंतरिक तबादलों (एल-1 वीज़ा धारकों) की गतिशीलता पर असर पड़ा है। इसका असर भारत की आईटी कंपनियों पर खास तौर पर पड़ा है जिन्हें अपने कर्मचारियों को थोड़े समय के लिए ऑन साइट तैनाती पर अमेरिका भेजना पड़ता है जिससे इस तरह का वीज़ा पाने वालों में से अधिकांश भारतीय होते हैं। इस बारे में विवाद उस समय गहरा गया जब भारत ने एच-1बी और एल-1 वीज़ा के शुल्क में जबरदस्त बढ़ोतरी को चुनौती देने के लिए मार्च 2016 में डब्लू.टी.ओ. में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में इसे भारतीय आईटी कंपनियों और कर्मियों के लिए भेदभावपूर्ण और विश्व व्यापार संगठन में मोड 4 की सेवाओं को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता के विरुद्ध बताया।

इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित चर्चा में भारत-अमेरिका सेवा व्यापार, खास तौर पर आईटी सेवाओं के व्यापार में मोड 4 के महत्व की जांच की गयी है। इसमें एच-1बी वीज़ा तथा अमेरिका और भारत के रवैये पर ध्यान केन्द्रित करते हुए हाल के वीज़ा विवाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है और एच-1बी संबंधी वीज़ा पाबंदियों में बढ़ोतरी के भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाले असर का आकलन किया गया है।

## विवाद की रूपरेखा

अमेरिका-भारत एच-1बी वीज़ा विवाद की शुरुआत दोनों देशों के सेवा संबंधी व्यापार में मोड 4 की सेवाओं के महत्व और वीज़ा कार्यक्रम को लेकर अनेक चिंताओं तथा आलोचनाओं में निहित है।

## भारत-अमेरिका व्यापार में मोड 4 का महत्व

2018 में भारत से आईटी और आईटी आधारित सेवाओं का निर्यात 126 अरब डॉलर का था जिसमें से 62 प्रतिशत अमेरिकी बाजारों को होता था। इसमें से 57 प्रतिशत हिस्सा आईटी सेवाओं का था जो आम तौर पर मोड 4 पर निर्भर हैं। 2017 में भारत बसने के इरादे के बिना अस्थायी रूप से काम के लिए अमेरिका आने वाले श्रमिकों और उनके परिजनों की कुल संख्या की दृष्टि से कनाडा और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर था और अमेरिका ने कुल 5,54,628 लोगों को इस तरह का वीज़ा दिया। इनमें एच-1बी वीज़ाधारक भारतीयों की संख्या 2,76,178 और एल1 वालों की 63,415 थी। यानी इन दो श्रेणियों के अंतर्गत अमेरिका जाने वाले विदेशियों में भारतीयों की संख्या क्रमश: 51 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत थी। 2007 और 2017 के बीच कुल मिलाकर 21,83,112 भारतीयों ने वीज़ा के लिए आवेदन किया जो आवेदन करने वालों की कुल संख्या का 64 प्रतिशत है और चीन से बहुत अधिक है जिसका हिस्सा 9 प्रतिशत रहा।

**अमेरिका के जनरल एकाउंटिंग ऑफिस ने इस बात पर गौर किया है कि एच-1बी कार्यक्रम पर लगाये जाने वाले नियंत्रण प्रभावी नहीं हैं और इनमें कमियों तथा इनके अमल में ढिलाई से वीज़ा धारकों और अमेरिकी श्रमिकों, दोनों का शोषण हुआ है।**

इन संख्याओं से एच-1बी और एल1 वीज़ा के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के पेशेवर विशेषज्ञों के माध्यम से भारत के कम्प्यूटर से संबंधित सेवाओं के निर्यात का पता चलता है और अमेरिका द्वारा जारी इन वीज़ा में से ज्यादातर एच-1बी वीज़ा होते हैं। अमेरिका में कम्प्यूटर सेवाओं की श्रेणी में दिये गये एच-1बी वीज़ा की संख्या 2001 और 2002 में भी क्रमश: 68 प्रतिशत और 63 प्रतिशत थी। इनफोसिस लिमिटेड, कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो लिमिटेड और आईबीएम इंडिया जैसी भारतीय कंपनियों को ज्यादातर एच-1बी वीज़ा दिये गये जबकि टाटा और कोग्निजेंट हाल में एल-1 वीज़ा कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वालों में शामिल थीं। सूचना टेक्नोलॉजी सेवाओं के अलावा मोड 4 तरीका भारत से अमेरिका को पेशेवर सेवाओं के निर्यात में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भारत स्वास्थ्य देखभाल, वास्तुशिल्प, इंजीनियरी और शैक्षिक सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं के लिए अर्ध कुशल कर्मियों को मोड 4 के जरिए अमेरिका भेजने वाले चोटी के पांच स्रोत देशों में प्रमुख है।

टेबल-1 में 2000-19 के दौरान अमेरिका द्वारा जारी एच-1बी वीज़ा प्राप्त करने वालों में भारत की प्रमुखता को दर्शाया गया है। 2019 में अमेरिका द्वारा जारी 70 प्रतिशत एच-1बी वीज़ा भारत के नागरिकों को मिले जबकि 2000 में इनका अनुपात 46.2 था। 2018 में एच-1बी के लिए जिन 10 शीर्ष कंपनियों के आवेदनों को स्वीकृत दी उनमें से 4 भारतीय कंपनियां थीं। लेकिन एच-1बी वीज़ा के लिए आवेदन करने वाली भारतीय आईटी कंपनियों के अस्वीकृति की दर अमरीकी कंपनियों के मुकाबले बढ़कर काफी अधिक हो गयी है।

## एच-1बी वीज़ा : सुधार

बीते वर्षों में एच-1बी वीज़ा से संबंधित कानूनों में जारी किये जाने वाले वीज़ा की अधिकतम संख्या तय करने, आवेदन शुल्क, पात्रता शर्त और प्रक्रियाओं संबंधी कई बदलाव हुए हैं। पिछले वर्षों में इस कार्यक्रम को और अधिक प्रतिबंधकारी बनाने का सामान्य रुझान दिखाई देता है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां और बदलाव इस प्रकार हैं:

- 1999 और 2000 में एच-1बी कोटा 65,000 से बढ़कर 1,15,000 हो गया और 2001-03 में क्लिंटन प्रशासन के दौरान 1,95,000 पर पहुंच गया। बाद में 2004 में इसे घटाकर 64,000 कर दिया गया है।
- प्रतिधारण शुल्क (रिटेनिंग फी) की शुरुआत और बाद में उसमें बढ़ोतरी का उद्देश्य अमेरिकी कर्मियों को कौशल संपन्न बनाना और समय के साथ एच-1बी वीज़ा पर निर्भरता कम करना है।
- 2003 के चिली-अमेरिका और सिंगापुर-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत वीज़ा की एक नयी उप-श्रेणी बनायी गयी है।
- 2004 के एच-1बी वीज़ा सुधार अधिनियम के अंतर्गत एंटी फ्रॉड शुरू की गयी है।
- 2009 के अमेरिकी श्रमिकों को ही रोज़गार देने संबंधी अधिनियम की नियोक्ता संबंधी शर्तों के अनुसार उन्हें यह सत्यापन करना होगा कि निर्धारित अवधि में एच-1बी वीज़ा वाले अतिरिक्त श्रमिकों के स्थान पर किसी अमेरिकी श्रमिक को समतुल्य पद पर नहीं रखा जाएगा।
- श्रमिकों की स्थिति के बारे में आवेदन के जरिए यह सुनिश्चत किया जाएगा कि गैर आव्रजित श्रमिक को रोज़गार के क्षेत्र में विद्यमान दर से या उससे अधिक मजदूरी मिले।
- अगस्त 2010 में बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ पर दस्तखत के बाद यह सार्वजनिक कानून 111-230 बना जिसके अनुसार ऐसी कंपनियों को जिनके यहां 14 अगस्त 2010 से 30 सितंबर, 2014 तक अमेरिका में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं और 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी एच-1बी या एल1 स्तर के हैं, उन्हें एच-1बी आवेदनों के लिए 2000 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- इंट्रोडक्शन ऑफ यू.एस. पब्लिक लॉ 111-347, जिससे अतिरिक्त शुल्क की देयता सितंबर 2015 तक बढ़ गयी।
- द कनसॉलिडेटेड एप्रोप्रिएशन एक्ट, 2016 या पब्लिक लॉ 114-113, जो 18 दिसंबर, 2015 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहा उससे अमेरिका में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक ने गैर-आव्रजन एच-1बी या एल1 वीज़ा से देश में दाखिला लिया है, ऐसी कंपनियों के लिए जिनके 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी एच-1बी या एल1 स्तर के थे उनके कम्बाइंड फाइलिंग शुल्क और फ्रॉड प्रीवेंशन एंड डिटेक्शन शुल्क में 4,500 डॉलर की बढ़ोतरी हुई।

**भारत ने तर्क दिया है कि कुछ चुने हुए आवेदकों के लिए अतिरिक्त वीज़ा शुल्क लगाकर भारतीय सूचना टेक्नोलॉजी कंपनियों को निशाना बनाया गया है और यह मूलतः निष्पक्ष भी नहीं है हालांकि इसे देखने से लगता यही है कि इसमें किसी से भेदभाव नहीं किया गया है।**

धोखाधड़ी और दुरपयोग पर रोक लगाने, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुचाने वाली वैधानिक कमियों को दूर करने और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जैसी एजेंसियों के जांच के अधिकार बढ़ाने के लिए सुधार करने के भी प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों से एच-1बी वीज़ा योजना को लेकर कई तरह की चिंताओं का पता चलता है।

## एच-1बी की आलोचना

सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि यह कार्यक्रम अमेरिकी श्रमिकों की मदद करने की बजाय उन्हें विस्थापित कर देता है क्योंकि नियोक्ता इसका उपयोग विदेशों के सस्ते श्रमिकों को लाने में करते हैं और श्रम विभाग को इस बात की जानकारी नहीं देते कि उन्होंने इस काम के लिए अमेरिकी श्रमिक खोजने का प्रयास किया। अमेरिका के जनरल एकाउंटिंग ऑफिस ने इस बात पर गौर किया है कि एच-1बी कार्यक्रम पर लगाये जाने वाले नियंत्रण प्रभावी नहीं हैं और इनमें कमियों तथा इनके अमल में ढिलाई से वीज़ा धारकों और अमेरिकी श्रमिकों, दोनों का शोषण हुआ है। सिनेटर डर्बिन और ग्रासले ने तर्क दिया है कि यह कार्यक्रम रोज़गारों को आउटसोर्स करने का जरिया बन गया है। उन्होंने इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए डर्बिन-ग्रासले विधेयक का प्रस्ताव किया।

इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या इस कार्यक्रम का दुरपयोग अमेरिका के घरेलू श्रमिकों की छंटनी करने और विदेशों से सस्ते श्रमिक काम पर रखने के लिए किया गया, टीसीएस और इनफोसिस जैसी कंपनियों के खिलाफ जांच भी की गयी। नौकरी देने में विदेशी श्रमिकों के साथ पक्षपात करने के आरोप में प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के विरुद्ध कानूनी मुकदमे दायर किये गये। टेक्नोलॉजी श्रमिकों की कमी को देखते हुए जारी किये जाने वाले एच-1बी वीज़ा की वार्षिक संख्या में बढ़ोतरी करने के हाइ-टैक कंपनियों के दावे को आलोचकों ने खारिज कर दिया है। एच-1बी योजना से मजदूरी में गिरावट को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गयी हैं और कहा गया है कि प्रवर्तन संबंधी सीमाओं और प्रक्रिया संबंधी समस्याओं के कारण अमेरिकी श्रमिकों के संरक्षण के लिए मौजूदा मजदूरी संबंधी माहौल बेअसर हो गया है। व्यावहारिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हो गयी है कि इस समस्या की वजह से कुशल मजदूरों की मजदूरी पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

## विवाद का ब्यौरा

अमेरिका-भारत एच1बी वीज़ा विवाद की जड़ें अमेरिका में इस वीज़ा योजना को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं में समाई हुई हैं। डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य द्वारा गैट्स के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए पहली बार मुकदमा दर्ज करने से एक नज़ीर कायम हुई है जिसमें दूसरे सदस्य देश के आव्रजन नियमों को चुनौती दी गयी है।

3 मार्च 2016 को भारत ने डब्ल्यूटीओ के विवाद समाधान संगठन में आवेदन किया जिसमें गैर-अप्रवास संबंधी उपायों से संबंधित उपर्युक्त पब्लिक लॉ 111-230 और 114-113 को

लेकर अमेरिका से विचार-विमर्श का अनुरोध किया गया था। इन कानूनों से एच-1बी और एल1 श्रेणी वीज़ा के लिए आवेदन करने और उनके विस्तार के शुल्क बढ़ गये थे। भारत के अनुसार ये उपाय गैट्स समझौते की धारा II, III:3, IV:1, VI:1, XVI, XVI, XVII, XX और सेवा उपलब्ध कराने व्यक्तियों के आवागमन संबंधी गैट्स संलग्नक के अनुच्छेद 3 और 4 के विरुद्ध हैं। भारत ने 2015 में पीएल 114-113 और उससे पहले 2010 में पीएल 111-230 के तहत शुरू किये गये उपायों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह बात कही है जिसके अनुसार ये:

- गैट्स के अंतर्गत विशिष्ट वचनवद्धताओं की सूची की उन शर्तों, सीमाओं और नियमों के अनुरूप नहीं हैं जिनपर अमेरिका ने सहमति व्यक्त की थी।
- अमेरिका में का कर रहे कम्प्यूटर और संबंधित सेवा क्षेत्र में काम करने वाले भारत के न्यायिक व्यक्ति के साथ जैसा वरताव करते हैं वह अमेरिका के न्यायिक व्यक्ति के साथ किये जाने वाले अनुकूल व्यवहार से कमतर है और इस संबंध में अमेरिका की वचनवद्धता के अनुरूप भी नहीं है।
- उन स्वाभाविक व्यक्तियों की आवाजाही पर जिस तरह से असर डालता है वह अमेरिका की विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की सूची की वचनबद्धताओं के अनुरूप नहीं है।

भारत ने अपने अनुरोध में यह भी कहा है कि अमेरिका को एच-1बी वीज़ा की संख्या संबंधी अपनी बचनबद्धताओं को लेकर भी विचार-विमर्श करना चाहिए। अमेरिका ने मोड 4 के तहत दुनिया भर से हर साल 65,000 लोगों के अपने यहां आने का वादा किया था, जिसमें सिंगापुर और चिली के साथ अमेरिकी विदेश व्यापार समझौतों के अनुसार संशोधन करके चिली और सिंगापुर के नागरिकों को दिये जाने वाले वीज़ा को 65,000 एच-1बी वीज़ा में कम कर दिया गया। इससे अमेरिका में भारत से आने वाले सेवा प्रदाताओं पर पाबंदियां बढ़ गयी हैं और कैसे गैट्स के तहत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाले फायदे समाप्त हो गये हैं।

भारत ने इन उपायों सहित इनमें हुए संशोधनों, बदलावों, विस्तार और क्रियान्वयन के उपायों को लेकर जवाब मांगा है। इस अनुरोध के बाद 18 मार्च 2016 को आगे विचार-विमर्श का भी अनुरोध किया गया। दूसरे अनुरोध को लेकर उसने दावा किया है कि जिन उपायों की पहचान की गयी थी वे गैट्स समझौते की धारा-II के अनुरूप नहीं थे। इसलिए भारत ने उनमें और अधिक सुधार का प्रताव किया ताकि उन्हें अमेरिका में कम्प्यूटर और उससे संबंधित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले किसी भी अन्य देश (केवल भारत नहीं) के न्यायिक व्यक्ति के लिए अनुकूल बनाने का आग्रह किया।

### भारत का दृष्टिकोण

भारत ने तर्क दिया है कि कुछ चुने हुए आवेदकों के लिए अतिरिक्त वीज़ा शुल्क लगाकर भारतीय सूचना टेक्नोलॉजी कंपनियों को निशाना बनाया गया है और यह मूलत: निष्पक्ष भी नहीं है हालांकि इसे देखने से लगता यही है कि इसमें किसी से भेदभाव नहीं किया गया है। यह दृष्टिकोण भारतीय आईटी कंपनियां और उनके द्वारा एच।-वीज़ा के उपयोग को लेकर अमेरिका में दुष्प्रचार से प्रभावित है। अमेरिकी सीनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों, संस्थाओं, थिंक टैंक और मीडिया रिपोर्टों में भी इस पर बार-बार चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं और इसे अधिक प्रतिबंधकारी बनाने के लिए कई सुझाव भी दिये गये हैं। भारतीय आईटी कंपनियों को ''नौकरियों के तस्कर'' और ''दलालों का अड्डा'' जैसे नाम दिये गये हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये उपाय भारतीय कंपनियों को ध्यान में

रखकर किये गये हैं।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में भारतीय आईटी कंपनियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार की इस धारणा की वास्तविकता का आकलन किया गया है। अध्ययन में वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी के तीन तरह की कंपनियों पर असर के बारे में विचार किया गया है। विश्लेपण से पता चलता है कि भारतीय कंपनियां शुल्क में बढ़ोतरी के असर को झेलने में सक्षम हैं जबकि अमेरिका और तीसरी दुनिया के देशों की ऐसी कंपनियों का (कुछ अमेरिकी कंपनियों को छोड़कर) जिनकी श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा भारत में है, बढ़े हुए शुल्क से छूट मिल जाएगी। गणना से पता चलता है कि इस बढ़ोतरी से प्रभावित भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिकी पीएल 111-230 के अनुसार 25.7 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त राशि वीज़ा शुल्क के रूप में चुकानी होगी जो 24.5 करोड़ डॉलर के सामन्य वीज़ा शुल्क के अलावा है। दूसरी ओर अन्य कंपनियों को (अमेरिकी कंपनियों को छोड़कर) जिनकी भारत में व्यापक उपस्थिति है, कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। इसलिए इस अध्ययन से भारत के इस दृष्टिकोण की पुष्टि हो जाती है कि हालांकि अमेरिकी कानून मूल रूप से निष्पक्षता को ध्यान में रखकर बनाया गया है मगर यह अमेरिका के आईटी सेवा बाजार में कार्य कर रही भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए भेदभावपूर्ण है।

### अमेरिका का दृष्टिकोण

अमेरिका का तर्क है कि अप्रवासन नीति संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है जिसको लेकर डब्ल्यूटीओ में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उसके अनुसार जो कंपनियां एच-1बी वीज़ा वाले कर्मियों का भरपूर इस्तेमाल करती हैं वे सिलिकोन वैली की टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं हैं बल्कि टीसीएस, इनफोसिस और विप्रो जैसी भारत स्थित आईटी सेवा कंपनियां हैं जिन्हें परामर्श और आउटसोर्सिंग में विशेपज्ञता प्राप्त है। अमेरिका ने कहा है कि 2014 में भारत की 7 कंपनियों समेत 14 आउटसोर्सिंग कंपनियों को 85,000 एच1-वी वीज़ा मंजूर किये गये जिनमें से एक तिहाई भारत को मिले। टीसीएस को 5,650 वीज़ा मिले जबकि सबसे बड़ी अमेरिकी टैक कंपनी एमेजॉन को केवल 877 वीज़ा दिये गये। अमेरिका का यह भी तर्क है कि सिलिकॉन वैली की कंपनियों के मुकाबले ये आईटी सेवा कंपनियां सालाना 60,000 डॉलर से कम वेतन देने का प्रयास करती हैं, जो किसी बड़ी अमेरिकी टैक कंपनी में कम्प्यूटर वैज्ञानिक को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन से कम है। इसतरह अमेरिका का दृष्टिकोण यह है कि एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम से अमेरिकी श्रमिकों की रोज़गार और आमदनी की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा है। वह इसे अपने यहां दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं के पहुंचने की तरह नहीं देखता। इसी तरह

**2014 में भारत की 7 कंपनियों समेत 14 आउटसोर्सिंग कंपनियों को 85,000 एच1-वी वीज़ा मंजूर किये गये जिनमें से एक तिहाई भारत को मिले। टीसीएस को 5,650 वीज़ा मिले जबकि सबसे बड़ी अमेरिकी टैक कंपनी एमेजॉन को केवल 877 वीज़ा दिये गये।**

एल-1 वीज़ा कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका का तर्क यही है कि यह कार्यक्रम आईटी उद्योग के लिए नहीं बना है फिर भी इसके अंतर्गत ज्यादातर वीज़ा इसी एक उद्योग को दिये गये हैं। एल-1 वीज़ा वाले कर्मियों के लिए आवेदन करने वाली 10 में से 9 फर्में कम्प्यूटर और आईटी से संबंधित आउटसोर्स करने वाली फर्में हैं जिनकी विशेषज्ञता भारत से श्रमिशक्ति जुटाने की है।

लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की अनुसंधान सेवा (सीआरएस) ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात पर गौर किया है कि वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी के मामले में भारतीय कंपनियों का विशेप रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रावधान को इस तरह से बनाया गया है कि इसका असर केवल भारतीय आईटी कंपनियों पर ही पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका कथित प्रभाव भारत के दावे से मेल खा सकता है क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने यह बात स्वीकार की है कि "गैट्स के तहत एमएफएन का उल्लंघन उस स्थिति में संभव है जब बाहरी तौर पर तटस्थ दिखाई देने वाले उपायों से डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश के सेवा आपूर्तिकर्ताओं पर अपेक्षाकृत अधिक प्रतिकूल असर पड़ सकता है।" सीआरएस ने गौर किया है कि आवेदश शुल्क में 2010 और 2015 में की गयी बढ़ोतरी यकीनन संरक्षणवादी कदम है क्योंकि इससे वीज़ा आवेदनों के निपटान में सरकार सरकार का खर्च बढ़ सकता है जिसका उपयोग दंडात्मक उपाय के दौर पर किया जा सकता है। लेकिन सीआरएस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चिली और सिंगापुर के नागरिकों को दिये गये वीज़ा से गैट्स बाध्यताओं का उल्लंघन न होने संबधी भारत के आरोप।

### वर्तमान स्थिति

इस विवाद पर अब तक विचार-विमर्श जारी है। हालांकि अमेरिका और भारत के अधिकारियों ने विभिन्न स्तरों और विभिन्न मंचों पर इस पर चर्चा की है, मगर यह डब्ल्यू. टी.ओ. में विवाद के औपचारिक समाधान के खांचे तक नहीं पहुंच पाया है। अमेरिका का दावा है कि विवादित कानून डब्ल्यूटीओ संबंधी उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि वह शुल्क में बढ़ोतरी की समीक्षा करेगा हालांकि संबंधित नीतियों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने आगाह किया है कि अगर शुल्क वृद्धि का मुद्दा औपचारिक विवाद समाधान के लिए जाता है तो अमेरिका का पक्ष कमजोर है क्योंकि डब्ल्यूटीओ यह कह सकता है कि ये उपाय गैट्स के तहत अमेरिका के दायित्वों को पूरा नहीं करते। ऐसी स्थिति में अमेरिका से अपने कानूनों में संशोधन करने और गैट्स का पालन करने को कहा जा सकता है। वैसे डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट का अमेरिकी कानून और नीतियों से कोई सीधा कानूनी संबंध नहीं है क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस तब भी इसमें कोई वैधानिक संशोधन कर सकती है। अगर भारत डब्ल्यूटीओ से विवाद समाधान संगठन के गठन की मांग करता है तो फैसला आने के बाद दोनों में से कोई भी देश फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर फैसला अमेरिका के खिलाफ गया और उसने इसका अनुपालन करने से इनकार कर दिया तो भारत अमेरिका से होने वाले आयात या बौद्धिक संपदा जैसे किसी क्षेत्र में दंडात्मक शुल्क लगा कर जवाबी कार्रवाई सकता है।

## आगे का रास्ता

इस समय जब विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान संगठन ने काम करना बंद कर दिया है तो भारत इस मुद्दे से किस तरह से निपटेगा, यह बड़ा सवाल है। इस बीच बीते साल में एच-1बी और एल-1 वीज़ा को और सीमित करने के लिए कई बदलाव किये गये हैं जो चिंता का विषय हैं। नवंबर 2019 में अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ने इस तरह के वीज़ा के शुल्क को और बढ़ाने (एच-1बी के लिए 4000 डॉलर और एल1 के लिए 4500 डॉलर) करने के लिए नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव किया ताकि कंपनियों को वीज़ा के लिए आवेदन न कर सकें। आवेदनों को और तेजी से निपटाने के लिए लिए जाने वाले शुल्क को बढ़ाने की भी योजना है। अभी हाल ही में अमेरिका ने रोज़गार के अवसरों को अपने नागरिकों के लिए बचाने के उद्देश्य से एच-1बी वीज़ा जारी करने पर लगे प्रतिबंध को 60 दिन बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया है। हालांकि स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों को छूट दी गयी है। इस निलंबन से भारत के कौशल संपन्न पेशेवर लोगों के अमेरिका जाने पर असर पड़ेगा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स, नेशनल रिटेल फेडरेशन और टेकनेट जैसे अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक संगठनों ने निलंबन को चुनौती देते हुए एक कानूनी मामला दायर किया है क्योंकि इससे आईटी के ऊंचे दर्जे के पदों के लिए विदेशी प्रतिभाओं को भर्ती करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका में आर्थिक मंदी को देखते हुए अमेरिकी एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम को निकट भविष्य में संरक्षणवादी चुनौतियों का सामना करते रहना पड़ सकता है और भारत को इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

भारत को अमेरिका पर गैर-अप्रवासी वीज़ा देने में उद्योग संघों और सरकारों के बीच पारस्परिक संवाद से पारदर्शी, भेदभाव रहित और पूर्वानुमान लगाने योग्य नीतियों पर जोर देना जारी रखना होगा। इस मुद्दे पर सीमित व्यापार समझौते के तहत चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए, हालांकि इस तरह के किसी समझौते से इसके सुलझने की संभावना कम है। भारतीय और अमेरिकी पेशेवर विशेषज्ञों को एक-दूसरे के देश में काम करने में इस वक्त दोहरे करों का जो बोझ उठाना पड़ रहा है उसे देखते हुए कुल संख्या निर्धारित करने के बारे में बातचीत भी साथ-साथ जारी रखी जानी चाहिए। ■

## संदर्भ


1. वाणिज्य मंत्रालय
2. व्यापार और सेवाओं के बारे में सामान्य समझौते (जी.ए.टी.एस.) के अनुसार सेवाओं का कारोबार चार तरह से किया जाता है: पहला तरीका है सीमा पार सेवाएं उपलब्ध कराना, जिसमें सेवाएं सीमा पार करने विदेश पहुंचती हैं जैसे परिवहन सेवाएं या सूचना, डेटा प्रोसेसिंग और बी.पी.ओ. सेवाएं। दूसरा तरीका है विदेश जाकर सेवा का लाभ उठाना, जिसमें उपभोक्त सेवा प्रदाता के देश में जाकर लाभ उठाता है जैसा पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सेवाओं में होता है। तीसरे तरीके में वाणिज्यिक उपस्थिति, जिसमें दूसरे देश में जाकर एक कानूनी इकाई बनायी जाती है जो अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम, फ्रेंचाइज, संबद्ध कार्यालय आदि के रूप में होती है और सेवाएं उपलब्ध कराती है जैसा बैंकिंग या दूरसंचार सेवाओं के मामले में होता है। चौथा तरीका है लोगों का सशरीर जाना; यानी जिसमें सेवा प्रदाता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बिना स्थायी निवास की अनुमति या नागरिकता लिए मेजबान देश में अस्थायी रूप से चला जाता है, जैसा साफ कि ग्राहक के साइट पर काम कर रहे पेशेवर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ या डॉक्टर और नर्स अस्थायी रूप से दूसरे बाजारों में जाकर करते हैं।
3. चंदा, आर. 'ट्रेंड्स, अपॉर्च्यूनिटीज एंड चैलेंजेज इन इंडियाज सर्विस सेक्टर,' यू. कपिला द्वारा संपादित इंडियन इकोनॉमी-2 में: मैक्रोइकोनोमिक पॉलिसीज, सेक्टोरल डेवलपमेंट्स एंड परफार्मेंस, एकेडेमिक फाउंडेशन, 2019, पृ. 479-536.
4. नैसकॉम की रिपोर्ट
5. एच-1बी विशेषज्ञता वाले पेशेवर रोज़गारों को पात्रता के लिए कई मानदंड पूरे करने होते हैं। इनमें स्नातक या उससे ऊंची कोई डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता पद के लिए न्यूनतम प्रारंभिक शर्त होती है और पद की जिम्मेदारियां विशेषज्ञतावाली और जटिल होती हैं। एन-1 वीज़ा श्रेणी में एग्जीक्यूटिव या मैनेजर या ऐसे पेशेवर विशेषज्ञ आते हैं जिनके पास कोई विशेषज्ञता वाली योग्यता होती है और जो अमेरिकी नियोक्ता के विदेशी संबद्ध कार्यालय से तबादले पर किसी वर्तमान या भविष्य में खुलने वाले कार्यालय में भेजे जा सकते हैं।
6. देखिए, भट्टाचार्या, 2018. कैम्पॉय, 2018; कृष्णा, 2018 और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 2018
7. यूएससीआइएस पर आधारित
8. देखिए, बाटलोवा (2010) और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (2010)
9. देखिए, बाटलोवा (2010) और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (2010)
10. एच-1बी। कार्यक्रम मार्च 2015 में 'इमिग्रेशन रिफॉर्म्स नीडेड टू प्रोजेक्ट स्किल्ड अमेरिकन वर्कर्स' की सुनवाई का विषय था।
11. देखिए, डब्ल्यूटीओ (2016), 'यूएस मेजर्स कन्सर्निंग नॉन-इमीग्रेंट वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर कनसल्टेशंस बाई इंडिया,' डब्ल्यूटीओ/डीएस503/1एस/एल/410, 8 मार्च, 2016 (16-1342)
12. इनका संबंध एमएफएन के प्रावधान, पारदर्शिता, विकासशील देशों की बढ़ती भागीदारी, घरेलू विनियमन, आर्थिक समन्वयन, बाजार पहुंच और विशिष्ट वचनबद्धताओं से है।
13. देखिए, डब्ल्यूटीओ (2016), 'यूएस- मेजर्स कन्सर्निंग नॉन इमिग्रैंट्स वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर कन्सल्टेशन्स बाइ इंडिया,' डब्ल्यूटी/डीएस503/1/एडीडी.एस/एल/410/एडीडी.1 18 मार्च 2016 (16-1607).
14. न्यायिक व्यक्ति किसी ऐसे संगठन को कहते हैं जो कोई एकल व्यक्ति नहीं है बल्कि जिसे वैधानिक व्यक्ति के रूप में मान्यता मिली हुई है, जिसकी एक विशिष्ट पहचान है और जिसे कानून के अनुसार अपने दायित्वों और अधिकारों को पूरा करने का प्राधिकार मिला हुआ है।
15. भारत द्वारा दायर किये गये मामले में एल-1 वीज़ा का शुल्क बढ़ाने का मामला भी शामिल है। एल-1 वीज़ा आवेदनों पर विचार करने में देरी होने, अधिक प्रमाण मांगे जाने, ट्रम्प प्रशासन में अस्वीकार करने की ऊंची दर, (अन्य देशों की तुलना में दुगनी से भी अधिक) और भारत में एल-1 वीज़ा के लिए सिर्फ एक केन्द्र होने से आवेदन की लागत तथा इसमें लगने वाला समय बढ़ने जैसे कारणों से इस बारे में भी कई चिंताएं व्यक्त की गयी हैं।
16. https://www.infoworld.com/article/3004501/proof-that-h-1b-visa-abuse-is-rampant-in-tech.html

# भारत की भूमिका का पुनरावलोकन

हर्ष वी पंत

**भारत अपनी विदेश नीति में नए आयाम शामिल कर रहा है, जो इस धारणा पर आधारित है कि यदि उसे अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से निपटने में लाभकारी स्थिति को प्राप्त करना है तो गुटनिरपेक्षता के अपने आप अंत की उद्घोषणा करने के बजाय, अपने मित्रों और भागीदारों के साथ गहरे संबंध बनाने की आवश्यकता है। भारत आज सैद्धांतिक बैसाखी के बिना अपनी शर्तों पर द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।**

सरकारों में बदलाव की स्थिति में प्रमुख देशों की विदेश नीतियां हालांकि आकस्मिक नहीं बदलती हैं, लेकिन भारत में मई 2014 में मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से इसका विदेश नीति दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है। इस प्रकार का विकास उस राष्ट्र के लिए स्वाभाविक है जो वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा हो। विदेश मंत्री डॉ एस. डॉ जयशंकर ने पिछले साल नवंबर में दिए गए एक भाषण में भारतीय विदेश नीति के इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने 'दिल्ली डोग्मा' को चुनौती दी थी। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत वर्तमान में अधिक विश्वास के साथ परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस राष्ट्र की आकांक्षा एक दिन शीर्ष पर पहुंचने की हो वह अशांत सीमाओं, अलग-थलग क्षेत्र और कम लाभ उठाने वाले अवसरों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। इन सबसे ऊपर, यह एक दृश्यमान रूप से बदलती विश्व व्यवस्था के करीब पहुंचने में हठधर्मी नहीं हो सकता है।

भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और भारत के हितों को आगे बढ़ाने में उसकी प्रभावकारिता के बारे में दुनिया को बताने वाले कूटनीतिक समुदाय के लिए डॉ जयशंकर का भाषण गहन सुधारक के सबक की तरह है। वे जब यह कहते हैं कि सात दशकों के बाद भारत की विदेश नीति का लेखा-जोखा एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है, तो वह इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि विदेश नीति में निरंतरता का अधिमूल्यांकन किया जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय विदेश नीति की इस तरह की समालोचना पहले कभी नहीं की गई है, लेकिन इसे उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पिछले कई वर्षों से भारतीय विदेश नीति स्थापन का हिस्सा रहा है और अब वह निर्णय लेने की व्यवस्था में शीर्ष पद पर है।

डॉ जयशंकर ने अपने भाषण में उद्देश्य की गंभीरता को व्यक्त करने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी आधिकारिक भारतीय घोषणाओं में कमी रही है। भारतीय विदेश नीति बदल रही है और वह न केवल इसलिए परिवर्तित होती रहेगी क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि भारत बदल रहा है। यह बदलता भारत ही है जिसने डॉ जयशंकर के लिए इस तरह का भाषण देना संभव बना दिया और यह वह बदलता भारत है जो अपने नीति निर्माताओं को 'दिल्ली डोग्मा' को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा।

2014 में अपनी पहली चुनावी जीत की तुलना में 2019 में एक बड़ा जनादेश जीतकर, यह सरकार विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी एजेंडा शुरू

लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के निदेशक और प्रमुख हैं। वे दिल्ली स्कूल ऑफ ट्रांसनेशनल अफेयर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक (मानद) भी हैं। ईमेल: pant@kcl.ac.uk

करने के लिए तैयार थी। पार्टी के किसी बड़े नेता की बजाय एक पूर्व-राजनयिक की विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। इस नियुक्ति ने वैश्विक अशांति के प्रति चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। इसी के माध्यम से भारतीय विदेश नीति का मार्गदर्शन होता है और इसके लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। विदेश सचिव और चीन सहित कई प्रमुख देशों के राजदूत रह चुके डॉ जयशंकर, न केवल विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं, बल्कि रूढ़िवादिता की बजाय व्यावसायिकता को महत्व देते हैं।

अगस्त 2019 में यह जरूरत तब प्रासंगिक बन गई जब सरकार ने गंभीर विदेश नीति के निहितार्थ घरेलू राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करने वाली धारा 3 के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निलंबित कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया- लद्दाख (बिना विधायिका के) और जम्मू-कश्मीर (विधायिका के साथ)। हालांकि सरकार ने इस संबंध में अपनी मंशा के बारे में काफी समय पहले संकेत दे दिया था, लेकिन जब यह कदम उठाया गया तो देश के भीतर और बाहर सभी के लिए यह एक आकस्मिक घटना थी।

व्यापक विदेश नीति के मोर्चे पर, भारत प्रमुख देशों के सामने अपनी बात रखने और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंच बनाने में जुटा है। ट्रम्प प्रशासन के यह कहने के बाद कि भारत ने अमेरिकी बाजारों को न्यायसंगत और उचित पहुंच प्रदान करने का आश्वासन नहीं दिया, दोनों देशों के बीच संबंध एक

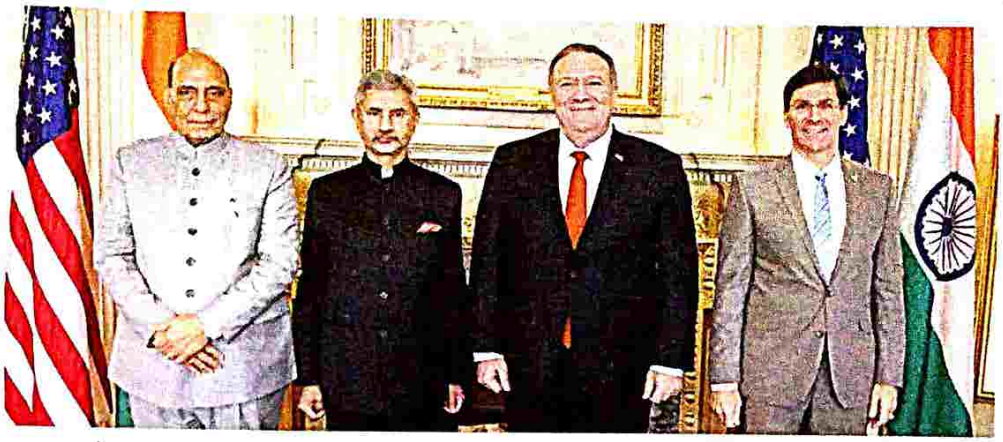

कठिन दौर से गुजरने के संकेत सामने आए। ट्रम्प प्रशासन ने जून 2019 में प्राथमिकता प्राप्त व्यापार कार्यक्रम की सामान्यीकृत प्रणाली के तहत लाभार्थी विकासशील देश के रूप में भारत का नामांकन समाप्त कर दिया। बदले में भारत ने बादाम और सेब सहित 28 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगा दिया। भारत ने यह कदम अमरीका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क बढ़ाने और भारतीय निर्यातकों को दी गई शुल्क-मुक्त निर्यात सुविधा वापस लेने के बदले में शुल्क संबंधी घोषणा के एक साल बाद उठाया।

बहरहाल, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिकी-भारतीय समूहों द्वारा आयोजित एक संयुक्त रैली में डोनाल्ड ट्रम्प भी शामिल हुए। लक्ष्य, भारत के प्रमुख निर्यात भागीदार के साथ व्यापार तनाव को कम करना था। प्रधानमंत्री ने अमरीका को इस बात से अवगत कराया कि भारत उसके साथ आदान-प्रदान की भावना से संबंध बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री कश्मीर पर व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के प्रयासों के तहत डोनाल्ड ट्रम्प को आश्वस्त करके दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई गिरावट को दूर करने में कामयाब रहे। इसके बाद, भारत के प्रति अमरीका की बयानबाजी काफी नरम हो गई और मार्च, 2020 में अमरीकी राष्ट्रपति भारत यात्रा पर भी आए।

इसके अलावा, भारत ने अपने फायदे और वैश्विक हितों को साधने के लिए कूटनीतिक संबंधों को विकसित करने के प्रयास में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कई साझेदारों और सक्रिय देशों के साथ संबंध बनाए हैं। भारत ने हिंद-प्रशांत और मध्य पूर्वी देशों के साथ-साथ, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी भारत के संबंध ऐसे समय में बढ़ रहे हैं जब वह अपने भू-राजनीतिक संबंधों का विस्तार करने के लिए तैयार है।

भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत से बदलती वैश्विक व्यवस्था में बड़ी भागीदारों के लिए उसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो रहा है। हालांकि भारतीय स्थापन के वर्ग अब भी नए-नए बहानों की आड़ में गुटनिरपेक्षता को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन भारत गुटनिरपेक्षता से अलग हटकर कूटनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाने के संकेत दे रहा है। भारत की विदेश नीति में पृथक्करण बीते समय की बात हो चुकी है, और वह इसे छोड़कर भागीदारी का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। भारत अपनी विदेश नीति में नए आयाम शामिल कर रहा है, जो इस धारणा पर आधारित है कि यदि उसे अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से निपटने में लाभकारी स्थिति को प्राप्त करना है तो गुटनिरपेक्षता के अपने आप अंत की उद्घोषणा करने के बजाय, अपने मित्रों और भागीदारों के साथ गहरे संबंध बनाने की आवश्यकता है। भारत आज सैद्धांतिक बैसाखी के बिना अपनी शर्तों पर द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ■

# भारत-चीन

आर एस वासन

इस लेख का उद्देश्य आक्रामक और अड़ियल चीन की गतिविधियों की पृष्ठभूमि में रणनीतिक परिदृश्य के बदलते स्वरूप का अध्ययन करना है, जिसने इसके महासागरीय और स्थलीय पड़ोसी देशों को हतोत्साहित कर दिया है। वुहान में कोविड-19 की उत्पत्ति ने रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक या राजनयिक संबंधों को फिर से परिभाषित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलएसी के साथ चीन ने अपनी आक्रामक सैनिक कार्यवाही से न केवल द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मामलों को जटिल बना दिया है बल्कि भारत को चीन के साथ संबंधों के भविष्य पर अपने दृष्टिकोणों को संघटित करने का अवसर भी प्रदान किया है।

1991 की उस पथप्रदर्शक पहल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है जब भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त करने और विकासशील और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से भारत के पूर्व में स्थित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने का फैसला किया। दुनिया ने एशियाई देशों का विकास और चीन की आर्थिक वृद्धि भी देखी। इस पहल से पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक संबंधों का फायदा उठाते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण का पर्याप्त लाभ मिला। अब लुक ईस्ट में बदलाव के लगभग तीन दशक बाद यह स्पष्ट है कि इस नीति से जहां सफलताएं हाथ लगी हैं तो

लेखक चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज़ के अवकाशप्राप्त निदेशक और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, तमिलनाडु के रीजनल डायरेक्टर हैं। ईमेल: rsvasan2010@gmail.com

असफलताएं भी मिली हैं। वर्तमान सरकार ने "लुक ईस्ट नीति" पर यह उल्लेख करते हुए नया जोर देने का निर्णय लिया है कि हमें "एक्ट ईस्ट" यानि पूर्व की ओर उन्मुख होने और आर्थिक सहभागिता की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है।

### संकट के कारण अवसर

पहली नज़र में चीन की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें भारतीय प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य विकल्पों के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं जहां ऐसे देश हैं जो भारत की "लुक ईस्ट नीति" के हित में हैं। इन सब गतिविधियों ने मलक्का जलडमरूमध्य से परे स्थित देशों के साथ जुड़ने की प्रेरणा दी। हालांकि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि इसके कारण व्यापक स्तर पर पुन:समायोजन या पुन:गठबंधन होगा क्योंकि बेहतरीन हितों के बावजूद वियुग्मन की प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी। कोविड-19 और गलवान अतिक्रमण उपरांत हाल ही के कुछ घटनाक्रमों की जांच करना सार्थक होगा कि कैसे वे पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों और गठजोड़ को पुनर्निर्धारित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में भारत के प्रयासों को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।

यह तथ्य कि चीन ने वायरस के प्रकोप को स्पष्ट रूप से छिपाया है दुनिया भर के देशों विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश जिनमें भारत, अमेरिका, यूरोप, ब्राजील आदि शामिल हैं ने इसे उचित नहीं ठहराया है। ट्रम्प ने इसका अप्रत्याशित रूप से चीन को लक्षित करने के लिए भी प्रयोग किया और चीन के विरुद्ध कई आर्थिक, रणनीतिक, राजनीतिक और सैन्य कार्यवाहियों की बाढ़-सी आ गयी। हालांकि इसका संबंध इस साल नवंबर में होने वाले चुनावों के साथ भी कुछ हो सकता है लेकिन लागू हो गयी प्रक्रियाओं को चुनावों के परिणाम के बावजूद शीघ्र यथावत स्थिति में वापस लाने की संभावना नहीं है। जब भारत कोविड-19 के संकट और आर्थिक मंदी का मुकाबला करने में व्यस्त था चीन 1993 में हुए समझौतों के बावजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अनैतिक अतिक्रमण में लिप्त था। चीन को शायद दृढ़ संकल्प भारत से इस तरह के प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी जो इस पर अडिग रहा कि अप्रैल की यथास्थिति बहाल की जाए। इस घटनाक्रम ने दोनों सेनाओं को एक दूसरे को आमने-सामने ला खड़ा कर दिया और सीमाओं पर दोनों ओर बढ़ी संख्या में उनकी और सैन्य साजो-सामान की तैनाती हो गयी। 45 वर्षों में पहली बार चेतावनी के लिए हवा में फायरिंग की गयी। 15-16 जून 2020 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने उन भारतीय बहादुर सैनिकों को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का शिकार बनाया जो यह सुनिश्चित करने के लिए गए थे कि 6 जून 2020 का यथास्थिति बहाल करने से सम्बंधित समझौते का पालन किया जा रहा है कि नहीं। चीन ने भारत के पड़ोस में थल और समुद्र दोनों क्षेत्रों में भी घुसपैठ की है। इसने भूटान क्षेत्र के अपने दावों को नहीं छोड़ा है और भारत के खिलाफ नेपाल को भी उकसा रहा है। इसने चीन पाक अधिकृत कश्मीर आर्थिक गलियारे (जिसे गलत ढंग से सीपीईसी यानि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहा गया है जो भारतीय क्षेत्र के स्वामित्व को वैधता प्रदान करता है) में भारी निवेश किया है। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का विरोध किया है और इस अभियान की एकपक्षीय प्रकृति के बारे में अपनी चिंताओं को प्रकट किया है जिससे इससे जुड़े देशों को कोई लाभ नहीं है।

**गलवान अतिक्रमण भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। भारत की सरकारों द्वारा चीन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी दिशा में बढ़ने के प्रयासों के बावजूद चीन ने हमेशा भारत के हितों के खिलाफ काम किया है और अब हिमालय की सीमाओं के उन क्षेत्रों में भी कार्रवाई को तेज कर दिया है जिन पर पिछले पांच दशकों से कोई विवाद नहीं था।**

### गलवान और उसके बाद

गलवान अतिक्रमण भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। भारत की सरकारों द्वारा चीन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी दिशा में बढ़ने के प्रयासों के बावजूद चीन ने हमेशा भारत के हितों के खिलाफ काम किया है और अब हिमालय की सीमाओं के उन क्षेत्रों में भी कार्रवाई को तेज कर दिया है जिन पर पिछले पांच दशकों से कोई विवाद नहीं था। भारतीय सीमा का अतिक्रमण और सैनिकों की हत्या ने भारत को उद्विग्न कर दिया है। उसका यह मानना सही है कि सीमा पर अमन और शांति बनाए रखने के पुराने समझौतों का उल्लंघन किया गया था। इसके विरोध में सैन्य लामबंदी के अलावा भारत ने चीन के खिलाफ कई कदम उठाने की शुरुआत

की है जिसका न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर बल्कि भारत के "एक्ट ईस्ट नीति" पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

चीन के साथ व्यवसाय भारत की "लुक ईस्ट नीति" का हिस्सा रहा है और उदारीकरण के पिछले तीन दशकों ने पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और चीन के साथ व्यापार और वाणिज्य का बढ़ा हुआ दायरा देखा है। हालांकि, बढ़े हुए व्यवसाय से केवल चीन के लिए 'फायदेमंद' स्थिति पैदा हुई, जो भारत की बाजार पहुंच का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर रहा था और धीरे-धीरे कई आला क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा था। इससे न केवल व्यापार घाटा लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया बल्कि धीरे-धीरे भारतीय उद्यम की निर्भरता चीनी फंडों और प्रौद्योगिकी पर बढ़ गयी जिसने भारत के दीर्घकालिक हितों को भी प्रभावित किया। यह भी सही आंका गया है कि व्यापार घाटे को चीन द्वारा पाकिस्तान में भारत की कीमत पर सैन्य आधुनिकीकरण के अलावा चीन की कई आर्थिक पहलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

## दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ

दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों ने उसके समुद्री पड़ोसियों को भी नाराज कर दिया है, जो चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उसने अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति से प्रतिरोध को वश में किया हुआ है। इसका एक उदाहरण फिलीपींस है जिसने 2016 में पंचाट के स्थायी न्यायालय में एक अनुकूल फैसले के साथ मध्यस्थता जीती परन्तु धन शक्ति और दबाव का प्रयोग करके चीन ने फिलीपींस को अस्थायी रूप से ही सही पर अपने पक्ष में कर लिया। फिलीपींस ने अब चीन से निपटने की निरर्थकता का एहसास किया है। वियतनामी मछली पकड़ने के पोत के डूबने की घटना, विवादित क्षेत्रों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में उड़ान भरने, शैल भित्तियों और चट्टानों को कृत्रिम द्वीपों में परिवर्तित करने, सैन्य छावनियों की स्थापना ने स्पष्ट रूप से चीन को अपने स्थलीय और समुद्री पड़ोसियों का चहेता तो कतई नहीं बनाया है। दूसरा लक्ष्य ताइवान है जिसने चीन के साथ एकीकरण के आह्वान को खारिज कर दिया है और अंतिम व्यक्ति के जीवित रहने तक मुकाबला करने का प्रण लिया यदि चीन जलडमरू मार्ग से उसके विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई करता है। हाल में अमेरिका ने ताइवान को उन्नत सैन्य साजो सामान प्रदान करने के लिए समझौते किये हैं जिससे चीन बेहद परेशान है।

## संक्षिप्त गतिरोध

सैन्य, राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर कई बैठकों और वार्तालापों के बावजूद चीन की अनिच्छुकता के कारण अतिक्रमण से पूर्व की यथास्थिति बनाये जाने की दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर वार्ता से इतर 10 सितंबर, 2020 को भारत के विदेश मंत्री और उनके चीनी समकक्ष के बीच तनावपूर्ण स्थिति को घटाने के लिए पांच बिंदुओं पर सहमति बन गयी। दोनों देशों के बीच समीकरण काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उन्हें किसी भी तरह की सामान्य स्थिति में वापस लाने में काफी समय लगेगा। भारत ने हर संबंध में चीन को स्थान देने की कोशिश की थी लेकिन उसके पीठ पर छुरा घोंपने की हरकत विश्वास से परे थी ठीक वैसे जैसा 1962 में हुआ था।

## विश्वव्यापी प्रतिक्रिया

यह जाहिर है कि कोविड-19 के दौरान संकट की अवधि में थल और समुद्र दोनों में सीमाएं लांघने की आक्रामकता में लिप्त होने की कोशिश में अपने मर्जी से कदम उठाने के लिए चीन के खिलाफ विश्व में रोष व्याप्त है। अमेरिका में चुनावी वर्ष में

ट्रम्प ने चीन को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और चीन को आघात पहुंचाने के लिए कई क़दमों की शुरुआत की है। इसके परिणामस्वरूप सभी मोर्चों पर एक युद्ध आरम्भ हुआ है जो पर्यवेक्षकों को शीत युद्ध की याद दिलाता है और जो अब गति पकड़ चुका है। चीन ने महसूस किया होगा कि उसकी हरकतें हद से कुछ ज्यादा हो गयी हैं इसलिए उसे अपने उठाये कुछ कदमों पर पछतावा हो रहा होगा। अमेरिका में राष्ट्रीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और लोगों के बीच अंतर स्थापित करने में सतर्कता बरत रहे हैं। इसे जीवनपर्यंत सत्ता के शीर्ष पर बने रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके शी जिनपिंग के नेतृत्व में पार्टी की कई कार्रवाइयों और उससे अनभिज्ञ रखे गए लोगों के बीच दरार डालने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।

### गलवान उपरांत परिदृश्य

भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अनैतिक और असामयिक अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए डट कर खड़ा हुआ है और उसे दुनिया के अधिकांश देशों का समर्थन प्राप्त है। इस स्थिति के युद्ध या स्थानीय संघर्ष में बदलने से भारत और चीन दोनों को भारी नुकसान होगा। भारत की ओर से चीन को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से पुख्ता संदेश भेजने के लिए कई कदम उठाये हैं कि संभवत: उसने भारत की प्रतिक्रियाओं का गलत मूल्यांकन किया है। इन अनेक कदमों में विभिन्न चीनी ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक, चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को संकट से बचाने के लिए स्वामित्व में लेने से रोकना, चीनी कंपनियों को मिलने वाले कई अनुबंधों को रद्द किया जाना आदि शामिल हैं। यह सब स्पष्ट रूप से उस चीन को पसंद नहीं आएगा जिसे भारत के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों में सुभीता प्राप्त था।

### चीन की हठधर्मिता के परिप्रेक्ष्य में पूर्वी देशों के साथ संबंध

यह मानना उचित है कि रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों की सतत समीक्षा की जा रही थी और आपसी निवेश और सहयोग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उनमें कुछ सुधार किए गए थे। हालांकि, यह सब एक हठ धर्मी चीन की पृष्ठभूमि में हुआ, जो

**बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य एशिया से अफ्रीका से यूरोप तक चीन के धन को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना है। शुरू में श्रीलंका और अन्य छोटे देशों में स्थानीय विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उपयोग करने के अवसर के बारे में बहुत उत्साह था लेकिन फिर यह स्पष्ट हुआ कि उन देशों के लिए इसमें एक बड़ा ऋण का शिकंजा था जो उन देशों को घेरने के इंतजार में था जो चेक बुक डिप्लोमेसी यानि आर्थिक सहायता रूपक रणनीति में उलझ जाएं।**

आक्रामक प्रचार और निवेश से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लुभाने में सक्षम था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य एशिया से अफ्रीका से यूरोप तक चीन के धन को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना है। शुरू में श्रीलंका और अन्य छोटे देशों में स्थानीय विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उपयोग करने के अवसर के बारे में बहुत उत्साह था लेकिन फिर यह स्पष्ट हुआ कि उन देशों के लिए इसमें एक बड़ा ऋण का शिकंजा था जो उन देशों को घेरने के इंतजार में था जो चेक बुक डिप्लोमेसी यानि आर्थिक सहायता रूपक रणनीति में उलझ जाएं। यह कई आसियान देशों में भी हुआ जो बीआरआई परियोजनाओं और पुन: मध्यस्थताओं से कुछ निकासी के गवाह थे। अन्य देशों को इस तथ्य की लगातार याद दिलाई गई थी कि श्रीलंका द्वारा लिए गए कुछ ऋणों को चुकाने के लिए श्रीलंका में गहरे पानी के बंदरगाह हंबनटोटा को 99 साल के लंबे पट्टे पर दिया गया था।

### रणनीतिक गणनाओं का उभरना

महामारी और चीन की कार्रवाइयों से भारत-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आये हैं जहां आने वाले दशकों में कार्रवाई देखी जाएगी। अमेरिका जो यहां से पीछे हटता देखा गया था विमान वाहक जहाजों, पोतों और पनडुब्बियों के साथ लौट आया है जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत, जो चतुष्कोणीय देशों के समूह के साथ आगे बढ़ने में संकोच कर रहा था ने अब अपनी गलती मानी कि वह चीन के प्रति संवेदनशील होने की कोशिश में था जबकि चीन ने शायद ही कभी भारत की संवेदनशीलता की परवाह की हो। यह पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन देने, आतंकी षड्यंत्रों के मास्टरमाइंड अजहर मसूद के बहिष्कार को वीटो के जरिए ख़ारिज करना, भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में प्रवेश से रोकने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के विस्तार की अनुमति देने में अनिच्छा और असहमति के कई मसलों पर भारत को घुड़की देने से स्पष्ट होता है। भारत ने सुविधाओं और विशेषज्ञता के पारस्परिक उपयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिस तर्ज पर 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज ज्ञापन के समझौते के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान के साथ ऐसे ही समझौते हैं। यह भारत के लिए काफी रणनीतिक लचीलापन प्रदान करता है जिसके मलक्का और सिंगापुर के जलडमरूमध्य से परे हित निहित हैं।

भारत-चीन-रूस त्रिकोणीय संबंधों का हिस्सा है और भारत, जापान और अमेरिका समूह का भी सदस्य है।

### निष्कर्ष

हालिया घटनाक्रम द्विपक्षीय संबंधों की पिछली परिपाटियों से अलग होने की आवश्यकता के संकेत हैं जिनके वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। ये घटनाक्रम स्पष्ट रूप से जतलाते हैं कि अब वैश्विक पुनर्व्यवस्थापन होगा, चाहे वह बियुग्मन के रूप में हो या चीन का मुकाबला करने के लिए नया गठजोड़ विकसित करना हो क्योंकि चीन ने अमेरिका का विकल्प बनने की अभिलाषा के अनुरूप परिपक्वता नहीं दर्शायी है। इसने अन्य राष्ट्रों द्वारा कई अपरिवर्तनीय कार्यों को गति देने के लिए प्रेरित किया है जिन्हें अब रोका जाना मुश्किल होगा। इसे भारत के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि अन्य देशों और संस्थानों के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों को पुन: निर्धारित किया जा सके जिससे भारत को समृद्धि और विकास में सहायक एक स्वतंत्र विकास मार्ग मिलेगा। ■

# भारत-रूस संबंध

डॉ अमिताभ सिंह

भारत और रूस के बीच संबंधों की व्यापक संभावनाएं हैं। दोनों देशों के संबंध उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं जितने अभी हैं। शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के गठबंधन (ब्रिक्स), रूस-भारत-चीन गठबंधन (आर.आई.सी.) और 20 देशों के संगठन (ग्रुप-20) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग की संभावनाओं से भी कहीं अधिक संभावनाएं भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और अधिक बढ़ाने की है। भारत और रूस को बाहरी अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने के उपायों, आर्कटिक क्षेत्र में अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से तालमेल के साथ ही आपसी हित के कई नये क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए।

भारत-रूस संबंधों का लिपिबद्ध इतिहास 15वीं शताब्दी से खोजा जा सकता है जब रूस के ट्वेर क्षेत्र का एक व्यापारी अफनासी निकितिन भारत यात्रा पर आया। उसने अपनी इस यात्रा के बारे में 'द जर्नी बियोंड थ्री सीज' नाम की एक पुस्तक लिखी थी। लेकिन भारत और रूस के समसामयिक संबंधों का सिलसिला 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी ज़ार के खिलाफ 1905 में हुए प्रारंभिक विद्रोह से खोजा जा सकता है। असल में इसी से भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक रूपों में विद्रोह का बिगुल बजा। रूस के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक लिओ टाल्स्टॉय ने, जो 'वॉर एंड पीस' सहित अनेक महान पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं, महात्मा गांधी के साथ लंबा पत्राचार किया था। बोल्शेविक क्रांति के नेता वी.आइ. लेनिन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बड़ी बारीकी से गौर किया और अपने लेखन तथा भाषणों में अक्सर इस पर टिप्पणियां कीं। 1927 में जवाहरलाल नेहरू की सोवियत संघ की यात्रा से उनकी आर्थिक सोच की नींव पड़ी, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू किया। इसके अलावा भारत का बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण, भिलाई और

बोकारों जैसे इस्पात कारखानों की स्थापना तथा आईआईटी मुंबई जैसी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना सोवियत संघ के भरपूर सहयोग और मदद से ही संभव हो पायी।

सोवियत संघ के नियोजन से भारत को भी अपने विकास की योजना बनाने में मदद मिली। भारत की स्वतंत्रता को प्रारंभ में सोवियत संघ ने सकारात्मक रूप में नहीं लिया। उसने भारत को 'पिछलग्गू' करार दिया और भारतीय नेताओं को कई कारणों से *'अपने पूर्ववर्ती औपनिवेशिक आकाओं के तहबंद से चिपटा रहने वाला'*

लेखक नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: amitabhsingh@mail.jnu.ac.in

बताया था। इसका मुख्य कारण आजादी के बाद के वे नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व किया और उपनिवेशवादी ब्रिटेन के साथ अपने संबंध कायम रखे। यह वो जमाना था जब दुनिया दो ध्रुवों वाली थी जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका के रूप में केवल दो महाशक्तियां होती थीं जिनके आधार पर दो गुट बन जाते थे। भारत और तीसरी दुनिया के अन्य राष्ट्रों के संगठन-गुट-निरपेक्ष आंदोलन को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। स्वतंत्रता से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि "जहां तक संभव होगा, भारत महाशक्तियों की गुटों के प्रति निष्ठा वाली राजनीति से दूर रहेगा क्योंकि अतीत में इससे मौत और विनाश ही हुआ है और भविष्य में महाविनाश हो सकता है।"[2] पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल हो गया। 1950 के दशक के बाद के वर्षों में सोवियत संघ और चीन के बीच खाई बढ़ती चली गयी 1960 के दशक में यह इतनी बड़ी हो गयी कि 1969 में दोनों देशों के बीच उसुरी नदी पर हिंसक संघर्ष हुआ। सोवियत संघ ने 1955-56 से भारत के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू किये और भारत के आर्थिक नियोजन में भरपूर सहायता देने को आगे आया। यह सहायता नेकनीयती से थी और इससे भारत और सोवियत संघ के संबंधों की सुदृढ़ पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ।

1962 में सोवियत संघ चीन के साथ अपनी विचारधारा संबंधी निकटता के बावजूद तटस्थ रहा। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत का समर्थन नहीं किया और उसका पक्ष भी नहीं लिया। 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किये गये जिसे भारत-सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि, 1971 के नाम से जाना जाता है। इस संधि के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसके अनुच्छेद 5 और 6 में हैं जिनमें विदेशी आक्रमण की स्थिति में दोनों देशों के एक-दूसरे की मदद को आगे आने की बात कही गयी है।[3] हालांकि भारत शुरू में सोवियत संघ के सैन्य ब्लॉक (ब्रेझनेव सिद्धांत) में शामिल होने को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन पड़ोसियों के साथ अपने अनुभवों को देखते हुए उसने अपने दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए यह संधि की। 1968 में जब सोवियत संघ ने

**सोवियत संघ के विघटन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन से रूस को लेकर भारतीय विदेश नीति में भी आमूल परिवर्तन आया। भारत और पूर्व सोवियत संघ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल थे, खास तौर पर रक्षा आपूर्ति के मामले में। भारतीय थल सेना का करीब 70 प्रतिशत, नौ सेना का 80 प्रतिशत और वायु सेना का 85 प्रतिशत साज-सामान सोवियत संघ में बना होता था।**

चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया तो भारत ने सोवियत संघ का समर्थन नहीं किया। दूसरी ओर सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमेशा भारत का साथ दिया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। सोवियत संघ ने हमेशा ऐसे किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से भारत की निंदा की गयी हो। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो भारत ने सोवियत संघ की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की। सोवियत नेतृत्व ने भारत को तीसरी दुनिया के प्रमुख देश और गुट निरपेक्ष आंदोलन (नैम) के नेता रूप में हमेशा महत्व दिया, जो कि पश्चिम के किसी देश ने नहीं दिया।[4]

जब मिखाइल गोर्बाचेफ 1984 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देश में पेरेस्त्रोइका (पुनर्गठन) और ग्लासनोस्त (खुलेपन) की नीति के माध्यम से सुधारों की शुरुआत की जो सोवियत संघ के भंग होने का प्रमुख कारण बनी। इसके बाद जो नयी विदेश नीति आई उसमें सोवियत विदेश नीति को विचारधारा के बंधनों से मुक्त कर दिया। तृतीय विश्व के बारे में गोर्बाचेफ का कहना था कि तृतीय विश्व के देशों के साथ सोवियत संघ के संबंध पारस्परिक लाभ पर आधारित होने चाहिए और इसका आधार सोवियत संघ द्वारा रियायती दर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सोवियत संघ को भी इन संबंधों का

# BRICS XIAMEN SUMMIT

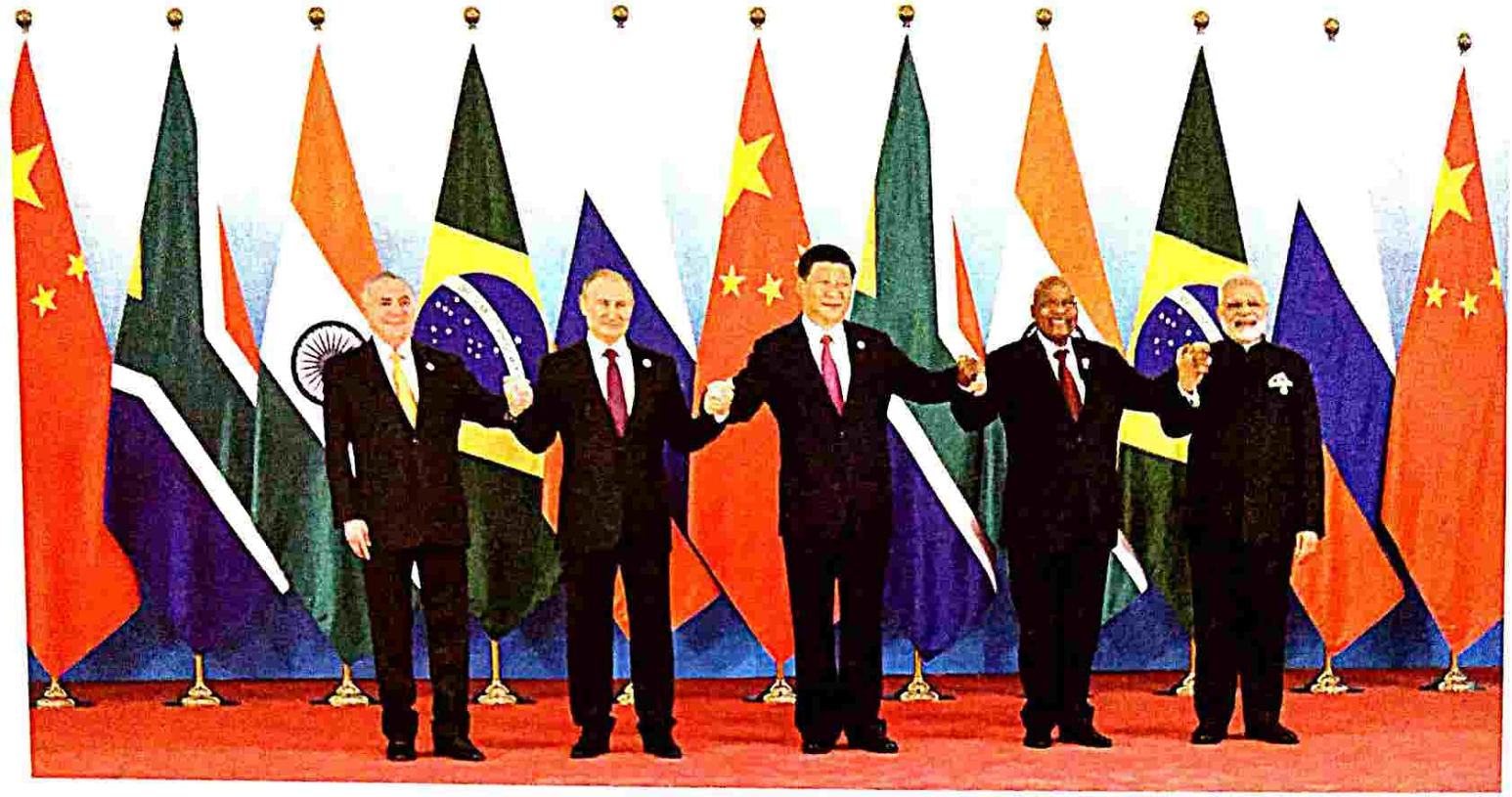

फायदा मिलना चाहिए। अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने की कोशिश में सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों को अपने संबंधों का केन्द्र बिन्दु बनाया। इस दौर में भारत के साथ उसके संबंधों में गिरावट तो नहीं आयी, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं बदल गयीं। 1990 में सोवियत संघ ने तृतीय विश्व के देशों के साथ अपने संबंधों पर जोर देना बंद कर दिया। इस दौरान राजनीतिक परिदृश्य में भी अनेक परिवर्तन हुए-सैनिक तख्तापलट हुआ और बाद में 1991 में सोवियत संघ खुद ही बिखर गया।

### सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत-रूस संबंध

सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति में भारी बदलाव ला दिये। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सम्पूर्ण परिदृश्य बदल गया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हुए इस क्रांतिकारी परिवर्तन से उत्तर-वेस्टफैलियन काल के राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार के तौर-तरीकों में बदलाव आ गया। इस दौरान जो शक्ति संतुलन बना हुआ था उसका अंत हो गया। अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। पूर्व और पश्चिम के विचारधारा संबंधी मतभेद भी समाप्त हो गये। सोवियत संघ के विघटन से केन्द्रीकृत कमान वाले आर्थिक मॉडल का अंत हो गया जिसका भारत आंशिक रूप से पालन करता था।

सोवियत संघ के विघटन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन से रूस को लेकर भारतीय विदेश नीति में भी आमूल परिवर्तन आया। भारत और पूर्व सोवियत संघ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल थे, खास तौर पर रक्षा आपूर्ति के मामले में। भारतीय थल सेना का करीब 70 प्रतिशत, नौ सेना का 80 प्रतिशत और वायु सेना का 85 प्रतिशत साज-सामान सोवियत संघ में बना होता था। विघटन से भारत के सामने जो तात्कालिक समस्या उत्पन्न हुई वह रक्षा आपूर्ति की थी। उसका समूचा सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान ठप्प पड़ गया क्योंकि भारत पूर्व सोवियत संघ की सैन्य साज-सामान बनाने वाली जिन इकाइयों पर निर्भर था अब यूक्रेन और कजाखिस्तान में थीं। भारत सरकार को रक्षा आपूर्ति की शर्तों को इन देशों के साथ-साथ रूस से भी फिर से तय करना पड़ा। इसके अलावा मुद्रा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। सोवियत संघ के जमाने में भारत साज-सामान की खरीद के लिए आम तौर पर भारतीय रुपये में ही भुगतान करता था। विघटन के बाद जो व्यापार हुआ उसने भारत के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी क्योंकि रूबल का भारी अवमूल्यन हो चुका था। इतना ही नहीं, सोवियत संघ वाले जमाने में ज्यादातर रक्षा आपूर्ति साख यानी कर्ज के आधार पर होती थी, जो विघटन के बाद बंद हो गया। रक्षा उत्पादों की कीमतें भी बढ़ा दिये गये और रक्षा खरीद के लिए पहले जो 'दोस्ताना कीमत' लगायी जाती थी वह भी खत्म हो गयी।[5]

1990 का दशक भारत-रूस संबंधों के लिए भी अग्निपरीक्षा का समय था। भारत-रूस मित्रता को लेकर कही जा रही ऊंची-ऊंची बातों के बावजूद 1998 में भारत द्वारा किये गये परमाणु परीक्षणों से भारत और रूस के बीच क्रायोजेनिक सौदा अमेरिका द्वारा लगायी गयी पाबंदियों की वजह से समाप्त हो गया। भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में रूस भी अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो गया। 2000 में जब व्लादीमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो रूस और भारत के संबंधों में गुणात्मक बदलाव आया लेकिन सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों में जिन बुनियादी बातों पर जोर दिया जाता था वह बरकरार रहा। 2000 में भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये और यह दोनों देशों के बीच संबंधों को संस्थागत रूप देने में मील का पत्थर साबित हुई।

2000 से भारत और रूस के बीच 19 वार्षिक शिखर बैठकों का निर्बाध रूप से आयोजन किया जा चुका है जिससे यह बात साबित हो जाती है कि दोनों देश इन संबंधों को कितना महत्व देते हैं। 1990 के दशक ने रूस और भारत दोनों को विशेष संबंधों के संदर्भ में एक-दूसरे के महत्व का अहसास कराने का मौका दिया था। आधिकारिक रूप से इन संबंधों को 'विशेष और विशेषाधिकार वाली सामरिक साझेदारी' कहा जाता है।

भारत और रूस के संबंधों को दोनों देशों की सरकारों के दो आयोगों (आईआरआईजीसी) के माध्यम से अंतर-सरकारी स्तरों पर भी संस्थागत रूप दिया गया है। पहले आयोग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और रूस के उप प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से की और दूसरे की दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने की।

द्विपक्षीय स्तर पर संबंधों के अलावा दोनों देशों ने आपसी आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय स्तर पर विचार-विमर्श शुरू किया है। इनमें ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), शंघाई सहयोग संगठन (भारत 2017 में इसका सदस्य बना), जी-20 और आर.आइ.सी. (रूस, भारत और चीन) प्रमुख है।

## पिछले दशक में भारत-रूस संबंध

पिछले दो दशकों में दोनों देशों के बीच संबंध चुनौतियों से भरपूर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के गिरते दामों ने इनके निर्यात से होने वाली आय पर मुख्य रूप से निर्भर रूस की आमदनी काफी कम कर दी है। इस शताब्दी के पहले दशक से ही राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस ने शानदार प्रगति की है और दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया है। भारत ने अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु सौदे पर हस्ताक्षर के बाद रक्षा सामग्री की खरीद के अपने स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किये हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु सौदा हुआ है उसमें भारत की प्रतिरक्षा संबंधी परमाणु आवश्यकताओं और असैनिक परमाणु जरूरतों में अंतर किया गया है। क्रीमिया के रूस के साथ फिर से एकीकरण और यूक्रेन के आंतरिक मामलों में रूस के कथित हस्तक्षेप के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं। नयी उभरती क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति ने रूस को अपने बचाव की मुद्रा में ला दिया है जिससे इस क्षेत्र और उससे बाहर शक्तियों का नये सिरे से ध्रुवीकरण हुआ है। रूस और चीन एक-दूसरे के और पास आ गये हैं। पाकिस्तान भी उनसे बहुत दूर नहीं है। रूस ने पाकिस्तान के साथ एक रक्षा सौदा किया है जिसके तहत रूस ने उसे चार सैन्य हेलीकॉप्टर दिये हैं और भारत की बेचैनी के बावजूद रूस और पाकिस्तान ने वार्षिक सैन्य अभ्यास किया है। इधर भारत ने भी जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत किये हैं। भारत ने आसियान देशों और पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंध सुदृढ़ किये हैं।

चीन के दबंग और आक्रामक रूप में उभरने का भी यही मतलब है कि विदेश नीति का रुझान भी बदल गया है। सड़कों और वाणिज्यिक समुद्री मार्गों का नेटवर्क बनाने के लिए चीन ने रोड एंड बैल्ट इनिशिएटिव के जरिए जो पहल की उसे रूस का खुला समर्थन मिल रहा है जबकि भारत ने अपने ही कारणों से इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसने 'हिन्द-प्रशांत क्षेत्र' को (जिसे रूस और चीन 'एशिया-प्रशांत' कहते हैं) चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इसका यह मतलब भी है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत और रूस की धारणाओं में टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है।

## निष्कर्ष

भारत और रूस के बीच मौजूदा संबंधों की तुलना में इनके और भी प्रगाढ़ होने की संभावना है। एससीओ, ब्रिक्स, आरआईसी और जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों के स्तर पर सहयोग की संभावनाओं के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता है। भारत और रूस को बाहरी अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के उपायों, आर्कटिक क्षेत्र के अन्वेषण के अलावा आपसी हित के कई नये क्षेत्रों में सहयोग के लिए अपनी क्षमताओं में तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को अफगानिस्तान और मध्य एशिया को माल परिवहन के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे परिवहन मार्गों के जरिए और मजबूत आपसी संपर्क कायम करने की दिशा में भी कार्य करने की जरूरत है। रूस के सुदूर पूर्व के निर्जन लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र के विकास में भारत के सहयोग की संभावनाओं का जल्द-से-जल्द पता लगाने की बड़ी आवश्यकता है।

लंबे और निरंतर संबंधों को सिर्फ अतीत की विरासत और रक्षा समझौतों के आधार पर सहेज कर नहीं रखा जा सकता। भारत और रूस दोनों ही देश आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब पुरानी व्यवस्था चरमरा रही है। कोविड-19 महामारी के बाद के दौर में जिस नयी वैश्विक व्यवस्था के उभर कर सामने आने की संभावना है वह नयी भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण दोनों देशों को एक-दूसरे के और भी करीब ला देगी। ■

**1990 का दशक भारत-रूस संबंधों के लिए भी अग्निपरीक्षा का समय था। भारत-रूस मित्रता को लेकर कही जा रही ऊंची-ऊंची बातों के बावजूद 1998 में भारत द्वारा किये गये परमाणु परीक्षणों से भारत और रूस के बीच क्रायोजेनिक सौदा अमेरिका द्वारा लगायी गयी पाबंदियों की वजह से समाप्त हो गया। भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में रूस भी अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो गया।**

## संदर्भ


1. चायना इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हरीश कपूर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, 1975.
2. जवाहरलाल नेहरू, 'फ्री इंडियाज रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स,' सलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू: दूसरी पुस्तकमाला, खंड 1, 404-408.
3. https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5139/Treaty+of+. 13 सितंबर, 2020 को देखा गया।
4. इंडिया एंड रशिया, 'अलायंस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम,' लेखिका अनुराधा चिनॉय; इंडिया-रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: द कॉमन पर्सपेक्टिव, संपादित पी. स्टोबदान 2010, प्रकाशक : इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस।
5. इंडिया एंड रशिया, 'अलायंस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम,' लेखिका अनुराधा चिनॉय, इंडिया-रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: द कॉमन पर्सपेक्टिव, संपादित पी. स्टोबदान 2010, प्रकाशक : इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस।

# पश्चिम एशिया के साथ संबंध

निलोवा रॉय चौधरी

**अपनी भौगोलिक स्थिति और दक्षिण और मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका से निकटता के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ उनके वैचारिक या सांप्रदायिक विवादों में उलझे बिना द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाये रखने की नीति अपनाई है।**

भारत अरब सागर में अपने सबसे करीबी पश्चिमी पड़ोसी पश्चिम एशिया के साथ घनिष्ठ रूप से व्यापारिक साझीदार के तौर पर जुड़ा है जिससे कई सदियों से व्यापारिक वस्तुओं और विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है।

वर्तमान में पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंध हमारी विदेश नीति प्रयासों में सबसे गहन और विविधतापूर्ण रहे हैं और शायद, सबसे अधिक संतोषप्रद भी। ये सघन संबंध अब 'लिंक और एक्ट वेस्ट नीति' में बदल गये हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग इस नीति के प्रमुख स्तंभ बन गए हैं। यह आतंकवाद और कट्टरता का मुकाबला करने, समुद्री और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने, सशस्त्र सेनाओं के बीच अधिक से अधिक संपर्क को बढ़ावा देने जिनमें संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तो शामिल है ही साथ ही आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में व्यापक सहयोग भी शामिल है।

भारत के लिए ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया व उससे परे का प्रवेश द्वार है और अरब देश और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) राष्ट्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के अभिन्न अंग हैं जैसा कि इज़रायल जबकि इस क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की विशाल आबादी की सुरक्षा और कल्याण के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

अपनी भौगोलिक स्थिति और दक्षिण और मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका से निकटता, प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों पर इसकी महत्वपूर्ण स्थिति, इसके विशाल ऊर्जा संसाधन जो विश्व के कच्चे तेल उत्पादन का 34 प्रतिशत है, कच्चे तेल के निर्यात का 45 प्रतिशत है और कच्चे तेल के प्रमाणित भंडारों का 48 प्रतिशत है, के कारण पश्चिम एशिया अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां पर अब्राहमिक धर्मों : इस्लाम, ईसाई और यहूदी की उत्पत्ति हुई। इस क्षेत्र में मुख्यत: सुन्नी और शिया इस्लाम के

लेखक एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने वाशिंगटन पोस्ट, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन जैसे समाचार पत्रों में काम किया है। ईमेल : nilovarc@gmail.com

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने और द्विपक्षीय संबंधों के 'सामान्यीकरण' के लिए 13 अगस्त, 2020 को हस्ताक्षर किए गए अब्राहम समझौते ने भारत को जो इजरायल और यूएई दोनों का करीबी साझेदार है पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया और संभवत: सात दशकों से अधिक समय से चली आ रही अरब-इजरायल संबंधों में विघ्न डालती कटुता के शांतिपूर्ण समाधान को भी प्रभावित किया।

अनुयायियों के बीच बाहरी ताकतों और कुछ आंतरिक अलगावों के कारण चिरकालिक अस्थिरता रही है जो यहां आतंकवाद और संघर्ष को जन्म दे रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्लामी आबादी वाले देश भारत के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा के व्यापक मायने हैं।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने और द्विपक्षीय संबंधों के 'सामान्यीकरण' के लिए 13 अगस्त, 2020 को हस्ताक्षर किए गए अब्राहम समझौते ने भारत को जो इजरायल और यूएई दोनों का करीबी साझेदार है, पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया और संभवत: सात दशकों से अधिक समय से चली आ रही अरब-इजरायल संबंधों में विघ्न डालती कटुता के शांतिपूर्ण समाधान को भी प्रभावित किया। यह इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे के अरब डी-हाइफ़नेशन (इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर भारत द्वारा अपनाई गई नई नीति का कूटनीतिक नाम) की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसने इस क्षेत्र को अस्थिर रखा है।

भारत ने जुलाई 2017 में उस डी-हाइफ़नेशन प्रक्रिया को पूरा किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल का दौरा किया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उस देश की पहली यात्रा थी। वह तब फिलिस्तीन नहीं गए थे। ये घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध व्यापक रूप से महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी

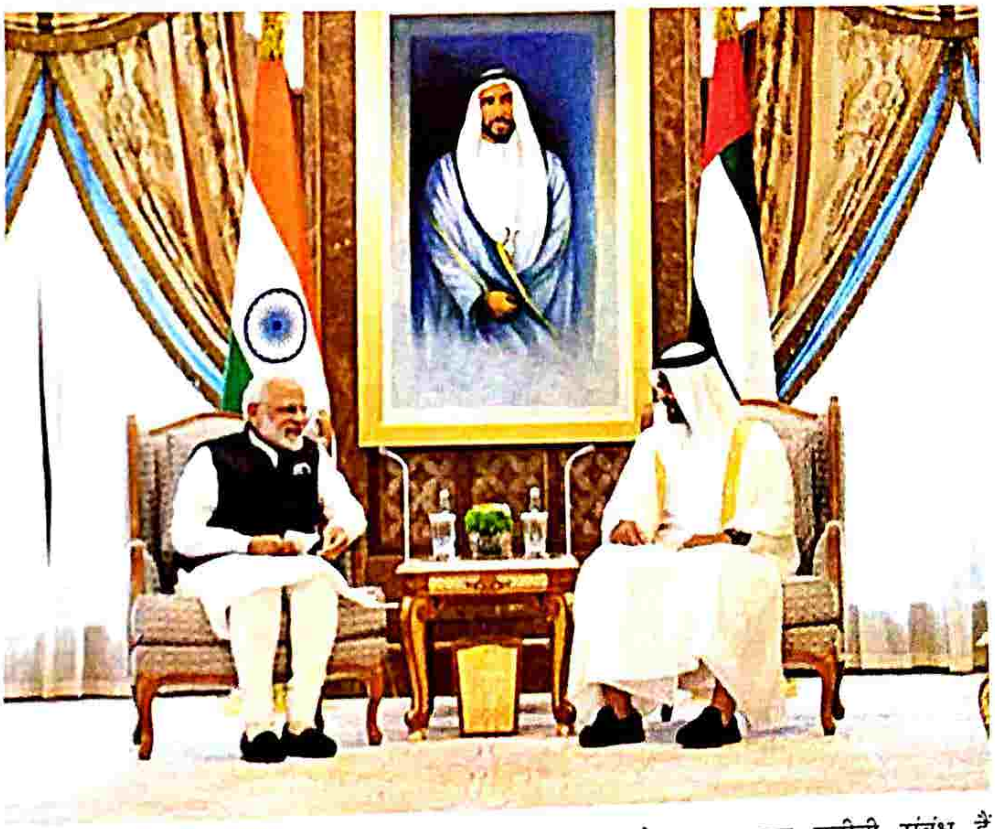

और रणनीतिक प्रकार के हैं और एक अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग के साथ एकजुटता बनाए रखने के बावजूद फिलिस्तीन और इजरायल के बीच संबंधों में संतुलन बनाने का क्षीण प्रयास है। हालांकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के इजरायल की राजधानी को तेल अवीव से यरुशलम ले जाने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था।

हाल ही में हुआ समझौता भारत को खाड़ी में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के नए अवसर प्रदान करता है क्योंकि भारत के न केवल इजरायल के साथ बहुत करीबी संबंध हैं बल्कि खाड़ी राजतंत्रों विशेष रूप से यूएई और सऊदी अरब के साथ इसके रणनीतिक संबंधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। खाड़ी देशों के साथ जिन्हें भारत अपने पड़ोस में और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है, संबंधों में तेजी से सुधार वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण सफलता कही जा सकती है जिससे इसे सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ हासिल हुए हैं।

भारत ने अपने दो रणनीतिक भागीदारों के बीच समझौते का स्पष्ट रूप से स्वागत

# भारतीय कूटनीति का सर्वोत्तम रूप: प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पश्चिमी एशियाई देशों से संबंध मजबूत करना

किया है और उम्मीद जताई है कि यह इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए अग्रगामी साबित होगा। नई दिल्ली ने फिलिस्तीनी आन्दोलन के लिए अपने पारंपरिक समर्थन को भी दोहराया और एक स्वीकार्य दो-राज्य समाधान के लिए शीघ्र सीधी वार्ता की उम्मीद प्रकट की।

इस वर्ष के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के साथ भारत के गहरे संबंधों का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि वे भारत की ऊर्जा और अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीयों को उन देशों में अपने प्रवास को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान भारत ने इन देशों में जिनमें ईरान भी शामिल है डॉक्टरों, चिकित्सा टीमों, दवाओं और अत्यावश्यक पीपीई और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों को भेज कर और बेहतरीन कार्यप्रणालियों को साझा करके सक्रिय रूप से मदद का हाथ बढ़ाया जिसको खूब सराहा गया।

इस क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के अलावा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पुनरुद्धार के प्रयासों को बढ़ावा देगा खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, हथियारों की बिक्री, सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद विरोधी प्रयासों से भारतीय सुरक्षा को मजबूती हासिल करने में मदद मिलेगी।

सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा है जिसमें जीवाश्म ईंधन से लेकर नवीकरणीय संसाधन शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा एक अन्य क्षेत्र है जबकि भारतीय बाजार का आकार और यहां निर्मित उत्पादों की विविधता खाड़ी देशों और इजरायल के लिए एक और लुभावना आकर्षण है।

**सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा है जिसमें जीवाश्म ईंधन से लेकर नवीकरणीय संसाधन शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा एक अन्य क्षेत्र है जबकि भारतीय बाजार का आकार और यहां निर्मित उत्पादों की विविधता खाड़ी देशों और इजरायल के लिए एक और लुभावना आकर्षण है।**

पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध कार्यक्षेत्रों और परिमाण में अधिक प्रगाढ़ और व्यापक हो गए हैं जो हाल के वर्षों में उनके नेताओं के बीच शीर्ष स्तर की यात्राओं की संख्या से स्पष्ट है। "लुक वेस्ट" नीति को "लिंक एंड एक्ट वेस्ट" में परिवर्तित करके इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को पुख्ता करने के लिए एक संतुलित संबंध नीति तैयार की गयी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में 34 वर्षों के बाद यूएई (अबू धाबी) का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अपने कार्यकाल के पहले दो वर्षों के दौरान उन्होंने कतर और सऊदी अरब और ईरान का दौरा किया और 2017 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 25 वीं वर्षगांठ मनाने इज़रायल यात्रा पर गए। 2018 में जॉर्डन में एक संक्षिप्त ठहराव के बाद वह फिलिस्तीन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जहां

भारत अफ़ग़ानिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि : भारत का समुद्री पोत द्वारा चाबहार बंदरगाह से अफ़ग़ानिस्तान को गेहूं भेजना

उन्हें राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह यूएई (दुबई) और ओमान यात्रा पर गए जो न केवल रिश्तों के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को बढ़ाने के लिए था बल्कि सांस्कृतिक भी था जिसमें यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास समारोह शामिल था। साथ ही ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित करते हुए रक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग के विषय पर भी चर्चा हुई। उस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय नौसेना को ओमान के दुकूम बंदरगाह का प्रयोग करने की इजाजत प्रदान करने को औपचारिक रूप प्रदान करना था। समुद्री गलियारों को सुरक्षित करने, समुद्री डकैती को रोकने और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत को दुकूम बंदरगाह के उपयोग की सहूलियत मिली जिससे वह सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरिये अपनी समुद्री रणनीति को मजबूत करने में सक्षम हुआ।

प्रधानमंत्री ने 2019 में तीसरी बार यूएई का दौरा किया और देश के शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किये गए। केवल यूएई में 5000 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं जो उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों में हैं। यूएई भारतीय उत्पादों का एक प्रमुख पुनर्निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है और उस क्षेत्र व शेष विश्व में उन्हें निर्यात करता है। वह रूढ़िवादी शेख राज्य बहरीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जहां 3000 से अधिक भारतीय व्यापार उद्यम स्थित हैं। प्रधानमंत्री ने राजधानी मनामा में श्रीनाथजी मंदिर का जीर्णोद्धार के कार्यारम्भ की शुरुआत भी की।

अक्टूबर 2019 में रियाद की अपनी दूसरी यात्रा पर प्रधानमंत्री ने राजा सलमान को जम्मू-कश्मीर के भावी विकास के लिए नई दिल्ली की सोच से अवगत कराया और कश्मीर के लिए विकास निधि प्राप्त की। इस यात्रा में सऊदी क्राउन प्रिंस और भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी परिषद को औपचारिक रूप भी दिया गया।

कुवैत और कतर के साथ सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई पश्चिम एशिया के साथ 'लिंक एंड एक्ट वेस्ट' कूटनीति के केंद्र में हैं। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और इस क्षेत्र में रहने वाले नब्बे लाख से अधिक भारतीयों की भलाई में इन देशों की भूमिका का एहसास है जो भारत में सालाना लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर धनराशि भेजते हैं।

प्रधानमंत्री की यात्राओं से भारत में निवेश में तेजी आई है। 2018 में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और सऊदी दिग्गज अरामको 44 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिए सहमत हो गई जिसका निर्माण भारत महाराष्ट्र में कर रहा था। दोनों भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निवेश करने और भारतीय कच्चे तेल के सामरिक भंडार के निर्माण में कई बिलियन डॉलर निवेश करने में रुचि रखते हैं। यूएई भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का पहला साझेदार है और एंकर इन्वेस्टर यानि संस्थागत निवेशक के रूप में उसने एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

भारत ने इस क्षेत्र के कई शीर्ष नेताओं की मेजबानी की है- इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी, 2018 में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, और 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान।

इन सभी यात्राओं और समझौतों ने पश्चिम एशिया के साथ असाधारण रूप से घनिष्ठ, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को बढ़ावा दिया है और इस क्षेत्र में भारत और भारतीयों के प्रति अपार सद्भावना का माहौल तैयार किया है। इस क्षेत्र में नब्बे लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और क्षेत्र के अधिकांश देशों में वहां के सबसे बड़े प्रवासी

समुदाय हैं। भारतीय प्रवासी अपनी मेजबान अर्थव्यवस्थाओं और देशों के कल्याण और विकास में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं जहां अपने अनुशासन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण उन्हें कार्यबल में नियुक्त करने में वरीयता दी जाती है।

इस क्षेत्र में भारत की 'सॉफ्ट पावर' भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है; भाषा, भोजन, संगीत, योग और निश्चित रूप से बॉलीवुड फिल्मों के सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ। भारत के लोकतांत्रिक चरित्र, अन्य लोगों के आंतरिक मामलों के प्रति इसकी तटस्थता और अहस्तक्षेप और सभी के प्रति सद्भाव ने प्रधानमंत्री को अपने प्रमुख विदेश नीति साधन के रूप में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर भरोसा करने का अवसर दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य कूटनीति ने भी इन देशों को भारत की ओर आकर्षित किया है जिसके कारण अनेक लोग महंगी पश्चिमी चिकित्सा सुविधाओं की बनिस्पत भारतीय विकल्प पसंद करते हैं।

इन देशों के भारतीय प्रवासी विदेशी मुद्रा की बड़ी मात्रा भारत भेजते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाते हैं। वे भारत की रणनीतिक संपत्ति और सद्भावना दूत हैं जिन्होंने भारत की छवि को बेहतर बनाने में योगदान दिया है और प्रमुख व्यापारिक और निवेश सहयोगी के रूप में उभरे हैं। यह क्षेत्र भारत के दो-तिहाई तेल और इसकी 80 प्रतिशत गैस आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है और

**भारत ने इस क्षेत्र में सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने की नीति का अनुसरण किया है और बिना उनके वैचारिक या सांप्रदायिक विवादों में उलझे हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है। लिहाजा सीरियाई भी इस क्षेत्र में ईमानदार मध्यस्थ के रूप में भारत से बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने की अपेक्षा कर रहे हैं।**

यह देखते हुए कि खाड़ी देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा, जनबल और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की जबरदस्त क्षमता प्रदान करते हैं, भारत के लिए इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और आर्थिक भलाई सुनिश्चित करना उसके हित में है क्योंकि यह क्षेत्र कई अंतर-देशीय प्रतिद्वंद्विता और तनावों से घिरा हुआ है।

भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गयी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल भारत और पश्चिम एशिया के बीच संमिलन और सहयोग का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र बन गया है। दोनों ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित रखने के प्रति रुझान रखते हैं और जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाना चाहते हैं जो वातावरण प्रदूषित करते हैं और क्षति पहुंचाते हैं।

इस्लामिक सहयोग संगठन जैसे मंचों में यूएई और सऊदी अरब जैसे अरब देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाये रखी है जो भारत के लिए एक और बड़ा लाभ रहा है। इन सभी देशों के साथ असाधारण रूप से करीबी खुफिया जानकारी साझा करना, कट्टरता और आतंकवाद-रोधी सहयोग हाल के समझौतों के प्रमुख पहलु हैं। इस प्रकार पाकिस्तान भारत के खिलाफ जम्मू एवं कश्मीर को लेकर सौदेबाजी करने में असमर्थ है जिससे नई दिल्ली को मुस्लिम बहुल पश्चिम एशियाई देशों के बीच अपने प्रभाव को चौतरफा बढ़ाने का अवसर मिला है।

भारत ने इस क्षेत्र में सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने की नीति का अनुसरण किया है और बिना उनके वैचारिक या सांप्रदायिक विवादों में उलझे हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है। लिहाजा सीरियाई भी इस क्षेत्र में ईमानदार मध्यस्थ के रूप में भारत से बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने की अपेक्षा कर रहे हैं। अरब देशों और ईरान के साथ भारत के फलते-फूलते संबंधों का लाभ उठा कर नई दिल्ली इस्लामिक दुनिया में प्रधानता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों के लिए आगे बढ़ने और सहयोग करने के लिए व्यावहारिक संबंधों की पैरोकारी कर सकता है। ■


| प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र | | | |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड | 110003 | 011-24367260 |
| दिल्ली | हाल सं. 196, पुराना सचिवालय | 110054 | 011-23890205 |
| नवी मुंबई | 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर | 400614 | 022-27570686 |
| कोलकाता | 8, एसप्लानेड ईस्ट | 700069 | 033-22488030 |
| चेन्नई | 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर | 600090 | 044-24917673 |
| तिरुअनंतपुरम | प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट | 695001 | 0471-2330650 |
| हैदराबाद | कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद | 500080 | 040-27535383 |
| बेंगलुरु | फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला | 560034 | 080-25537244 |
| पटना | बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ | 800004 | 0612-2683407 |
| लखनऊ | हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज | 226024 | 0522-2325455 |
| अहमदाबाद | 4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद | 380009 | 079-26588669 |

# विदेशों में भारतीय

प्रो एस मनिवसकन

**विदेशों में बसे ढाई करोड़ से अधिक भारतीयों ने ऊर्जावान और आत्मविश्वासी प्रवासी समुदाय का रूप ले लिया है। इस समुदाय ने जो भूमिका निभाई है उसका भारत की सफलता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के साथ संपर्क भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है। किन्तु विदेशों में आने वाली चुनौतियां बहुत वास्तविक होती हैं और किसी भी विदेशी को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस लेख में लेखक ने इसी विषय से जुड़ी अन्य मान्यताओं का सच उजागर करने की कोशिश की है।**

लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में जाते हैं- कुछ अपने सपनों को सच करने की धुन में निकलते हैं तो कुछ लोग युद्ध और भूख की मार से बचकर भागते हैं और कुछ को रोमांच खींच ले जाता है। कारण चाहे जो भी हों अपना देश छोड़कर विदेश जाने का फैसला एक बहुत बड़ा कदम और जीवन बदलने वाला अनुभव होता है। प्रवास पर निकलते समय लोग न सिर्फ अपनी संपत्तियां और सामान छोड़कर जाते हैं, बल्कि मित्र, परिवार, सामाजिक परिवेश और व्यक्तिगत पहचान भी पीछे छूट जाते हैं। अक्सर ऐसा बताया जाता है कि विदेश चले जाने से व्यक्ति का रहन-सहन सुधर जाएगा और दूसरों को भी बहुत लाभ होगा। आम धारणा है कि विदेशों में बसना बहुत आसान है। जीवन में संपन्नता रहती है और भारत जैसी कठिनाइयां नहीं होती। मान लिया जाता है कि जो विदेश चले

लेखक यूजीसी-सेंटर फॉर साउथ एंड साउथईस्ट एशियन स्टडीज, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई के निदेशक हैं। ईमेल: smvasakan62@gmail.com

जाते हैं उन्हें सारा ऐशो-आराम सहज मिल जाता है। किन्तु ये सभी धारणाएं सच्चाई से कोसों दूर हैं। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा और अमेरिका जैसे देशों को अवसरों और संभावनाओं से भरपूर माना जाता है। किन्तु जैसे ही कोई व्यक्ति भारत से निकलकर विदेशी धरती पर कदम रखता है उसका सामना जिंदगी की असलियत से हो जाता है। भाषा, शिक्षा और हमारा सदियों से चला आ रहा सामाजिक व्यवहार का तरीका सब बदल जाता है।

### विदेशों में बसे भारतीयों की समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रमुख उपाय

1. विदेशों में प्रवास करने वाले भारतीयों, दूतावासों, भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ताओं और बीमा एजेंसियों का एक समग्र ऑनलाइन डाटाबेस जिससे सभी संबद्ध पक्षों की साख की प्रामाणिकता की ऑनलाइन पुष्टि हो जाती है और उत्प्रवास की समुचित प्रक्रिया त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से चलती है।
2. भारत सरकार ने खाड़ी के छह देशों, जॉर्डन और मलेशिया के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन ज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य कामगारों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए आपसी सहयोग और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना है।
3. सरकार ने मदद पोर्टल भी शुरू किया है जिस पर उत्प्रवासी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होती है।
4. सरकार ने हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्तियों के हित में पीआईओ कार्ड योजना में संशोधन किया है जिससे अब जो लोग पीआईओ कार्ड लेंगे वह आजीवन मान्य होगा।
5. लैटिन अमरीका और अफ्रीकी देशों में बसे भारतीयों की मदद के लिए नए दूतावास खोले गए हैं।
6. कौशल संपन्न कामगारों के सरोकारों के समाधान के लिए अमरीका और यूके के साथ द्विपक्षीय संपर्क रखा जाता है।
7. भारत को जानिए जैसे कार्यक्रम विदेशों में बसे भारतीयों को भारत के बारे में जानने और भारत की यात्रा करने का अवसर प्रदान करते हैं।
8. विदेशों में बसे भारतीय समुदाय में बहुत भिन्नता और विविधता है और यह समृद्ध विविधता दोनों देशों के लिए परस्पर लाभकारी हो सकती है। इसलिए उनके बीच प्रगाढ़ संबंध आवश्यक हैं।

### महत्व एवं योगदान

- प्रवासी भारतीय समुदाय ज्ञान, संसाधन और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में मददगार होता है और अपने मूल देश तथा शेष विश्व के विकास के लिए बाजारों के बीच सेतु का काम भी करता है।
- अप्रत्यक्ष राजनय - प्रवासी भारतीय समुदाय ने भारत-अमरीका परमाणु सहयोग समझौते की सफलता में जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह बहुत जरूरी है।
- ये प्रवासी जिस देश में रहते हैं उसके विकास में भी उनका योगदान होता है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन वैली अमरीका में भारतीयों की सफलता की मिसाल है।
- विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास का श्रेय भी प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका को जाता है।
- प्रवासी समुदाय भारत में व्यापार निवेश का प्रमुख स्रोत है।
- विश्व बैंक का आकलन है कि प्रवासी भारतीय समुदाय भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा का प्रमुख अर्जक होने के साथ-साथ उसमें सबसे अधिक योगदान भी करता है जिससे चालू खाता संतुलन में मदद मिलती है।

### सरकार के प्रयास

- सरकार ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से पहल की थी। इसका उद्देश्य भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतीय

**कोविड-19 महामारी में विदेशों में बसे भारतीयों के जीवन में तबाही मचा दी है। कुछ ने अपनी नौकरी गंवा दी है और कुछ के सामने इसे गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वित्तीय अस्थिरता के कारण भारत लौटने की गुहार लगा रहे हैं। अब तक जो भारतीय अक्सर भारत आते-जाते रहते थे उनकी यह सुविधा बंद हो गई है और वे असमंजस में हैं कि अब अपने देश कब आ सकेंगे।**

समुदाय के योगदान को मान्यता देना है।

- समुद्रीपारीय भारतीय कार्य मंत्रालय का विलय विदेश मंत्रालय में कर दिया गया है और यह विलय विदेशों में बसे भारतीयों को प्रोत्साहित करने में सरकार की भूमिका की दिशा में एक बड़ी पहल है।
- भारत में बहुत से देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा देने की सुविधा की अनुमति दे दी है। अब लगभग 43 देशों के लिए भारत सरकार ने आगमन पर वीज़ा प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। इन देशों में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और फिजी शामिल हैं। इस अनुमति से विदेशों में भारतीय समुदाय के लिए यात्रा और प्रसार अधिक आसान हो गया है।
- विदेशों में बसे भारतीयों का भारत के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी ओवरसीज़ इंडिया फैसिलिटेशन सेंटर की है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर की है। इस भागीदारी और सहायता से भारत के साथ प्रवासी भारतीयों का आर्थिक संपर्क बढ़ाने में मदद मिली है।
- भारत सरकार ने 2015 में ऑपरेशन राहत के जरिए यमन से और ऑपरेशन संकटमोचन के जरिए दक्षिण सूडान से भारतीय समुदाय को सुरक्षित निकाला था।
- प्रवासी कौशल विकास योजना (नो यॉर कंट्री) भारत सरकार का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो विदेशों में रोज़गार पाने के इच्छुक युवाओं को समर्थ बनाता है और संपर्क की सुविधा देता है।
- भारत सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सामने कोई भी चुनौती या समस्या आने पर बहुत तेजी से कार्रवाई करती है क्योंकि सरकार अधिक से अधिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करती है और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है जिसके कारण विदेशों में बसे भारतीयों की विभिन्न समस्याओं को तेज गति से और पहले की तुलना में कम समय में सुलझाया जा सका है।

## विदेशों में भारतीय समुदाय की प्रमुख समस्याएं

- **पश्चिम एशिया**

अ) शैल गैस के बढ़ते चलन और वैश्विक वृद्धि की गति धीमी होने के कारण तेल की कीमतें गिरने से भारतीयों के लिए नौकरियों में कमी आ रही है।

आ) भारतीयों की सुरक्षा को शिया-सुन्नी संघर्षों और उग्र इस्लाम के पनपने से उत्पन्न अस्थिरता और बढ़ते संघर्षों से सबसे सीधा खतरा है।

इ) फिलीपींस के कुशल श्रमिक और नेपाल की सस्ती श्रम शक्ति भारतीयों को कड़ी टक्कर दे रही है।

ई) श्रमिकों के विदेश पहुंचने पर नियोक्ता द्वारा उनके यात्रा दस्तावेज जब्त कर लेने की काफिला श्रमिक प्रणाली जैसी दमनकारी और पुरातनपंथी नीतियों के चलन से उनका शोषण होता है।

- **अमरीका, कनाडा और यूके**

अ) नस्लवादी, औपनिवेशिक मानसिकता के कारण भेदभाव करने वाले तौर-तरीकों का चलन।

**अधिकांश प्रवासी भारतीय कामकाजी जिंदगी के ऐसे दुष्चक्र में उलझकर रह जाते हैं जिसमें पेशेवेर प्राथमिकताएं पारिवारिक संबंधों पर हावी हो जाती हैं और कुछ लोग आव्रजन की समस्याओं में इतने गहरे उलझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कुर्बानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। भारत में छूट गए माता-पिता और परिवारजनों से सिर्फ वीडियो पर बात कर लेने और तस्वीरों का आदान-प्रदान कर लेने से असली पारिवारिक संबंधों की पूर्ति नहीं हो सकती।**

आ) अमरीकी कांग्रेस द्वारा पारित अधिक सख्ती एच1बी वीज़ा नियम।

इ) अधिक संख्या में नौकरियां अमरीकियों को देने की राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की जिद।

ई) ब्रेक्जिट के बाद यूके में वीज़ा नियम में संशोधन की मार वहां बसे भारतीयों पर, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स पर अधिक जोर से पड़ने की आशंका।

उ) आतंकवादी होने के ठप्पे के कारण सिख और मुस्लिम समुदाय के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और रोज़गार में विसंगति।

ऊ) खानपान में भिन्नता (गोमांस खाने के चलन) उपभोक्तावाद और एकल समाज के कारण सांस्कृतिक मेल-जोल में कठिनाई।

- **दोहरी नागरिकता**

विदेशों में बसे अधिकांश भारतीय अपने निवास के देश की नागरिकता के साथ-साथ भारत की नागरिकता भी रखना चाहते हैं।

## विदेशों में भारतीय समुदाय : कोविड-19 के दौरान

कोविड-19 महामारी में विदेशों में बसे भारतीयों के जीवन में तबाही मचा दी है। कुछ ने अपनी नौकरी गंवा दी है और कुछ के सामने इसे गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वित्तीय अस्थिरता के कारण भारत लौटने की गुहार लगा रहे हैं। अब तक जो भारतीय अक्सर भारत आते-जाते रहते थे उनकी यह सुविधा बंद हो गई है और वे असमंजस में हैं कि अब अपने देश कब आ सकेंगे।

विदेशों में जिन भारतीयों के पास स्थायी निवासी का दर्जा नहीं है उनके सामने एक बड़ा प्रश्न यह है कि नौकरी जाने के बाद वे उन देशों में रह सकेंगे या नहीं; दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपने निवास के देश की नागरिकता ले ली है उन्हें डर है कि किसी भी समय उनकी भारत यात्रा को रोका जा सकता है। हमने मान लिया है कि विदेशों में बसा विशाल भारतीय समुदाय और वैश्विक स्तर पर प्रवासन हमारी दुनिया का अटूट अंग है।

भारतीय जिन कंपनियों में काम करते हैं उनमें से अधिकांश के मालिक या तो स्थानीय लोग हैं या फिर उनका स्वामित्व अन्य देशों की बड़ी हस्तियों के हाथ में है। काम का बोझ बहुत अधिक है। अगर नियमित काम के घंटे सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक हैं तो भी उन्हें अक्सर रात नौ बजे तक काम करना पड़ता है। विदेश में चैन की जिंदगी पाने के लिए दिन-रात पसीना बहाना पड़ता है। ऊंचा पद पाने के लिए कितने वर्ष संघर्ष करना पड़ेगा यह अब भी हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग है। सांस्कृतिक भिन्नता आपके अहम और गौरव को छीन सकती है। किन्तु वहां टिके रहने के लिए भावनात्मक रूप से सशक्त और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। यह शुरुआती वर्षों में खासी चुनौती हो सकती है क्योंकि आप अभी-अभी अपने सामान्य-सी लगने वाली जिंदगी छोड़कर आए होते हैं। प्रवासियों के ऊपर हमेशा यह दबाव रहता है कि देश में जो परिवार छोड़कर आए हैं उसकी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करना है। प्रवासी समुदाय का बहुत मामूली-सा हिस्सा ही शानो-शौकत की वह जिंदगी जी पाता है जिसकी कल्पना देश में बैठे परिवारजन स्वयं ही कर लेते हैं।

बहुत से लोग घर की याद सताने, मित्रों से बिछड़ जाने और अच्छे-बुरे वक्त में परिवार के साथ न रह पाने की बेबसी, स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर न मिलने, प्रामाणिक भारतीय भोजन की कमी, छोटे सामाजिक दायरे के कारण मन पर दबाव, दफ्तर के भिन्न माहौल, छुट्टियों की संख्या बहुत कम होने और रहन-सहन की लागत बहुत अधिक होने जैसी शिकायतें करते हैं। अधिकांश प्रवासी भारतीय कामकाजी जिंदगी के ऐसे दुष्चक्र में उलझकर रह जाते हैं जिसमें पेशेवर प्राथमिकताएं पारिवारिक संबंधों पर हावी हो जाती हैं और कुछ लोग आव्रजन की समस्याओं में इतने गहरे उलझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कुर्बानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। भारत में छूट गए माता-पिता और परिवारजनों से सिर्फ वीडियो पर बात कर लेने और तस्वीरों का आदान-प्रदान कर लेने से असली पारिवारिक संबंधों की पूर्ति नहीं हो सकती।

इस स्थिति का एक दूसरा पहलू भी है। पहली पीढ़ी के प्रवासी भारतीय वर्षों तक अपने निवास के नए देशों के माहौल में रच-बस जाने के बाद जब भारत वापस आते हैं तो उनके सामने भी चुनौतियां बड़ी होती हैं। उन्हें साफ-सफाई की कमी के कारण बीमार पड़ने, बिजली न रहने, सुरक्षा की कमी, भीड़ में खो जाने, बड़े शहरों में दूषित हवा में सांस लेने, सिर्फ बोतल का पानी पीने, कारों के हार्न के शोर और उलटे-सीधे यातायात में चलने, टैक्सियों की हड़ताल और ठसाठस भरी बसों में यात्रा करने जैसी आशंकाएं सताती रहती हैं।

इन तमाम समस्याओं के बावजूद विदेशों में बसे ढाई करोड़ से अधिक भारतीयों ने ऊर्जावान और आत्मविश्वासी प्रवासी समुदाय का रूप ले लिया है। इस समुदाय ने जो भूमिका निभाई है उसका भारत की सफलता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के साथ संपर्क भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है। ज्ञान के आदान-प्रदान और निवेश जैसे उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। कोविड-19 के कारण व्यक्तिगत दूरी जैसी पाबंदियों के कारण प्रवासी श्रमिकों की बड़े पैमाने पर स्वदेश वापसी होने लगी और इनमें से अनेक प्रवासी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं पर भी अटक गए।

भारत सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों विशेषकर दोहा, कुवैत, दम्मम और रियाद से प्रवासियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों की व्यवस्था की। इन चार स्थानों पर अधिक संख्या में भारतीय काम कर रहे थे और इस संकट के कारण घर लौटने को आतुर थे। इस मिशन के तहत 31 अगस्त, 2020 तक लगभग 900 उड़ाने चलाई गई और 22 से अधिक देशों से 12 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इन लोगों को अपने-अपने राज्यों और घरों को भेजने से पहले इनकी पूरी चिकित्सा जांच के साथ स्वस्थ होने की पुष्टि की गई।

प्रवासी कामगारों के लिए भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति बीमारी लगने या उसे फैलाने की आशंका, वेतन बंद हो जाने और परिवार की कुशलता की चिंता अधिक बड़ी समस्याएं हैं। इनमें से कुछ लोगों को स्थानीय समुदाय के हाथों उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार भी होना पड़ता है। उनके हित में कुछ जरूरी कदम हैं : आवास और रसोई की व्यवस्था, अन्य राहत सामग्री की उपलब्धता, व्यक्तिगत दूरी रखने की आवश्यकता पर ध्यान, उनके स्वास्थ्य की निगरानी ऐसे मामलों के प्रबंधन के लिए नियमों का पालन, टेलीफोन और वीडियो काल के जरिए परिवार के सदस्यों के साथ उनका संपर्क और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था।

प्रवासी कामगारों को मानसिक सुरक्षा देने के लिए उनके हित में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं :

1. सभी प्रवासी कामगारों के साथ गरिमा, सम्मान, सद्भावना और करुणा का व्यवहार होना चाहिए। उनके सरोकारों को धीरज से सुनना और उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति/परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सबको एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। यह विश्वास होना चाहिए कि जल्द ही जीवन फिर सामान्य हो जाएगा।
2. उन्हें यह अहसास दिलाया जाना चाहिए कि समुदाय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में उनके योगदान को सराहा जाना चाहिए और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।

**इन तमाम समस्याओं के बावजूद विदेशों में बसे ढाई करोड़ से अधिक भारतीयों ने ऊर्जावान और आत्मविश्वासी प्रवासी समुदाय का रूप ले लिया है। इस समुदाय ने जो भूमिका निभाई है उसका भारत की सफलता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के साथ संपर्क भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है। ज्ञान के आदान-प्रदान और निवेश जैसे उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता।**

3. उन्हें भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि अगर नियोक्ता ने उनका साथ छोड़ दिया तो भी स्थानीय प्रशासन और परोपकारी संस्थाएं सभी संभव सहायता देंगे।
4. हताशा में बहुत से लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो अपमानजनक लगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें और धीरज से काम लें। दया दिखाने की बजाय उन्हें इस भावना से साथ लें कि हम मिलकर स्थिति पर विजय पा लेंगे।

## भविष्य की राह

- पहले से त्रस्त प्रवासियों और विदेशों में बसे भारतीयों को यह विश्वास दिलाना होगा कि स्वदेश लौटने पर उनका स्वागत किया जाएगा और आव्रजन तथा सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाना चाहिए।
- सरकार को विदेशों में कार्यरत श्रमिकों की समस्याएं सुलझाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए :
  क) मेजबान देशों के साथ मानक श्रम निर्यात समझौते करना।
  ख) हमारे दूतावासों द्वारा उन देशों में कार्यरत श्रमिकों की निगरानी और देखरेख करना।
  ग) विदेशों में हमारे कामगारों के लिए सभी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने वाली अनिवार्य बीमा योजनाएं चलाना।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों की दूसरी पीढ़ी को भारत में पर्यटन के लिए उत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे जल्दी-जल्दी अपने गृह राज्य की यात्राएं करें और परिवार तथा इष्ट मित्रों से मिलें।

- प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ विवाहित भारतीय महिलाओं के कल्याण पर ध्यान देना।
- आर्थिक विकास।
  क) मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग में वरिष्ठ पदों पर आसीन प्रवासी भारतीय भारत को आउटसोर्सिंग के एक महत्वपूर्ण ठिकाने के रूप में प्रचारित करने में मदद कर सकते हैं।
  ख) सरकार को ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए जहां केवल प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट लगा सकें।
  ग) सरकार को इस्राइल बांड्स की तर्ज पर प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों का निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष अवसंरचना बांड जारी करने पर भी विचार करना चाहिए।
- भारत को विदेशों में बसे भारतीयों के व्यक्ति और बौद्धिक पूंजी का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और उसके सामने बड़ी चुनौती यही है कि परस्पर लाभ के लिए ऐसा कैसे किया जा सकता है।

## निष्कर्ष

विदेशों में बसा भारतीय समुदाय भारत का गौरव है। विदेशी मुद्रा, टेक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा का यह स्रोत इस संकट काल में लगभग चरमरा गया है। हम सब जानते हैं कि इस अभूतपूर्व संकट में विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। जब तक इस महामारी का इलाज नहीं मिलता और इसका प्रसार नहीं थमता तब तक भारत पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। भारत ने इस जिम्मेदारी को सहजता से उठाया है और सही दिशा में कदम उठाए हैं। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को सामाजिक और आर्थिक दोनों कारणों से अपने परिवारों से मिलाया गया है। अब इस महामारी में सभी सीमाएं बंद कर दी हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं ही नहीं राष्ट्रों और राज्यों की सीमाएं भी बंद हैं और इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों पर पड़ा है। दुनिया भर के देशों में विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र फंस गए हैं और अगर यह सभी छात्र वापस आना चाहें तो भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी।

दुनिया में अब तक भारतीयों के प्रति मैत्री भाव रहा है लेकिन अब धीरे-धीरे आक्रामक हो रहा है जिसके कारण लोगों के जीवन में कठिनाई और बाधा आएगी। यदि विदेशों में बसा भारतीय समुदाय घर लौटने की भगदड़ मचाएगा तो भारत के लिए समस्या और जटिल हो सकती है। इस संकट से बचने के लिए नई आपात योजनाएं बनाई जानी चाहिए। दूसरे देशों की सरकारों के साथ बातचीत होनी चाहिए कि भारतीयों को वहीं रहने दें। किन्तु यदि उनके मेजबान देशों के दरवाजे बंद हो जाएं तो घर लौट रहे भारतीयों के लिए देश में आजीविका का प्रबंध भी करना होगा।

विदेशों में फंसे श्रमिकों और विद्यार्थियों को वापस भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन का छठा चरण पहली सितम्बर, 2020 से शुरू हुआ। देश लौटने के इच्छुक भारतीयों को इस मिशन के तहत लाया जा रहा है और लौटने का पूरा अधिकार भी है। भारत का यह दायित्व है कि उन्हें सुरक्षित घर लाया जाए और उनका सत्कार किया जाए। भारत माता विदेशों में बसी अपनी संतानों के प्रति अपना प्रत्येक दायित्व पूरा करेगी। ■

# उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण

डॉ विद्या यर्वडेकर
शोभा मिश्रा घोष

**21वीं सदी के वैश्विक ज्ञान-समाज ने उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की समूची अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है क्योंकि दुनिया के अनेक देश इसी कार्य में संलग्न हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीमाओं के बंधनों से मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में नीतिगत बदलाव स्पष्ट नजर आता है। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली अपनाने और वैश्विक संस्थागत नीतियां बनाने, रैंकिंग और अर्थशास्त्र के अलावा भी उच्च शिक्षा के ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनपर जोर दिया जा रहा है।**

## संदर्भ : वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य

बीसवीं सदी के आखिरी दशक में ज्ञान संपन्न अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं के वैश्वीकरण और क्षेत्रीयकरण से उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को जबरदस्त बढ़ावा मिला। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.), यूनेस्को, विश्व बैंक और कई देशों की संघीय सरकारों ने सुधारों की अपनी कार्यसूची में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया। समय के साथ-साथ उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण न केवल विश्व के विकसित देशों के लिए, बल्कि विकासशील और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के लिए भी मुख्य विचारणीय विषय बन गया।

पिछले तीन दशकों में जो प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई दी हैं वे हैं: विद्यार्थियों, विद्वानों और शैक्षिक संकाय के सदस्यों का एक देश से दूसरे में आना-जाना, सहयोग/साझेदारी पर आधारित पाठ्यक्रम और वैश्विक तथा क्षेत्रीय रैंकिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं को ब्रांड के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाना तथा प्रतिष्ठा हासिल करना। वैश्विक उच्च शिक्षा का आज जो माहौल बना है उससे पिछले 10 वर्षों (2010-2020) में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों

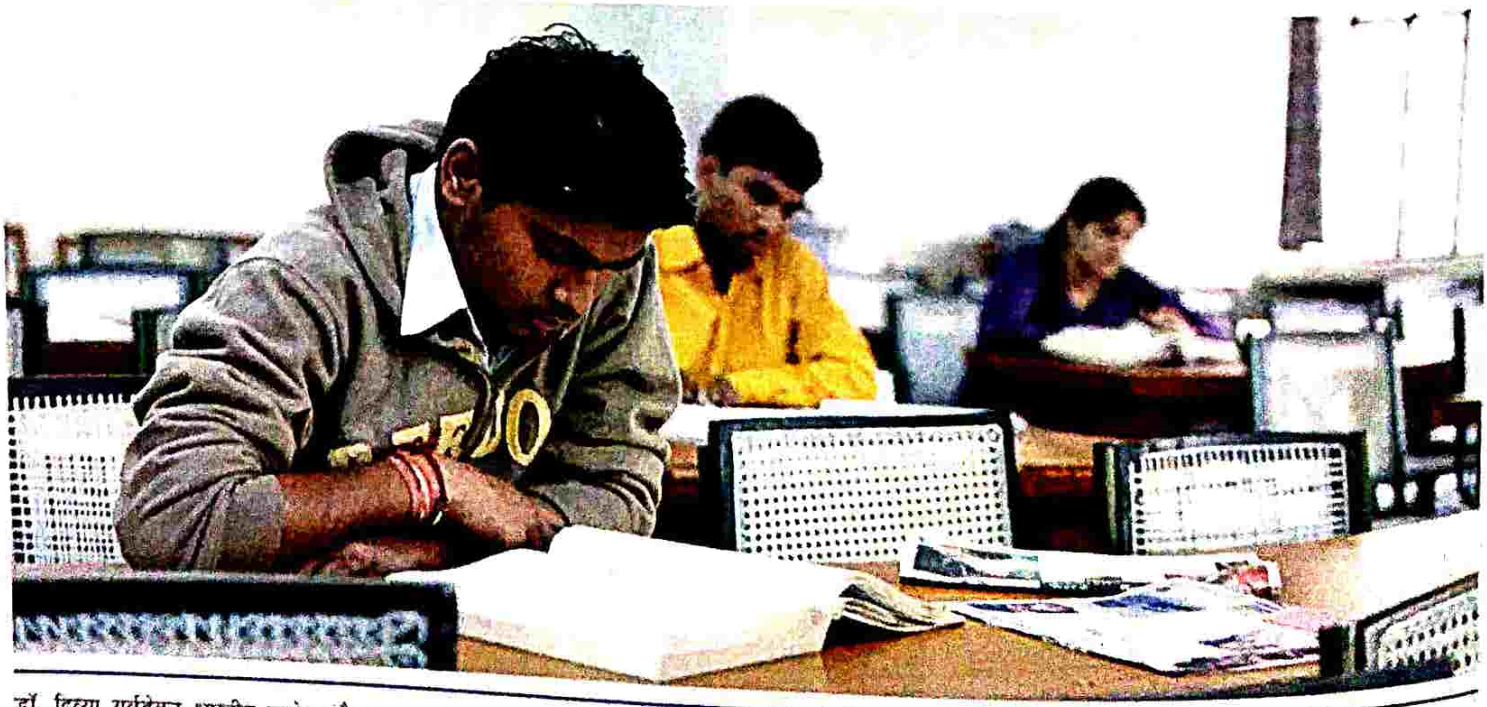

डॉ. दिव्या यर्वडेकर भारतीय उद्योग और व्यापार मंडल परिसंघ (एफआईसीसीआई-फिक्की) की उच्च शिक्षा समिति की अध्यक्ष और सिम्बिओसिस विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति हैं।
शोभा मिश्रा घोष फिक्की की सहायक महासचिव हैं। ईमेल : shobha.mishra@ficci.com

की संख्या दुगुनी होकर 50 लाख हो गयी है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो 12वीं और 13वीं सदी में भारत ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक दुनिया भर के विद्वानों को अपने यहां आकर्षित करने के मामले में विश्वभर में अग्रणी देश था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे इसके विश्व स्तरीय प्राचीन विश्वविद्यालयों में अनेक देशों से विद्वान शिक्षा ग्रहण करने आते थे। 20वीं सदी में अमेरिका और ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो गये और दुनिया भर के अनेक प्रतिभासंपन्न लोगों को अपने यहां आकृष्ट करने लगे। इससे विश्वविद्यालयों में ज्ञान, विषयवस्तु और संस्कृतियों की अनोखी विविधता में वृद्धि हुई जिससे अत्याधुनिक अनुसंधान नवप्रवर्तन को बढ़ावा मिला। इससे इन देशों के आर्थिक विकास और प्रगति में मदद मिली।

उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के महत्व को महसूस करते हुए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और कई अन्य देश पिछले दो दशकों में इसपर जोर दे रहे हैं। ऐसी नीतियां बनायी गयी हैं जिनसे न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का दाखिला बढ़ा है, बल्कि इससे उन्हें अपने श्रम बाजार में खपाने के लिए मानव संसाधन प्राप्त करना आसान हो गया है। जिन देशों में अंग्रेजी बोली जाती है वे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को दाखिला देने में सबसे आगे हैं। विदेशों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से अमेरिका सबसे आगे है जहां दुनिया में विदेशों में अध्ययन करने वाले कुल छात्रों में से एक चौथाई पढ़ने के लिए आते हैं। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों में से 50 प्रतिशत अंग्रेजी बोलने वाले पांच देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड) में दाखिला लेते हैं।

पिछले तीन दशकों में (1990-2020) दुनिया भर में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण से निम्नलिखित प्रमुख रुझान दिखाई दिये हैं :

- यह अपने यहां अंतरराष्ट्रीयकरण करने की बजाय विदेशों में अंतरराष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग से ज्यादा-से-ज्यादा प्रेरित है।
- प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार करने की बजाय इसमें अंतरराष्ट्रीयकरण की नीति के लिहाज से अस्थायी व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं और विस्तृत तथा सुदृढ़ विदेशी शिक्षा नीति का अभाव है।
- यह आम तौर पर उच्च वर्ग के विद्यार्थियों के छोटे से वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह समावेशी तथा अंतर-सांस्कृतिक नहीं है।
- इसके विकास का मूल कारण आर्थिक और राजनीतिक अनिवार्यताएं हैं न कि समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं वाली वैश्विक बौद्धिक व्यवस्था।
- उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बजाय विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसका उपयोग मुख्य रूप से और रणनीतिक दृष्टि से अधिक किया जाता है।

भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत 998 से अधिक विश्वविद्यालय, 39,931 कॉलेज और 10,725 स्वतंत्र उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं। विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिहाज से यह दुनिया में दूसरा नंबर पर है जिसमें 3.46 करोड़ विद्यार्थियों ने दाखिला लिया हुआ है। लेकिन कैसा विरोधाभास है कि हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को पढ़ने, नयी खोज करने, अनुसंधान करने और बौद्धिक तथा आर्थिक मूल्यों को सीखने के लिए के लिए विकसित देशों में जाना पड़ता है। इसके साथ ही बहुत कम विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लिए भारत आते हैं। अनुमान है कि भारत के करीब 7,00,000 विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं (जिनमें से करीब 50 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका में हैं), जबकि सिर्फ 47,427 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भारत आते हैं।

भारत में सबसे अधिक संख्या में विद्यार्थी पड़ोसी देशों से आते हैं जिनमें से 26.88 प्रतिशत नेपाल से, 9.8 प्रतिशत अफगानिस्तान से, 4.3 प्रतिशत बांग्लादेश से, 4.02 प्रतिशत सूडान से, 3.8 प्रतिशत भूटान से, 3.4 प्रतिशत नाइजीनिया से, 3.2 प्रतिशत अमेरिका से, 3.2

प्रतिशत यमन से, 2.64 प्रतिशत श्रीलंका से और 2.38 प्रतिशत ईरान से होते हैं। इसके अलावा दुनिया के अन्य भागों से भी छुटपुट तौर पर विद्यार्थी अल्पावधि पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए आते हैं जिनमें से ज्यादातर एक-दो सेमेस्टर विदेश में पढ़ाई करने की शर्त वाले पाठ्यक्रमों के होते हैं।

हालांकि भारत में अधिकतम संख्या में विदेशी विद्यार्थी नेपाल से आते हैं, लेकिन डॉक्टरेट करने के लिए आने वालों की सबसे अधिक संख्या इथियोपिया (295) से है और इसके बाद यमन (149) का स्थान है। ज्यादातर (73.4 प्रतिशत) विदेशी विद्यार्थी अधिस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। इसके बाद 16.5 प्रतिशत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करते हैं। विदेशी विद्यार्थियों के सबसे पसंदीदा पाठ्यक्रम हैं-बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स में बैचलर डिग्री।

भारतीय विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में विदेश जाने के कई कारण हैं। इनमें देश में नौजवान विद्यार्थियों की बड़ी संख्या, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के क्षेत्र में मांग और आपूर्ति का अंतर, नौजवानों की उच्च आकांक्षाएं, विदेशों में व्यावसायिक उन्नति की बेहतर संभावनाएं तथा विकसित देशों के बेहतर जीवनस्तर की चाह प्रमुख हैं।

## शैक्षिक आदान-प्रदान के प्रकार

आर्थिक उदारीकरण के बाद के दौर की एक महत्वपूर्ण घटना विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत 1995 में व्यापार और सेवाओं संबंधी सामान्य समझौते (जी.ए.टी.एस.) पर हस्ताक्षर किया जाना थी। इसमें शिक्षा को एक ऐसी सेवा माना गया है जिसे व्यापारिक नियमों के माध्यम से उदार बनाने और विनियमित करने की आवश्यकता है। भारत जी.ए.टी.एस. संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है। इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षिक सेवाएं चार प्रकार से प्रदान की जा सकती हैं:

1. एक सदस्य के क्षेत्र से सीमा पार के दूसरे सदस्य के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराना (दूरस्थ शिक्षा, ई-लर्निंग)।
2. एक सदस्य देश के नागरिकों द्वारा दूसरे सदस्य देश में जाकर सेवा का उपयोग करना (विदेश में शिक्षा ग्रहण करना)।
3. एक सदस्य देश के वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं की दूसरे सदस्य देश के क्षेत्र में उपस्थिति (दूसरे देश में विदेशी विश्वविद्यालय की मौजूदगी)।
4. लोगों की सशरीर उपस्थिति से ऐसे आदान-प्रदान की शुरुआत जो लोगों के एक सदस्य देश से दूसरे सदस्य देश के बीच आने-जाने की सुविधा के कारण उत्पन्न हुई है। (शिक्षकों का सीमा के आरपार आवागमन)।

## चिकित्सा शिक्षा परिदृश्य

भारत में दुनिया में सबसे अधिक संख्या में मेडिकल कॉलेज होने और इंडियन मेडिकल रजिस्टर में 9.29 लाख डॉक्टरों के पंजीकृत होने के बावजूद भारत में स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कर्मियों की भारी कमी है जिस कारण वह प्रति एक हजार आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड को पूरा करने से कोसों दूर है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डॉक्टरों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यापक अंतर हैं जिससे देश के दूर-दराज और दुर्गम इलाकों के उपेक्षित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य बहुत दूर लगता है। हमें 2022 तक कम से कम 10 लाख एम.बी.बी.एस. डॉक्टर, एक लाख विशेषज्ञ डॉक्टर, 20 लाख नर्सों और 30 लाख अर्धचिकित्साकर्मियों तथा स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित तकनीशियनों की आवश्यकता है।

असल में देश में इतनी बड़ी तादाद में स्वास्थ्य से जुड़े चिकित्साकर्मियों की आवश्यकता का पता कोविड-19 महामारी के वर्तमान दौर में सरकारी और निजी, दोनों ही तरह के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की जबरदस्त कमी की वजह से चला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का यह भी अनुमान है कि आयुष्मान भारत योजना पर अमल से अगले पांच वर्षों में स्वास्थकर्मियों के लिए रोज़गार के करीब दो लाख अवसर उत्पन्न होंगे। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने देश में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य चिकित्साकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कई सुधार और अल्पकालिक तथा मध्यकालिक उपाय करने की योजना बनायी है। इन उपायों को सफल बनाने के लिए विदेशों से मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के आने पर पाबंदियां हटाए जाने की आवश्यकता है।

## हाल की पहल

बीते वर्षों में नीति निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार की हैं। अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के

**चित्र 1: विदेशी विद्यार्थी नामांकन (सभी स्तरों पर)**

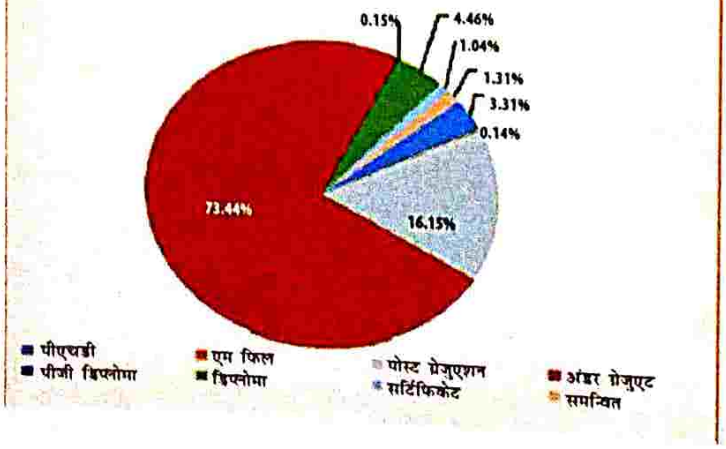


**चित्र 2: महिला-पुरुष तथा स्तर अनुसार विदेशी विद्यार्थी नामांकन**

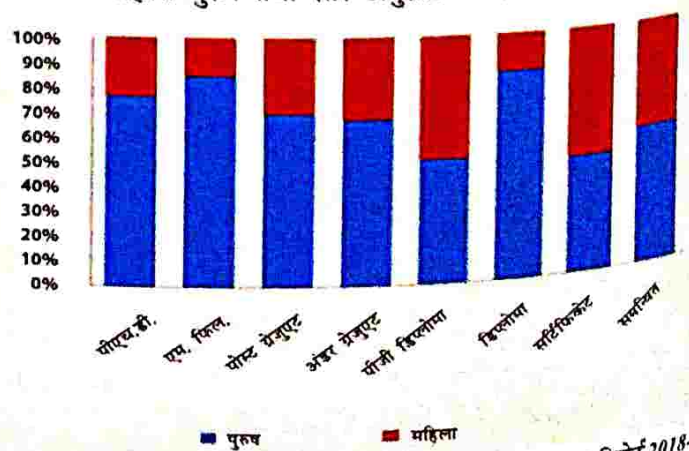


स्रोत : *MHRD AISHE रिपोर्ट 2018-19*

लिए सरकार समर्थित कुछ पहलों में सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जी.सी.एस.सी.) भी शामिल है जिसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल इनीशिएटिव फॉर एकेडेमिक नेटवर्क्स (जी.आई.ए.एन.) के माध्यम से दुनिया भर में वैज्ञानिकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान बढ़ाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 'कनेक्ट टू इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत भी अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन कर विदेशी विद्यार्थियों को भारत आने को प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) ने 2010 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से अफ्रीकी शोधार्थियों के लिए सी.वी. रामन अंतरराष्ट्रीय फैलोशिप की शुरुआत की थी। भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई.ए.एफ.एस.) के तत्वाधान में प्रारंभ की गयी इस योजना का उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

कई अन्य देशों ने भी विद्यार्थियों और शैक्षणिक संकाय के सदस्यों के विनिमय और विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक तथा अनुसंधान सहयोग के कार्यक्रमों के जरिए शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने की दिशा में पहल की है। इस तरह की कुछ प्रमुख पहलों में ब्रिटेन-भारत शैक्षिक और अनुसंधान पहल (यू.के.आई.ई.आर.आई), ब्रिटेन-भारत पीढ़ी पहल, इंडो-यू.एस. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नॉलेज इनीशिएटिव, फुलब्राइट-नेहरू प्रोग्राम और अकादमिक तथा अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना (एस.पी.ए.आर.सी.) शामिल हैं।

2018 में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विदेशी विद्यार्थियों को भारत में पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वाकांक्षी अभियान 'स्टडी इन इंडिया' शुरू किया। इसके अंतर्गत अफ्रीका, पश्चिम एशिया और सार्क क्षेत्र के 34 लक्षित देशों के विदेशी विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन के लिए आकर्षित करके और विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।

हाल में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कक्षाओं में नियमित पढ़ाई और दूरस्थ शिक्षा, दोनों ही तरीकों में गुणवत्ता के विश्व स्तरीय उच्च मानदंड अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

## भविष्य के लिए सुझाव

भारत की कुछ उच्च शिक्षा संस्थाओं ने अंतरराष्ट्रीयकरण को अपना लिया है और इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने तथा अंतरराष्ट्रीयकरण के विभिन्न आयोमों को अंगीकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। कोरोना काल में भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए वर्तमान और संभावित अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों, उनके प्रायोजकों, दूतावासों, भर्ती एजेंटों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ भरोसेमंद संवाद सुनिश्चत करना बहुत जरूरी है। कोविड-19 के बाद के दौर में जो नया युग आएगा वह विश्व को आपस में और मजबूत संपर्क से जुड़ने को विवश करेगा। इसलिए सरकार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में अंतरराष्ट्रीयकरण के गहन माहौल का निर्माण सुनिश्चित करना होगा।

## शैक्षिक सेवाओं के निर्यात और विदेशी विश्वविद्यालयों से सहयोग की सुदृढ़ रूपरेखा

1. प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा आकलित/और शैक्षिक संस्थाओं को रैंकिंग देने वाले संगठन निर्फ की सूची में शामिल संस्थाओं को विदेशी छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने और संचालित करने की स्वायत्तता प्रदान करना।
2. अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को दाखिला देने की अधिकतम सीमा वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जानी चाहिए ताकि भारतीय विद्यार्थियों को किफायती शुल्क पर दाखिला दिया जा सके।
3. कोविड-19 के दौर में पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा देश में और बाकी विदेश में पूरा करने वाले ट्विनिंग पाठ्यक्रमों में 1-2 सेमेस्टर विदेशी विश्वविद्यालयों में पूरा करने की शर्त में ढील दी जानी चाहिए। पूरा पाठ्यक्रम भारत में ही पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों की वर्चुअल मदद मिलनी चाहिए।
4. शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए भारतीय नेटवर्क (आई.एन.आई.ई.) तैयार किया जाना चाहिए जो कि अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में अग्रणी विश्वविद्यालयों के कन्सोर्टियम के रूप में होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से संबद्ध सदस्य के रूप में यह नेटवर्क नीतियां बना सकता है और अंतरराष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में अन्य विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन कर सकता है।

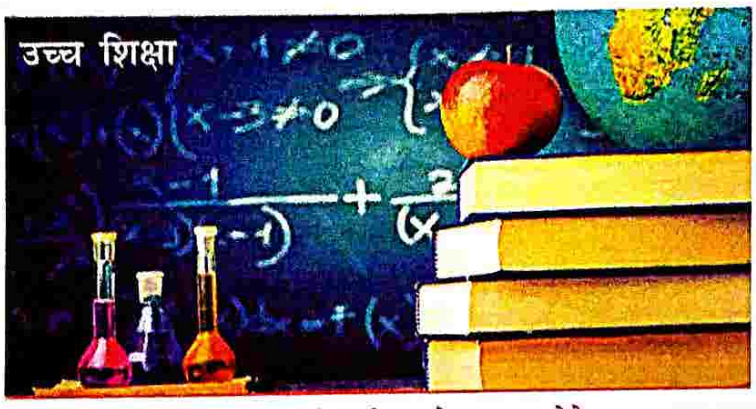


## भारत में अध्ययन ( एस.आई.आई. ) को बढ़ावा देने का जबरदस्त कार्यक्रम

सरकार ने 2018 में स्टडी इन इंडिया (भारत में शिक्षा) कार्यक्रम शुरू किया था। इस पर नीति बनाकर अमल करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी संबद्ध पक्षों को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू करने के बारे में कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार है :

1. प्रत्येक भारतीय दूतावास में शिक्षा सलाहकार नियुक्त किये जाने चाहिए ताकि वे भारत में उच्च शिक्षा सुविधाओं और यहां अध्ययन करने के फायदों के बारे में जानकारी देकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकें।
2. मजबूत छात्रवृत्ति कार्यकम बनाने की भी आवश्यकता है ताकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत का चयन करने को मदद मिले।
3. विद्यार्थियों की दृष्टि से सुरक्षित शहरों का विकास किया जाना चाहिए जिनमें उनके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होनी चाहिए।
4. जिन क्षेत्रों में भारत को विशेषज्ञता प्राप्त है (जैसे, जैव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, सृजनात्मक विधाओं आदि) उनमें विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए। योग, कला और विज्ञान, पारम्परिक दवाओं आदि में भी ऐच्छिक शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए ताकि विदेशी विद्यार्थी इंजीनियरी, मैनेजमेंट आदि मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों के साथ ऐच्छिक विषय के रूप में इनका अध्ययन कर सकें।
5. भारतीय पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट्स का ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसका विदेशी पाठ्यक्रमों के ढांचे के साथ पूरा तालमेल हो ताकि क्रेड्स को आसानी से ट्रांसफर किया जा सके।
6. अंतर-मंत्रालय सहयोग से संघीय स्तर के और शहर के स्तर के प्रशासकों और जानीमानी उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों के बीच सहयोग के लिए संयुक्त कार्य दल बनाया जाना चाहिए जिसमें इन निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे ऐसा अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षक समुदाय और अनुसंधानकर्ता एक देश की संस्था से दूसरे देश की संस्थाओं में आने-जाने को प्रोत्साहित होंगे।
7. विदेशी विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए भारत में आने को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों के साथ भी संपर्क कायम किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को प्रशिक्षुता और रोज़गार के अवसर मिलें। उनके लिए सुरक्षित और निर्भय होकर रहने का माहौल बनाया जाना चाहिए और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। विदेशी विद्यार्थियों को भारत में पढ़ाई के लिए आकर्षित करने के लिए ये कुछ ऐसे कदम हैं जो बेहद जरूरी हैं।

## विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा के बारे में निरंतर प्रचार-प्रसार

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दुनिया की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के भारत में और भारतीय विश्वविद्यालयों के विदेशों में परिसर खोलने का सुझाव दिया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि इस कार्यक्रम पर अमल के तौर-तरीके क्रियान्वयन रूपरेखा में बता दिये गये हैं।
2. विश्व के शिक्षा मेलों जैसे भारतीय उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन: एन.ए.एफ.एस.ए., एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (ई.ए.आई.ई.), एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन (ए.पी.ए.आई.ई.) जैसे विश्वस्तरीय शिक्षा मेलों में भारत के बेहतरीन विश्वविद्यालयों, कार्यक्रमों और नवप्रवर्तन को पेशेवर तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

## चिकित्सा विशेषज्ञों के एक-दूसरे देश में आने-जाने की सुविधा

विदेशी मेडिकल विद्यार्थियों और डॉक्टरों को भारत में पढ़ाने और प्रैक्टिस करने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) को निम्नलिखित संशोधन करने की आवश्यकता है:

1. जहां तक एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों का सवाल है, भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग जिन देशों की चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर संतुष्ट नहीं है भारत सरकार को उनके चिकित्सा स्नातकों के बारे में वहां की संस्थाओं के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके पाठ्यक्रमों को भारतीय मानदंडों के समकक्ष बनाने के बारे में मदद देनी चाहिए।
2. अपने विषय में माहिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के ओ.सी.आई. (प्रवासी भारतीय नागरिक) कार्ड वाले डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। हमारा सुझाव है जिन देशों की योग्यताएं स्वीकार्य स्तर की हैं वहां के विदेशी नागरिकों को भी इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए। नियमों के अनुसार इस समय देश में डॉक्टरी प्रैक्टिस करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय कार्ड (ओ.सी.आई.) धारकों तक सीमित है। इस प्रतिबंध की वजह से विदेशी डॉक्टर यहां काम नहीं कर सकते।
3. विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के 12 लाख डॉक्टरों को भारत में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, भले ही वे कुछ ही हफ्तों के लिए यहां क्यों न आएं। अध्यापन/सलाह देने और नेतृत्व प्रशिक्षण देने में उनकी मदद ली जानी चाहिए। यह सही वक्त है जब सरकार को उन देशों के पासपोर्ट धारकों के लिए भी इसे खोल देना चाहिए जो विदेश मंत्रालय को स्वीकार्य हैं।
4. स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमताओं के विकास और उन्हें उपयुक्त कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न देशों की स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के साझा पाठ्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए। ■

# संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष

अंतरराष्ट्रीय संगठन- संयुक्त राष्ट्र (युनाइटेड नेशंस) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। यह अपनी 75वीं वर्षगांठ ऐसे समय पर मना रहा है जब दुनिया के देश एक अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं। इस महामारी कोविड-19 की वजह ने सभी देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया है।

भारत द्वितीय विश्वयुद्ध के फौरन बाद संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से एक था। द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फ़िर कभी द्वितीय विश्वयुद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए।

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193-विश्व के लगभग सारे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश है। इस संगठन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य को इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इस इमारत की स्थापना का प्रबंध एक अंतरराष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएं जिनेवा, कोपनहेगन आदि में भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अपने कई कार्यक्रमों और संस्थाओं के अलावा 14 स्वतंत्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतंत्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। इनका संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र की कुछ प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम हैं-

- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
- अंतरराष्ट्रीय अपराध आयोग
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
- अंतरराष्ट्रीय आर्थिक निधि
- संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक परिषद
- संयुक्त राष्ट्र राजदूत
- विश्व खाद्य कार्यक्रम
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ
- अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव, पुर्तगाल के श्री एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया।

पिछले वर्ष यानि 2019 में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में वैश्विक सहयोग की भूमिका पर समावेशी वैश्विक संवाद आयोजित करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य विश्व की पूरी जनसंख्या तक पहुंचकर उनकी आशाओं और आशंकाओं के बारे में उनके विचार जानना और उनके अनुभवों से सीख लेना है।

भारत ने शुरुआत से ही, संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल - ECOSOC - ईसीओएसओसी) का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। ईसीओएसओसी के पहले अध्यक्ष एक भारतीय थे। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों समेत ईसीओएसओसी एजेंडे को आकार देने में भी योगदान दिया। आज, अपने घरेलू प्रयासों के माध्यम से भारत फिर से एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

### भारत सरकार की पहल

हाल ही में भारत को वर्ष 2021-22 के लिये 'सुरक्षा परिषद का गैर- स्थायी सदस्य' चुना गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।

हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद' (ECOSOC) की 'उच्च- स्तरीय आभासी (वर्चुअल) बैठक' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'पोस्ट कोविड-19 पीरियड' में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

इस आभासी बैठक की थीम; 'कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है' ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधारों पर केंद्रित थी।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन' पर हस्ताक्षर किये जाने थे लेकिन घोषणा में देरी हुई क्योंकि सभी सदस्य देश अभी तक किसी

# भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण

1977 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 32वें अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय की सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले वे पहले भारतीय थे।

**इस ऐतिहासिक भाषण के अंश:**

मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुन: व्यक्त करना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय 'वसुधैव कुटुंबकम्' की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है...

यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं, आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंतत: हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से मापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज वस्तुत: हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ती देने में प्रयत्नशील हैं...

अध्यक्ष महोदय भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहता। हमारे कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे...

एक समझौते तक नहीं पहुंच सके। संयुक्त राष्ट्र मसौदा घोषणा (यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन), संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन का एक शक्तिशाली उपकरण है।

संयुक्त राष्ट्र मसौदा घोषणा (यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन) में 12 निम्न संकल्पों को निर्धारित किया गया है;

- हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे;
- हम अपने ग्रह की रक्षा करेंगे;
- हम शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कार्य करेंगे;
- हम अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानदंडों का पालन करेंगे;
- हम महिलाओं और बालिकाओं को केंद्र में रखेंगे;
- हम विश्वास पैदा करेंगे;
- हम सभी के लाभ के लिये नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देंगे;
- हम संयुक्त राष्ट्र को आवश्यक सुधार करेंगे;
- हम वित्तपोषण सुनिश्चित करेंगे;
- हम साझेदारी को बढ़ावा देंगे;
- हम युवाओं को सुनेंगे तथा उनके साथ कार्य करेंगे;
- हम भविष्य में अधिक तैयार रहेंगे।

संयुक्त राष्ट्र मसौदे के माध्यम के संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रमुख अंगों के सुधार की मांग की जा रही है:

- सुरक्षा परिषद (Security Council)
- महासभा (General Assembly)
- आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर बहस काफी समय से चल रही है किंतु अभी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय और स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति का न होना चिंता का विषय है।

## सुधारों को पहल

**वर्ष 1992 का प्रस्ताव:** वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव में तीन मुख्य शिकायतें उल्लिखित है: सुरक्षा परिषद् अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसके निर्णयों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों का प्रभाव होता है तथा सुरक्षा परिषद् में समान प्रतिनिधित्व का अभाव है।

**वर्ष 2005 का संकल्प:** सितंबर, 2005 में महासभा द्वारा एक संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की सैन्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के प्रति मज़बूत इच्छा व्यक्त की गई। यह संकल्प इराक युद्ध (वर्ष 2003) के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिये गए एकतरफा निर्णयों की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग के बाद अपनाया गया था।

**वर्ष 2008 का प्रस्ताव:** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2008 को होने वाली अपनी पूर्ण बैठक में विगत प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि के सवाल पर अंतर-सरकारी वार्ता को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया। ■

# भारतीय डाक और अंतरराष्ट्रीय संबंध

चार्ल्स लोबो

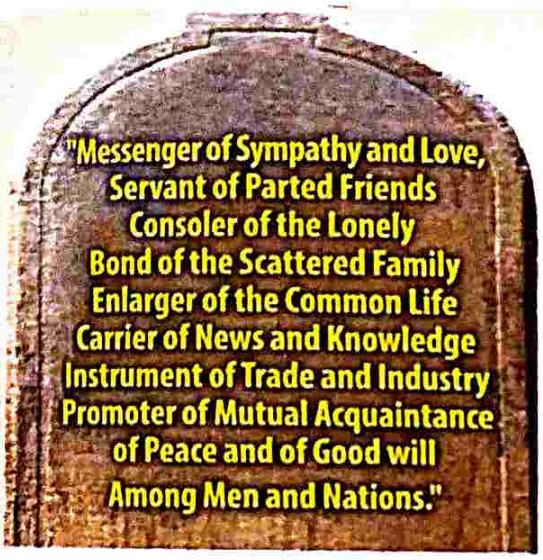


ये शब्द वाशिंगटन डीसी के पुराने डाक घर की इमारत (अब स्मिथसोनियन नेशनल पोस्टल म्यूजियम) पर लिखे हुए हैं। यह संदेश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों क्षेत्रों में डाक घर की भूमिका को समुचित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करता है। डाक घर, जैसा कि संदेशों और माल से संबद्ध है, अलग-थलग होकर काम नहीं कर सकता। यह लोगों और राष्ट्रों के बीच शांति और सद्भावना का प्रवर्तक है। सदियों से यह व्यापार और उद्योग में मददगार रहा है। इस लेख में भारतीय डाक के विशेष संदर्भ के साथ अंतरराष्ट्रीय कारोबार में डाक घर के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

## विदेशी डाक

विदेशी डाक को शुरू हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। भारत से बाहर भेजी गई या बाहर से आने वाली डाक को विदेशी डाक नाम के द्वार से गुजरना पड़ता है। भारत में काफी लंबे समय से चार ऐसे द्वार हैं। ये द्वार मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित हैं- भारत के बंदरगाह शहरों के रास्ते जहाज से आने वाली डाक हवाई जहाजों और एयरमेल से पहले पहुंचती रही है। विदेशों से प्राप्त डाक सबसे पहले इन प्रवेश द्वारों पर भेजी जाती है और इसकी जांच विदेशी पोस्ट पर कार्यरत सीमा शुल्क अधिकारियों के एक समूह द्वारा की जाती है। सीमा शुल्क अधिकारियों के इस समूह को 'पोस्टल मूल्यांकन विभाग' के रूप में जाना जाता है। वे बाहर से आने वाली और बाहर भेजी जाने वाली डाक में उल्लंघनों की जांच करते हैं। यदि किसी प्रतिबंधित वस्तु का आयात या निर्यात किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है। यदि किसी आयातित वस्तु के संबंध में सीमा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो पीएडी सीमा शुल्क का मूल्यांकन करेगा और प्राप्तकर्ता उसका भुगतान करेगा तथा सीमा शुल्क संग्रह के लिए इसे डाकघर भेज दिया जाएगा।

भारत सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम बनाने की नीति के अनुसार, 31 मार्च 2017 को राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात की जाने वाले वस्तुओं को क्लीयरेंस देने के लिए 13 और विदेशी डाकघरों की पहचान करने का एक आदेश जारी किया

लेखक डाक विभाग के सदस्य (ऑपरेशन्स) हैं। ईमेल: loboc2001@yahoo.com

गया। ये 13 कार्यालय विजयवाड़ा, गुवाहाटी, अहमदाबाद, श्रीनगर, लेह, बेंगलुरु, कोच्चि, लुधियाना, जयपुर, हैदराबाद, कानपुर, आगरा और वाराणसी में स्थापित किए गए हैं। इसमें से बेंगलुरु, कोच्चि और अहमदाबाद काफी समय से उप-विदेशी डाकघरों के रूप में काम कर रहे थे। अब वे पूर्ण विदेशी डाकघर बन गए हैं। इससे निर्यातकों को सुविधा होगी क्योंकि वे बुकिंग से पहले भेजे जाने वाले माल की जांच करा सकते हैं और सीमा शुल्क विभाग द्वारा उठाए गए सभी तरह के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। यह आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस में भाग लेने में भी सक्षम बनाता है। इस निर्णय से पहले, आंध्र और तेलंगाना के ग्राहक आयात या निर्यात के लिए मुंबई या चेन्नई विदेशी डाकघरों पर निर्भर थे। विजयवाड़ा और हैदराबाद में कार्यालय खोलने से इन दोनों राज्यों के ग्राहकों को सुविधा हुई है। इसी तरह जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख के ग्राहकों को भी फायदा हुआ है। इन नए कार्यालयों को विदेशों से आने-जाने वाले बैगों को सीधे बंद करने और प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, डाकघरों में एमएसएमई के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 28 निर्यात सुविधा केन्द्र खोले गए हैं।

### भारतीय डाक और यूपीयू

भारतीय डाक (डाक विभाग) 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का सदस्य है। यूपीयू का गठन स्विट्जरलैंड में बर्न में 1874 में एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली डाक को नियंत्रित करने और डाक की आवाजाही निर्धारित करने वाले नियम बनाने के लिए किया गया था। हालांकि भारत तब ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन उपनिवेशवादियों ने भारत को यूपीयू के सदस्य के रूप में नामांकित किया।

**भारतीय डाक (डाक विभाग) 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का सदस्य है। यूपीयू का गठन स्विट्जरलैंड में बर्न में 1874 में एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली डाक को नियंत्रित करने और डाक की आवाजाही निर्धारित करने वाले नियम बनाने के लिए किया गया था।**

इस अंतरराष्ट्रीय संस्था में 192 सदस्य देश हैं। यूपीयू समझौता डाक कार्यों को नियमित करता है, हालांकि वह बाध्यकारी नहीं हैं, सभी सदस्य देश इसे अपनाते हैं जिससे एकरूपता लाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, प्रेषित माल की ट्रैकिंग के लिए, भारतीय डाक ने 13 अंकों की बारकोडिंग प्रणाली को अपनाया। पहले दो अंक उत्पाद को दर्शाते हैं और अंतिम दो देश को दर्शाते हैं। ईके123456789आईएन में, ई स्पीड पोस्ट (या ईएमएस) को दर्शाता है और के कर्नाटक को दर्शाता है जबकि अंतिम दो अंक भारत को दर्शाते हैं। अंतिम दो अंकों से हम उस देश का पता लगा सकते हैं जहां से वस्तु का आयात किया गया है। इस बारकोड फार्मूला को सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया और संचालन में एकरूपता आई। यदि प्रत्येक देश अपने फार्मूले जैसे 11 अंक या 16 अंकों का अनुसरण करता है, तो सॉफ्टवेयर संशोधन प्रत्येक देश के लिए एक चुनौती हो सकता है। यह सरल उदाहरण बताता है कि कैसे यूपीयू एक व्यवस्था और अनुशासन बनाने में मदद करता है। यह सदस्य देशों को बहुत सी तकनीकी और तकनीक संबंधी सहायता देता है और विचारों और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। यह यूपीयू की गुणवत्ता सेवा निधि (क्यूएसएफ) का उपयोग करके डाक सेवाओं के सुधार के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है।

हाल ही में, भारतीय डाक ने डाक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आयातों और निर्यातों के लिए वाहन प्रदान करने के उद्देश्य से क्यूएसएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त की। इन वाहनों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय डाक को लेने और वितरण के लिए किया जाता है। समय-समय पर, यह विभिन्न अध्ययन और सर्वेक्षण कराता है और इसकी रिपोर्ट सदस्य देशों के साथ साझा की जाती है और ये सदस्य देशों के लिए मूल्यवान संसाधन हैं। यूपीयू द्वारा तैयार गाइड टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ने सदस्य देशों को अपने देश के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन योजना विकसित करने में मदद की है। वर्तमान वर्ष में, भारत उस समिति 1 का सह-अध्यक्ष है जो अन्य सह-अध्यक्ष के रूप में अमेरिका के साथ एकीकृत आपूर्ति शृंखला से संबंधित है।

### भारतीय डाक और एपीपीयू

भारत एशिया-प्रशांत डाक यूनियन (एपीपीयू) का भी सदस्य है। इसका मुख्यालय बैंकाक में है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र से 32 सदस्य देश है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में डाक एक्सचेंजों की सुविधा प्रदान करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। एपीपीयू अपने सदस्यों के लिए लक्सी, बैंकाक में एक कॉलेज या अकादमी चलाता है। यह अपने सदस्य संगठनों के लिए प्रौद्योगिकी, विपणन, सेवा की गुणवत्ता, डाक संचालन आदि पर विभिन्न पाठ्यक्रम चलाता है। प्रत्येक देश अपने प्रशिक्षुओं को एक सप्ताह के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों और एक महीने के दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के लिए भेजता है। इससे विभिन्न देशों के बीच आपस में बातचीत हो जाती है और उन देशों के विचारों

और विकास की जानकारी मिलने में मदद मिलती है।

## डाक टिकट संग्रह और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

डाक टिकट संग्रह अंतरराष्ट्रीय समझ और सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डाक टिकटों की छपाई पूरी दुनिया में डाक विभागों का एकाधिकार है। देश एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और डाक टिकट जारी करके उन्हें बढ़ावा देते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (2019-20) के दौरान, 87 देशों ने महात्मा गांधी के अहिंसा के मूल्यों के प्रति सम्मान दिखाते हुए डाक टिकट जारी किए। कई देशों ने मदर टेरेसा पर भी डाक टिकट जारी किए हैं जो भारत में रहती थीं और काम करती थीं। विभिन्न देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट डाक टिकट संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रदर्शनियों- जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय डाक ने 2011 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक विश्व डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारतीय डाक और अन्य डाक टिकट संग्रहकर्ता अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी में भाग लेते हैं और भारतीय डाक टिकटों को प्रदर्शित कर उनकी मांग पैदा करते हैं। प्रदर्शनियों से विचारों के आदान-प्रदान में मदद मिलती है क्योंकि प्रदर्शनियों के दौरान संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें जाने-माने डाक टिकट संग्रहकर्ता शामिल होते हैं।

डाक टिकट संग्रह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा स्रोत है और फ्रांस और भूटान जैसे कुछ देश इसे आय के प्रमुख स्रोत के रूप में मानते हैं। क्लबों और व्यक्तिगत स्तर पर डाक टिकटों के आदान-प्रदान से देश की संस्कृति और विभिन्न अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी में सुधार होता है। अनेक मौकों पर दो देशों की संस्कृति को दर्शाने वाले डाक टिकट जारी किए गए हैं। 29 अगस्त, 2018 को भारत-आर्मेनिया ने संयुक्त डाक टिकट जारी किए जिनमें भारत के मणिपुरी नृत्य और आर्मेनिया के होव्रेक नृत्य को दर्शाया गया है। भारत-रूस द्वारा 26 अक्तूबर, 2017 को संयुक्त रूप से जारी डाक टिकटों में राजस्थान के भवई लोक नृत्य और रूस के बेरयोज़का राउंड नृत्य को प्रदर्शित किया गया। इस अर्थ में, डाकघर आपसी परिचय का एक प्रवर्तक है। संयुक्त रूप से जारी टिकट : भारत-आर्मेनिया, संयुक्त रूप से जारी टिकट : भारत-रूस।

## एक्सप्रेस मेल सेवा

जिस सेवा को दुनिया भर में ईएमएस के नाम से जाना जाता है वह भारत में अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के नाम से मशहूर है। इस सेवा का 12 सितम्बर, 2019 को बोसनिया और हर्ज़ेगोविना, ब्राजील, इक्वाडोर, कज़ाकिस्तान, लिथुआनिया और उत्तरी मैसीडोनिया तक विस्तार किया गया। अब यह सेवा 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। इस सेवा के अंतर्गत, दस्तावेज और माल भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, कुछ देशों से केवल दस्तावेजों की अनुमति है। इनमें गुयाना, इराक, नाइजीरिया, रवांडा, यमन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (ज़ायरे) शामिल हैं। यह सीमा पार ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में उपयोगी है। ईएमएस के अलावा, विदेशी मनी ऑर्डर सेवा है। सर्फेस टू एयर (एसएएल) एक और बेहद किफायती अंतरराष्ट्रीय सेवा उपलब्ध है।

**भारतीय डाक ने 13 अंकों की बारकोडिंग प्रणाली को अपनाया। पहले दो अंक उत्पाद को दर्शाते हैं और अंतिम दो देश को दर्शाते हैं। ईके123456789आईएन में, ई स्पीड पोस्ट (या ईएमएस) को दर्शाता है और के कर्नाटक को दर्शाता है जबकि अंतिम दो अंक भारत को दर्शाते हैं। अंतिम दो अंकों से हम उस देश का पता लगा सकते हैं जहां से वस्तु का आयात किया गया है।**

## अंतरराष्ट्रीय संबंध

डाक निदेशालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक व्यापार प्रभाग अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सहयोग से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। यह मुख्य रूप से यूपीयू और एपीपीयू से जुड़े और अन्य देशों के साथ अन्य द्विपक्षीय समझौतों से संबंधित मुद्दों को देखता है। विदेश मंत्रालय डाक संबंधों के मामले में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमा शुल्क विभाग भी निर्यात और आयात कारोबार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमा शुल्क और डाकघर के बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफ़ेस या ईडीआई आयात और निर्यात के सुचारू संचालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ■

## संदर्भ

1. डाक विभाग की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट
2. www.indiapost.gov.in

# राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

अमिताभ खरे

**लगभग चार दशक तक कागज और कलम के पारंपरिक तरीके से या ओएमआर विधि से संगठन-विशेष की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होते रहने के बाद राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का गठन इस दिशा में एक नई राह खोलने वाला सुधार है। इस शताब्दी में यह पहला सुधारवादी कदम नए भारत और उसके आकांक्षी युवाओं में हो रहे सकारात्मक बदलावों का प्रतीक है। एनआरए के गठन से करोड़ों आकांक्षी युवा करियर की नई राह पर बढ़ने को तैयार हैं।**

## लाखों आकांक्षी युवाओं के लिए अवसरों का नया प्रभात

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के संस्थानों में भर्ती के लिए 19, अगस्त 2020 को एनआरए की स्थापना को मंजूरी दी थी जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और बेहतर पद्धतियों से संचालित विशेष संस्था का गठन करना है। यह एक नई राह खोलने वाला सुधार है। देश में नौकरी के लाखों आकांक्षियों को इसका दूरगामी लाभ मिलेगा। यह सभी संबंधित पक्षों- नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी संस्थाओं जिन्हें अपनी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है और संबंधित भर्ती एजेंसियों के लिए लाभप्रद पहल है। इसके अमल में आने के बाद सरकारी भर्तियों की तस्वीर बदल जाएगी। आने वाले समय में इसका संभावित असर और भी बड़ा होगा।

## वर्तमान परिदृश्य

अभी विभिन्न ग्रुप 'बी', ग्रुप 'सी' और समकक्ष पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) सहित 20 से अधिक भारतीय एजेंसियां आवेदन आमंत्रित करती हैं और अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करती हैं। पात्रता शर्तें और शैक्षिक योग्यताएं आमतौर पर एक जैसी होती हैं। नौकरी के आकांक्षियों को ऐसी प्रत्येक भर्ती की अधिसूचना आने पर आवेदन करना पड़ता है और अलग-अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। प्रत्येक आवेदन के लिए अलग-अलग फीस और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए कई यात्राएं करना और हर परीक्षा देने के लिए ठहरने की व्यवस्था करना बेरोज़गार युवाओं पर काफी बोझ डालती है। महिला और दिव्यांगजन उम्मीदवारों को अपने साथ परिवार के किसी सदस्य को लाना पड़ता है और उनके साथ-साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों को सबसे अधिक परेशानी होती है। कई बार परीक्षाएं भी एक ही तारीख को पड़ जाती है। ऐसी परेशानियों के कारण अनेक उम्मीदवार विभिन्न अवसर खो देते है जिन पर उनका पूरा करियर निर्भर करता है। प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम की तैयारी करने से भी उनकी परेशानियां और तनाव बढ़ता है। एसएससी

### महत्वपूर्ण अंश

- एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस सहित बहु-एजेंसी संस्था
- ग्रुप 'बी', ग्रुप 'सी' और समकक्ष, गैर-तकनीकी पदों हेतु
- योग्यता के तीन स्तरों के लिए: स्नातक, उच्चतर माध्यमिक और मैट्रिक
- डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा
- एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल
- एकल समान कंप्यूटर आधारित पात्रता परीक्षा (सीईटी)
- 12 भाषाओं में सीईटी
- प्रत्येक वर्ष हर स्तर के लिए दो सीईटी
- परीक्षा देने के अवसरों की कोई सीमा नहीं
- स्कोर सुधारने के अवसर
- स्कोर 3 वर्ष के लिए वैध
- सर्वश्रेष्ठ स्कोर ही वर्तमान स्कोर
- भर्ती परीक्षाओं के आगे के चरण संबंधित एजेंसियां, सीईटी के स्कोर के आधार पर आयोजित करेंगी
- प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र
- 117 आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान

लेखक रेलवे भर्ती बोर्ड में कार्यकारी निदेशक और प्रधान कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। वे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सलाहकार (मानव संसाधन) के रूप में काम कर रहे हैं। ईमेल: amitabhkhare@gmail.com

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING



# राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

## रोज़गार सृजन के नए युग की ओर

- ऑनलाइन समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) के जरिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता
- विभिन्न सरकारी नौकरियों की टियर-1 के लिए एकल प्रवेश परीक्षा
- प्रत्येक जिले में सीईटी केंद्र की स्थापना
- 117 आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान
- पाठ्यक्रम और कठिनाई के स्तर का मानकीकरण
- विभिन्न भारतीय भाषाओं में सीईटी
- तीन स्तरों के लिए सीईटी:
- स्नातक, उच्चतर माध्यमिक, मैट्रिक
- एनआरए द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए अभ्यास परीक्षा का आयोजन
- परीक्षा का स्कोर 3 वर्ष के लिए वैध
- परीक्षा देने के असीमित अवसर

और आईबीपीएस केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में ही परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। यह क्षेत्रीय भाषा की पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए काफी असुविधाजनक होता है। (हालांकि आरआरबी लगभग एक दशक से 16 भारतीय भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है।)

सभी भर्ती एजेंसियां कमोबेश समान योग्यता वाले उम्मीदवारों में से ही अपने खाली पद भरना चाहती हैं लेकिन उनके लिए परीक्षाएं अलग-अलग आयोजित करती हैं। इससे बार-बार बड़ी मात्रा में एक जैसे आर्थिक, ढांचागत और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। बड़े स्तर की लोकप्रिय परीक्षाओं के लिए लाखों (कई बार करोड़ों) की संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं। ऐसी हर एक परीक्षा महीनों तक चलती है और अन्य भर्ती एजेंसियों के लिए लंबे समय तक परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इससे उनके परीक्षा चक्र में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है जिससे उम्मीदवारों के साथ-साथ उन विभागों दोनों को नुकसान पहुंचता है, जिनके यहां लंबे समय तक रिक्तियां नहीं भर पाती।

दशकों से सरकारी भर्तियां कागज और कलम से होने वाली पारंपरिक परीक्षाओं से होती रही हैं जिसमें भर्ती एजेंसियां भारत के किसी भी भाग के उम्मीदवारों को उनकी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में बुलाकर परीक्षा आयोजित करती थीं। प्रश्न पत्र लीक होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी बहुत हुई हैं, जिनकी वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती एजेंसियों ने इस क्षेत्र में डिजिटल तकनीक की क्षमताओं का उपयोग करने के इक्का-दुक्का प्रयास किए और इस तकनीक पर अलग-अलग स्तर पर अमल किया गया।

**अभी कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) सहित 20 से अधिक भारतीय एजेंसियां विभिन्न ग्रुप 'बी', ग्रुप 'सी' और समकक्ष पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करती हैं और अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करती हैं।**

### एनआरए के शुभारम्भ का आधार

एनआरए ऐसे उपयुक्त समय पर आ रही है जब सरकारी भर्तियों की पारंपरिक विधि का टेक्नोलॉजी की मदद से कायाकल्प हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती एजेंसियों ने पहुंच बढ़ाने, परीक्षाओं की गति, पारदर्शिता और सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक डिजिटल समाधान अपनाए हैं। यह संबंधित भारतीय एजेंसियों के अपने अलग-अलग प्रयास हैं, फिर भी इन्होंने एनआरए के शुभारंभ के लिए ठोस आधारशिला रखी है। कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों और सुधारों की जानकारी इस प्रकार है:

#### 1. भाषायी समावेशन

आरआरबी देश के विभिन्न भाषायी क्षेत्रों से आने वाली उम्मीदवारों की सुविधा के लिए लगभग एक दशक से 16 भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित कर रहा है।

#### 2. भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग

आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी डिजिटल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। सरकारी भर्तियों में एसएससी और आरआरबी ने इस दशक के शुरुआत में ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल फीस भुगतान प्रारंभ किया। उस समय कुछ वर्गों में इसको लेकर कुछ आशंकाएं थी लेकिन विश्वास की तत्काल ही जीत हुई और देश में डिजिटल उत्साह का नया चेहरा सामने आया। उम्मीदवारों को काफी सहूलियत हुई और निश्चित तौर पर फीस और आवेदन जमा करने में आसानी हुई तथा अपने घर के निकट के शहरों में परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प वरदान साबित हुआ। इससे आवेदन प्रक्रिया में उल्लेखनीय गति आई और तत्काल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों से परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय में मदद मिली।

आरआरबी ने 2015 में 18 लाख उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर के ज़रिए परीक्षा-सीबीटी (आमतौर पर जिसे ऑनलाइन टेस्ट कहा जाता है) शुरू कीं और उसके अगले ही वर्ष करीब 92 लाख उम्मीदवारों के लिए सीबीटी का सफल आयोजन किया जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। 2018 में

2 करोड़ 37 लाख उम्मीदवारों के लिए एक के बाद एक सीबीटी का सफल आयोजन कर आरआरबी ने ही यह रिकॉर्ड तोड़ा।

एसएससी ने भी जून, 2016 से अपनी ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर) विधि संचालित परीक्षाओं को बदलते हुए कंप्यूटर के ज़रिए परीक्षाएं आयोजित कीं।

बैंकिंग क्षेत्र में आईबीपीएस काफी समय पहले से ही यह प्रक्रिया अपना चुका है। 2019-20 में इसने लगभग एक करोड़ 45 लाख उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर के ज़रिए परीक्षाएं आयोजित कीं।

### 3. भौगोलिक प्रसार

आरआरबी ने 311 शहरों में 3000 से अधिक केंद्र स्थापित कर कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यदीप के दूरदराज क्षेत्रों के उम्मीदवारों को उनके दरवाजे पर परीक्षा देने की सुविधा दी। आईबीपीएस ने भी समूचे भारत के लगभग 200 शहरों में परीक्षाएं आयोजित कीं।

## डिजिटल इंडिया मिशन पहल: पूर्ण तंत्र

एनआरए ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, डिजीलॉकर जैसे डिजिटल इंडिया मिशन के कई दूरगामी प्रयासों की ताकत का भी उपयोग करेगी। इस मिशन की परिकल्पना राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के जरिए 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने और 16,000 करोड़ रुपये की लागत से शेष 55,619 गांव को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की है। सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की संख्या मौजूदा 1,35,000 से बढ़ाकर 2,50,000 प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक, तक की जा रही है। इसके अतिरिक्त 1,50,000 डाकघरों को बहु- सेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। दूसरी ओर एनआरए स्वयं ही लाखों भारतीय युवाओं को सुगम्य और पारदर्शी भर्ती सेवाएं देकर डिजिटल इंडिया मिशन को बहुत मजबूती देगी।

डिजिटल इंडिया तंत्र की ठोस आधारशिला और आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी के उदाहरणों की सीख के साथ डिजिटल आकलन बुनियादी ढांचा विकसित होने से एनआरए को नवाचार और सुधार की दिशा में और आगे बढ़ने के लिए एक सार्थक शुरुआत मिलेगी।

## एनआरए की मुख्य विशेषताएं

### 1. प्रस्तावित ढांचा

एनआरए एक बहु-एजेंसी संस्था होगी जो सोसायटी के रूप में (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत) पंजीकृत होगी। इसके संचालक मंडल के 10 सदस्यों में भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे। तीन सदस्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे और तीन सदस्य तीन प्रमुख भारतीय एजेंसियों यानी कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) से होंगे। दो सदस्य शिक्षा क्षेत्र से होंगे। इसमें परीक्षा, आईटी समाधान और विषय सामग्री के विकास सहित संचालन के 7 स्तर होंगे।

एनआरए के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य और पूर्वोत्तर में छह क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। एनआरए की स्थापना और पहले तीन वर्षों में एनआरए द्वारा सीईटी के आयोजन के लिए 1517.57 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय का प्रावधान है।

### 2. उम्मीदवार केंद्रित विशेषताएं

#### क. अनेक पदों के लिए एक मंच

एनआरए के अंतर्गत एक परीक्षा देकर उम्मीदवारों को अनेक पदों पर स्पर्धा का अवसर मिलेगा। इसके पहले स्तर टियर-1 की परीक्षाएं कई अन्य चयन परीक्षाओं के लिए पहली सीढ़ी होगी। यह परीक्षाएं यूपीएससी के दायरे से बाहर ग्रुप 'बी' राजपत्रित पदों, सभी ग्रुप 'बी' अराजपत्रित पदों और सभी ग्रुप 'सी' पदों तथा केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों के तहत समकक्ष पदों के लिए होंगी। शुरुआत में वे गैर-तकनीकी पद शामिल होंगे जिनके लिए भर्ती का आयोजन एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस करते हैं।

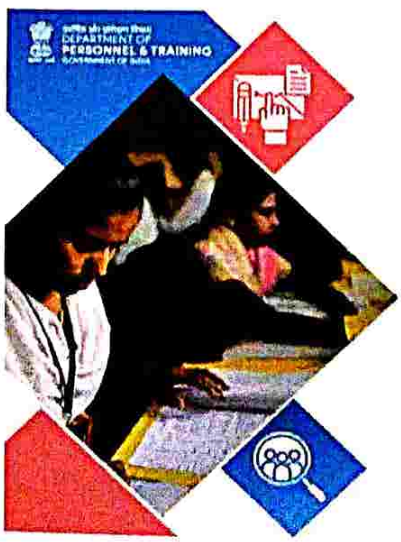


राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा (एनआरए)

**समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) नौकरी ढूंढ़ने वालों को अधिक विकल्प देती है**

- तीन स्तरों के लिए अलग-अलग सीईटी आयोजित होंगी
  - स्नातक
  - उच्चतर माध्यमिक (12वीं)
  - मैट्रिक (10वीं पास)
- गैर-तकनीकी पदों के लिए सीईटी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा टियर-1 परीक्षा का स्थान लेगी
- सीईटी केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी पदों के लिए उम्मीदवारों को छांटेगी।

**ख. एक आवेदन पोर्टल**

एक से अधिक आवेदन और फीस जमा करने की बजाय उम्मीदवारों को इस पोर्टल पर एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

**ग. समान पात्रता परीक्षाएं (सीईटी)**

इसी तरह, विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के बजाय एक समान कंप्यूटर आधारित पात्रता परीक्षाएं (सीईटी) आयोजित होंगी। स्नातक, उच्चतर माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक पास (10वीं पास) उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग सीआईटी आयोजित होंगी। धांधली खत्म करने के लिए एनआरए मजबूत आईसीटी का उपयोग करेगा। एक परीक्षा होने से गरीब उम्मीदवारों को बहुत राहत मिलेगी। अभी परीक्षा फीस के अलावा उम्मीदवारों को यात्रा, शहर में खाने-पीने और अन्य चीजों के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। एक परीक्षा आयोजित होने से उनका आर्थिक बोझ और तनाव काफी हद तक कम होगा। औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। समान पात्रता परीक्षा आयोजित होने से इन उम्मीदवारों को केवल एक बार छंटाई परीक्षा देनी होगी और फिर वे अगले स्तर की परीक्षा हेतु किसी भी या सभी भर्ती एजेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

**घ. भर्ती एजेंसियों को लाभः भर्ती प्रक्रिया के चक्र में कटौती**

एक पात्रता परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया के चक्र को काफी कम करेगी और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा अलग-अलग ऐसी कई परीक्षाएं आयोजित करने पर फिलहाल खर्च होने वाले संसाधनों की भारी बचत करेगी। भर्ती चक्र छोटा होने से रिक्तियां काफी तेजी से भरी जाएंगी। कुछ विभागों ने दूसरे स्तर की परीक्षा नहीं लेने और सीईटी के स्कोर, शारीरिक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर भर्ती करने की अपनी मंशा के संकेत दिए हैं। इससे भर्ती चक्र और छोटा होगा तथा युवाओं के एक बड़े वर्ग को लाभ होगा।

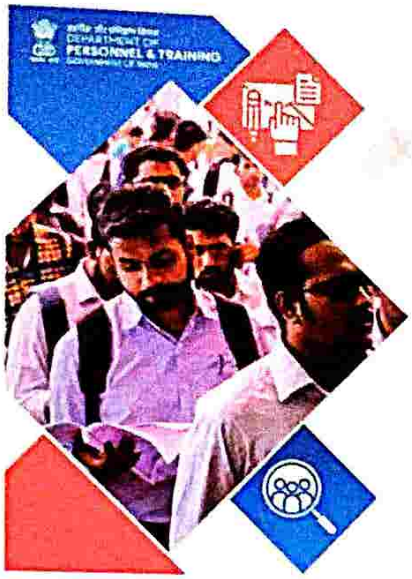


राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा (एनआरए)

**समान पात्रता परीक्षा टीईटी नौकरी ढूंढ़ने वालों को अधिक विकल्प देती है**

- पाठ्यक्रम और कठिनाई के स्तर का मानकीकरण: विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयोजन होगा
- सीईटी के स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा अलग से विशेष टियर 2/टियर 3 परीक्षाओं के जरिए अंतिम चयन
- उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 वर्ष के लिए वैध होगा, 3 वर्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा
- उम्मीदवार के लिए परीक्षा देने के अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के भीतर
- एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी आदि उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट।

**आरआरबी ने 2015 में 18 लाख उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर के जरिए परीक्षा-सीबीटी (आमतौर पर जिसे ऑनलाइन टेस्ट कहा जाता है) शुरू कीं और उसके अगले ही वर्ष करीब 92 लाख उम्मीदवारों के लिए सीबीटी का सफल आयोजन किया जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। 2018 में 2 करोड़ 37 लाख उम्मीदवारों के लिए एक के बाद एक सीबीटी का सफल आयोजन कर आरआरबी ने ही यह रिकॉर्ड तोड़ा**

**ङ. वर्ष में दो बार सीईटी**

एनआरए का स्नातक, उच्चतर माध्यमिक और मैट्रिक, प्रत्येक स्तर के लिए प्रत्येक वर्ष में दो सीईटी के आयोजन का प्रस्ताव है। उम्मीदवार असीमित बार परीक्षा दे सकेंगे।

**च. अंतिम चयन के लिए आगे के चरण**

भर्ती हेतु सीईटी में हासिल अंकों के आधार पर अंतिम चयन आवश्यकता अनुसार दूसरे या तीसरे स्तर की विशेष परीक्षाओं के जरिए होगा। इनमें विषय संबंधी परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षाएं शामिल होंगी। इन अंतिम चरणों का आयोजन संबंधित भर्ती एजेंसियां करेंगी।

**छ. सीईटी स्कोर की वैधता**

सीईटी स्कोर 3 वर्ष के लिए वैध होगा। अच्छे स्कोर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष सीईटी परीक्षा नहीं देनी होगी। साथ ही कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों उन्हीं कम अंकों पर नहीं अटके रहना होगा।

**ज. स्कोर में सुधार का अवसर**

सीईटी परीक्षाओं से उम्मीदवारों के सामने एक ही बार सफल या असफल रहने की मजबूरी नहीं रहेगी। उन्हें अपना स्कोर सुधारने के अनेक अवसर मिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया में एक प्रमुख सुधार साबित होगा।

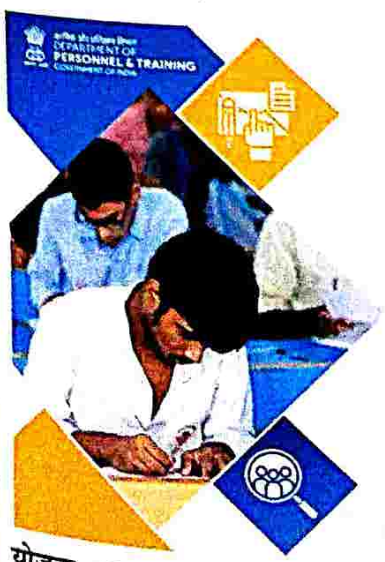


पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, आसान जीवन

**एनआरए से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी**

- प्रारंभ में, एनआरए वर्ष में दो बार सीईटी आयोजित करेगी
- आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर / एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा
- सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी
- परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा
- विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी

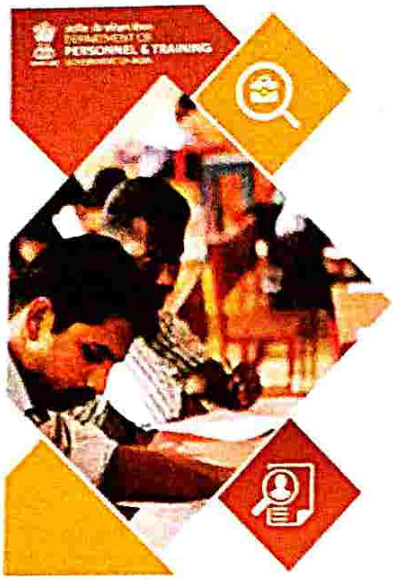


राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा (एनआरए)

## पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया में आसानी

- वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तलाश करने वालों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं देनी होती हैं
- उम्मीदवारों को एक वर्ष में कई बार, बार-बार फीस का भुगतान, भर्ती केंद्रों तक यात्रा करनी पड़ती है
- एनआरए विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर-1 यानि प्रारम्भिक चयन के लिए समान प्रवेश परीक्षा आयोजित कर इन परेशानियों को दूर करेगी
- एनआरए उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ भी कम करेगी।

### झ. परीक्षा का मानकीकरण

अभी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की अलग-अलग परीक्षाएं देने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप के बंधन में रहना होता है। एनआरए के तहत सीईटी का पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रारूप और मानक समान होंगे। इससे उम्मीदवारों पर बोझ और तनाव काफी हद तक कम हो पाएगा। ऐसी आशा है कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम सीईटी के पाठ्यक्रम का आधार होगा और सीईटी में बहु-विकल्पी प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे।

### ञ. भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों के द्वार

एनआरए 117 आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित करेगी। इससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं देना बहुत सुगम हो सकेगा। इससे लागत, मेहनत, सुरक्षा और अन्य प्रकार के अनेक लाभ मिलेंगे। इस प्रस्ताव से न केवल परीक्षा केंद्र तक ग्रामीण उम्मीदवारों की पहुंच आसान होगी बल्कि यह दूरदराज क्षेत्रों के ग्रामीणों को परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और केंद्र सरकार की नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा। महिला उम्मीदवार और दिव्यांगजन उम्मीदवार इस कदम से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। लोगों तक नौकरी के अवसर उनके करीब ले जाना एक सुधारवादी कदम है जिससे युवाओं के जीवनयापन में और सुधार आएगा।

### ट. परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करना और केंद्र चुनना

उम्मीदवारों को एक ही पोर्टल पर पंजीकरण करने और मनपसंद केंद्र चुनने की सुविधा मिलेगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के केंद्र चुनकर अपनी परीक्षाओं का कार्यक्रम तय कर सकें।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA)

## पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन

- चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी
- समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग-अलग देने की मुश्किल खत्म होगी
- 1000 से अधिक केंद्रों पर सीईटी आयोजित की जाएगी, 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा
- ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा

### एआरए द्वारा सब तक पहुंचने का प्रयास

### क. विविध भाषाएं

आरआरबी परीक्षाओं को छोड़कर इस समय अन्य परीक्षाएं केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाती हैं। सीईटी अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करेगा। इससे देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भाषायी पृष्ठभूमि के लोगों को बहुत लाभ होगा और उन्हें चयन का समान अवसर मिलेगा।

### ख. स्कोर-विविध भर्ती एजेंसियों तक पहुंच

सीईटी के स्कोर का इस्तेमाल शुरुआत में तीन प्रमुख भारतीय एजेंसियां- एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस करेंगी। हालांकि उम्मीद है कि समय के साथ केंद्र सरकार में अन्य भर्ती एजेंसियां भी इसे अपना लेंगी। सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र की अन्य एजेंसियां भी अगर इसे अपनाना चाहे तो यह उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा। अत: आगे जाकर सीईटी का स्कोर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र में अन्य भर्ती एजेंसियों को भी दिया जा सकता है। इससे ऐसे संगठनों को खर्च और भर्ती में लगने वाले समय को बचाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सीईटी स्कोनर का इस्तेमाल करने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है।

### ग. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अभ्यास

एनआरए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अभ्यास परीक्षाएं आयोजित करेगी। अभ्यास परीक्षाओं के अलावा चौबीसों घंटे हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल भी उपलब्ध रहेगा।

### भर्ती प्रक्रिया में नई शताब्दी का सुधार

लगभग चार दशक तक कागज और कलम के पारंपरिक तरीके से या ओएमआर विधि से संगठन-विशेष की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होते रहने के बाद राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआईए का गठन इस देश में एक नई राह खोलने वाला सुधार है। इस शताब्दी में यह पहला सुधारवादी कदम नए भारत और उसके आकांक्षी युवाओं में हो रहे सकारात्मक बदलावों का प्रतीक है। एनआरए के गठन से करोड़ों आकांक्षी युवा करियर की नई राह पर बढ़ने को तैयार हैं। ■

# योजना - सही विकल्प

**'योजना' के अगस्त-2020 अंक से हमने पाठकों के लिए, खास तौर से सिविल सर्विसेज़ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों के लिए बहुविकल्प प्रश्नों का स्तंभ 'योजना-सही विकल्प' शुरू किया है। इसमें 'योजना' के अंकों में प्रकाशित आलेखों/सामग्री से या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ज्ञान के आधार पर प्रश्नों एवं विकल्पों को तैयार किया गया है।**

**1. वर्ष 2019 के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के आधार पर राज्यों को रैंकिंग के आरोही क्रम (पहले बेहतर प्रदर्शन करने वाले) में से कौन से विकल्प सही है?**

1 आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना
2 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश
3 मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़
4 हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात

क) केवल 1
ख) 2 और 3
ग) 1, 3 और 4
घ) उपरोक्त सभी

**2. ..... किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल है?**

क) मत्स्य सागर ऐप
ख) ई-गोपाला ऐप
ग) ई-नीम ऐप
घ) खेती ऐप

**3. "वन नेशन वन राशन कार्ड" यानि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?**

1. लद्दाख और लक्षद्वीप - दो केन्द्र शासित प्रदेशों को हाल ही में उसके साथ एकीकृत किया गया है यानि वहां भी यह योजना लागू हो गई है।
2. योजना के तहत अब कुल 26 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
3. लाभार्थी अपने सब्सिडी वाले अर्थात् अनुदानित खाद्यान्न को अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से 1 सितंबर 2021 से ले सकते हैं।
4. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारों की डिलीवरी सुनिश्चित करने की योजना है।

क) 1, 2 और 4
ख) 1, 2 और 3
ग) उपरोक्त सभी
घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

**4. भारत के नए चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला है?**

क) सुनील अरोड़ा
ख) राजीव कुमार
ग) वीएस संपत
घ) ओम प्रकाश रावत

**5. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के संबंध में निम्न में से कौन सा / से कथन सही है / हैं?**

1. गर्भवती महिलाएं, प्रसव-पूर्व तीन महीने और प्रसवोत्तर तीन महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं।
2. शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम-से-कम छह बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा।
3. दो बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक़ मिलेंगे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

क) केवल 1 और 2
ख) केवल 2
ग) केवल 3
घ) 1, 2 और 3

**6. भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. किसी भी केंद्रीय विधि को संविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपरोक्त में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

क) केवल 1
ख) केवल 2
ग) 1 व 2 दोनों
घ) न तो 1, न ही 2

7. **निम्नलिखित में से कौन-सा एक विश्व बैंक के 'कारोबार सुगमता सूचकांक' (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स) का उप-सूचकांक नहीं है?**
क) कानून और व्यवस्था बनाए रखना
ख) करों का भुगतान करना
ग) संपत्ति का पंजीकरण कराना
घ) निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना।

8. **भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है?**
क) अनुच्छेद 19
ख) अनुच्छेद 21
ग) अनुच्छेद 25
घ) अनुच्छेद 29

9. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
'भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण (स्टोरेज़ ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से 'डेटा डिक्टेट' के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि-
1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं।
2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें।
3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?
क) केवल 1 ख) केवल 1 और 2
ग) केवल 3 घ) सभी कथन सही हैं।

10. **किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक (मनी-मल्टीप्लायर) निम्नलिखित में से किस एक के साथ-साथ बढ़ता है?**
क) आरक्षित नकदी अनुपात (कैश रिज़र्व रेशियो) में वृद्धि
ख) जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि
ग) सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि
घ) देश की जनसंख्या में वृद्धि।

उत्तर : 1. ग, 2. ख, 3. क, 4. ख, 5. ग, 6. ग, 7. क, 8. ख, 9. क, 10. ख


अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

# भारत 2020

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्यः प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फॉलो करें @DPD_India